GS WORLD

IAS PCS

Committed To Excellence

प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों का हिन्दी भावानुवाद

संदर्भित तथ्य एवं संभावित प्रश्नों सहित

(जून, 2018)

Head Office

629, Ground Floor, Main Road, Dr, Mukherjee Nagar, Delhi - 110009

Ph. : 011-27658013, 9868365322

INDEX

	आर्टिकल	प्रश्न-पत्र	पेपर	दिनांक
1.	भारत और इंडोनेशिया संबंध	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	द न्यू इंडियन एक्सप्रेस	1 जून
2.	मिश्रित विकास संकेत	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू	2 जून
3.	विश्व तम्बाकू निषेध दिवस : एक समग्र विश्लेषण	पेपर-II (शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	4 जून
4.	शासन और राज्यपाल	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	5 जून
5.	प्लास्टिक में जीवन : अपशिष्ट प्रबंधन ढांचे पर	पेपर-III (पर्यावरण व पारिस्थितिकी)	द हिन्दू	6 जून
6.	आरबीआई द्वारा दरों में वृद्धि	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	7 जून
7.	भविष्य के लिए धरती को बचाना	पेपर-III (पर्यावरण व पारिस्थितिकी)	द हिन्दू	8 जून
8.	एक दुष्चक्र : ट्रेड वार पर	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू	9 जून
9.	समाधान आसान नहीं : एनपीए से निपटने पर	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू	11 जून
10.	एआई गेराज : कृत्रिम बुद्धिमता की शुरूआत पर	पेपर-III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)	द हिन्दू	12 जून
11.	एशियाई खेल	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू	13 जून
12.	गायब होता स्तर	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	14 जून
13.	हिंसा की बदलती प्रकृति	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	15 जून
14.	प्राथमिक उपेक्षा	पेपर-II (शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य)	इंडियन एक्सप्रेस	16 जून
15.	सूखा या प्रदूषित : भारत के जल संकट पर	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	18 जून
16.	डिजिटल सिल्क रोड के पीछे	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	इंडियन एक्सप्रेस	19 जून
17.	शरणार्थियों के लिए पहल करने पर	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू	20 जून
18.	चिरस्थायी पहल : कृषि क्षेत्र में	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि)	द हिन्दू	21 जून
19.	खतरनाक चक्रव्यूह : वैश्विक व्यापार युद्ध पर	पेपर-II (अन्तर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू	22 जून
20.	एक सलाहकार : बिना किसी सलाहकार के	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू	23 जून
21.	पोषण सुरक्षा और कुपोषण की समस्या	पेपर-II (शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य)	द हिन्दू	25 जून
22.	विशिष्ट रूप से स्थापित	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	26 जून
23.	पानी संकट से निपटने के लिए कृषि का उपयोग	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)	लाइव मिंट	27 जून
24.	वास्तविकता की जाँच : एनपीए पर	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू	28 जून
25.	भारत-अमेरिका संबंधों में अशांति का प्रबंधन	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	लाइव मिंट	29 जून
26.	यूजीसी की जगह एचईसीआई	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	30 जून

* * *

भारत और इंडोनेशिया संबंध

01 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

''इंडोनेशिया में श्री मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा रक्षा, समुद्री सुरक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सुधार के अवसर प्रदान करता है।''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ व्यापक वार्ता आयोजित करने के बाद आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया 2025 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को दोगुना करने पर सहमत हुए हैं।

भारत और इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश हैं जो युवा, आकांक्षी और विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। दोनों देश जी-20, नैम, ईएएस, आइओआरए, एआइआइबी और ऐसे ही कई समूहों के सदस्य हैं।

इंडोनेशिया में श्री मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा रक्षा, समुद्री सुरक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सुधार के अवसर प्रदान करता है।

वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया व्यापक सामरिक साझेदारी के साथ अपने संबंधों को अपग्रेड करने पर सहमत हुए हैं, उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया 2025 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक द्विपक्षीय व्यापार करने के अपने प्रयासों को दोगुना करने पर सहमत हुए हैं।

इंडोनेशिया की केंद्रीय सांख्यिकी एजेंसी (बीपीएस) के मुताबिक, 2016 में दोनों देशों के बीच व्यापार 12.9 अरब अमेरिकी डॉलर था।

1950 में गणतंत्र दिवस की पहली परेड में राष्ट्रपति सुकर्णो ही मुख्य अतिथि थे। फिर 1970 के दशक में संबंधों में कुछ दुराव आया जो 1990 के दशक के अंत तक इंडोनेशिया में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना तक जारी रहा। उसके बाद से संबंधों में कुछ सुधार आया है।

2017 में यह 28.7 प्रतिशत बढ़कर 18.13 अरब डॉलर हो गया, भारत के निर्यात में 14.08 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और भारत से इसका आयात 4.05 अरब डॉलर रहा।

वार्ता के बाद जारी किए गए एक संयुक्त वक्तव्य में, दोनों देशों ने कहा कि वे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के शुरुआती निष्कर्ष के लिए गहन रूप से काम करने के लिए सहमत हुए हैं और ये भी कहा कि इसके लिए सभी सदस्य देशों को लाभ के साथ व्यापक, निष्पक्ष और संतुलित होना चाहिए।

दोनों नेताओं ने अधिकारियों को एक स्थायी और पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए आसियान और भारत के बीच सहयोग को अनुकूलित करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने अप्रत्याशित आर्थिक क्षमताओं का पता लगाने और व्यापार और निवेश में बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है।

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और सेवाओं का विस्तार करने के लिए काफी संभावनाएं हैं।

मोदी और विडोडो ने इंडोनेशियाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (कैडिन) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के बीच समझौता ज्ञापन के समापन का भी स्वागत किया है और साथ ही जकार्ता में एक सीआईआई कार्यालय की स्थापना की भी सराहना की है।

इसके अलावा, राष्ट्रपति विडोडो इंडोनेशिया में भारतीय निवेश में वृद्धि का स्वागत किया और इंडोनेशियाई अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की सराहना की है।

संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी कि 'मेक इन इंडिया' पहल के माध्यम से इंडोनेशियाई कंपनियों की भागीदारी स्वागतयोग्य पहल है और हमे अवसरों का लाभ उठाने के लिए आगे आना होगा।

उन्होंने दोनों देशों में बुनियादी ढांचे के विकास को तेज करने और बुनियादी ढांचे के विकास सहयोग को बढ़ाने के पारस्परिक लाभ के महत्व पर भी अपने विचार साझा किए हैं।

उन्होंने स्वास्थ्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जो आम स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में निकट सहयोग के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और दवा क्षेत्र में काफी सहयोग अवसर उपलब्ध है।

दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य सहयोग पर रोड मैप विकसित करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों, दवा नियामकों और उद्योग प्रतिनिधियों के 2018 के दूसरे छमाही में एक बैठक आयोजित करने के लिए भी निर्देश दिया है।

उन्होंने इंडोनेशिया के निर्यात में भारत के, भारत में और भारत की उपभोक्ता वरीयता और बढ़ती खपत में महत्वपूर्ण भूमिका पाम तेल नाटकों को रेखांकित किया।

संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने हथेली के तेल उत्पादों और उद्योगों में व्यापार और निवेश के लिए बाधाओं से जुड़े सभी मुद्दों को हल करने पर सहमति व्यक्त की है।

दोनों पक्षों ने रेलवे क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन का स्वागत किया जो तकनीकी सहयोग, रेल संबंधित कार्यक्रमों के विकास, ज्ञान का आदान-प्रदान, प्रौद्योगिकी और भारत और इंडोनेशिया के बीच संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देगा।

दोनों नेताओं ने अप्रैल, 2018 से बाली और मुंबई के बीच गरुड़ इंडोनेशिया द्वारा सीधी उड़ानों की स्थापना के साथ-साथ इंडोनेशियाई और भारतीय शहरों की सेवा करने वाले बटिक एयर और एयर एशिया इंडोनेशिया की उड़ानों का स्वागत किया है।

उन्होंने दोनों देशों के नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि वे 2018 में होने वाली द्विपक्षीय वायु सेवा परामर्श के माध्यम से यातायात अधिकारों को बढ़ाने के मामले पर चर्चा करें।

समुद्री पड़ोसियों के रूप में, दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग और लोगों से लोगों के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए, विशेष रूप से समुद्री संबंधों पर मजबूत कनेक्टिविटी के महत्व को रेखांकित किया है।

उन्होंने दोनों क्षेत्रों की आर्थिक क्षमता को मुक्त करने के लिए अंडमान निकोबार-असेह के बीच कनेक्टिविटी बनाने की योजना पर भी विचार किया गया है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की चार देशों को लेकर बन रही संभावित चौकड़ी को लेकर वह कुछ सशंकित हो सकता है, लेकिन वह सामुद्रिक सुरक्षा को संतुलन देने में भारत के महत्व को भी बखूबी समझता है।

उन्होंने सबांग के आसपास और बंदरगाह से संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए परियोजनाएं के लिए संयुक्त कार्य बल स्थापित करने के फैसले की सराहना की है।

उन्होंने मान्यता दी कि विश्वसनीय, स्वच्छ और किफायती ऊर्जा तक पहुंच दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

बयान में कहा गया है कि दोनों नेता ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों, नई और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के प्रचार में सहयोग करने के लिए सहमत हुए, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बदलने के साथ-साथ संबंधित जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साझा आकांक्षा के साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।

दोनों नेताओं ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में संभावित सहयोग का स्वागत किया और इस क्षेत्र में एक समझौते के शुरुआती नवीकरण की प्रतीक्षा की है।

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया में हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान तीनों देशों के नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।
- इसमें रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर करार हो सकते हैं। गौरतलब है कि ये मोदी का इंडोनेशिया का पहला और सिंगापुर का दूसरा दौरा है। मोदी के इन दो देशों के दौरे का मकसद एक तरफ चीन पर लगाम कसना है, वहीं इससे भारत को कारोबार और रक्षा के क्षेत्र में काफी मदद भी मिलेगी।

इंडोनेशिया अहम क्यों?

दरअसल चीन का एक न्यू मैरीटाइम सिल्क रूट है, वो इंडोनेशिया के मलक्का से अफ्रीका के जिबूती तक जाता है। यानी एक तरह से ये रूट भारत को घेरता है।

1) भारत इंडोनेशिया से इसी तरह का समझौता करने जा रहा है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड-डिफेंस गलियारा बनेगा। अगर इंडोनेशिया के साथ हमारा बेहतर तालमेल होता है तो हम चीन के मैरीटाइम सिल्क रूट को काउंटर कर पाएंगे।
2) चीन पाक, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार-फिलीपींस पर नजर जमाए हुए है। अगर हमारे साथ इंडोनेशिया आ जाता है, तो हम अंडमान-निकोबार के पास चीन के हो रहे जमाव को रोक सकते हैं।
3) इंडोनेशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया में उभरती आर्थिक शक्ति है और मौजूदा वक्त में भारत भी एक वैश्विक ताकत के रूप में सामने आया है। अगर हम इंडोनेशिया के साथ रणनीतिक गठजोड़ बनाते हैं तो चीन से कूटनीतिक सौदेबाजी के वक्त भारत पॉजिटिव साइड में रहेगा।

चीन के सामने चुनौती है सिंगापुर

- 'सिंगापुर एक बड़ी मैन्युफेक्चरिंग पावर है। पूर्वी एशिया में अगर चीन के सामने कोई चुनौती है तो वो सिंगापुर है।'
- 'चीनी माल के बहिष्कार की बात होती है, लेकिन भारत डब्ल्यूटीओ नॉर्म के चलते ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ भारत को वो सामान तो मंगाना ही है, फिर वो चाहे चीन से मंगाए या कहीं और से। दूसरी जगह से चीजें मंगाने पर उनकी कीमत ज्यादा हो सकती है। इसका हमारे व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ेगा।'

सिंगापुर से भारत को फायदे

1) सिंगापुर दौरे से भारत के उससे व्यापार संबंध मजबूत होंगे।
2) एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ है। ट्रम्प की मौजूदा अस्थिर विदेश नीति के चलते हमें प्रशांत क्षेत्र में अन्य सहयोगियों की जरूरत होगी। अगर भारत सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया को अपने पक्ष में कर लेता है तो भारत मैरीटाइम सिक्युरिटी और ब्लू वॉटर इकोनॉमी को ज्यादा एक्सेस कर सकेगा।
3) सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे ली कुआन ने आसियान के मंच पर ही कहा था कि अगर आसियान को ऊंचाइयों को छूना है तो उसे अपने दोनों पंखों यानी भारत और चीन को शामिल

करना ही होगा। यानी सिंगापुर के जरिए भारत आसियान में अच्छी पैठ बना सकता है।

- 'सिंगापुर के अच्छे संबंधों से भारत को व्यापार में तो फायदा होगा ही, चीन पर निर्यात की निर्भरता कम होगी।'
- 'भारत को शांगरी-ला डायलॉग में स्पीच देने के लिए बुलाने का मतलब है कि भारत सरकार और लोगों की कोशिशों से देश का कद जरूर बढ़ा है और मोदी भारत के बढ़ते कद का प्रतिनिधित्व करते हैं।'

दौरे का क्या असर होगा?

- 'अगर दक्षिण एशिया को देखें तो भारत केंद्र में दिखाई देता है। भारत तब और बड़ी ताकत बन सकता है जब पड़ोसी देशों को अपने साथ ले आए। ये देश हमारे निकट आने पर सन्निकट पड़ोसी बन जाएंगे। जब हम उनके साथ बेहतर संबंध बना पाएंगे तो वैश्विक शक्ति बनने का रास्ता साफ होगा।'
- 'अगर भारत चाहता है कि दुनिया में उसकी बात सुनी जाए तो अपने पड़ोसी देशों के बीच पैठ बनानी होगी।'
- 'रूस की नीति है-पिवोट टू एशिया। इसमें रूस चाहता है कि एशिया के देश वॉशिंगटन की बजाय मॉस्को की तरफ देखें। ज्यादातर दक्षिण एशियाई देश चीन से डरे हुए हैं। पहले वे ओबामा में संभावना देखते थे लेकिन ट्रम्प से उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं है। ऐसे में भारत, रूस और बाकी एशियाई देशों के बीच सेतु का काम कर सकता है।'
- '2011 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र को लेकर की गई अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत का क्षेत्र से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन विश्व की कोई ताकत भारत के बिना वहां अहम रोल अदा नहीं कर सकती।'

पहली बार शांगरी-ला डायलॉग में भाषण देंगे मोदी

- मोदी 1 जून को सिंगापुर में शांगरी-ला डायलॉग में स्पीच देंगे। यह पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को सिंगापुर में संबोधन के लिए बुलाया गया है।
- शांगरी-ला डायलॉग 2002 में शुरू हुआ था। इसमें एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और टॉप अफसर शामिल होते हैं।
- इस दौरान मोदी का फोकस भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर होगा। भारत के पास इस मुद्दे पर अपनी नीतियां दुनिया के सामने रखने का बेहतर मौका है।

पहली बार इंडोनेशिया जा रहे हैं मोदी

- नरेंद्र मोदी का यह पहला इंडोनेशिया दौरा है। वहीं, वे दूसरी बार सिंगापुर पहुंचेंगे। इससे पहले वे नबंवर, 2015 में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के लिए सिंगापुर गए थे।
- मोदी 21 मई को एक दिन के अनौपचारिक दौरे पर रूस गए थे। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें न्योता दिया था। मोदी-पुतिन की मुलाकात सोची शहर में हुई।
- 27-28, अप्रैल को मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी अनौपचारिक मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों के

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण-पूर्व एशिया की यात्रा पर है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में इंडोनेशिया की पहली यात्रा की।
2. नरेंद्र मोदी सिंगापुर के शांगरी-ला-डायलॉग में भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

नोट : 30 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. कई समानताओं के बावजूद, भारत-इंडोनेशिया संबंध विरोधाभासों के साथ चिह्नित है। इस प्रकाश में दोनों देशों को रणनीतिक साझेदारी को एक-दूसरे के साथ बनाये रखने के लिए क्या आवश्यक पहल किये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये।

(250 शब्द)

Despite many similarities, the India-Indonesia relationship is marked with contradictions. In this light, should the necessary initiatives have to be taken by the two countries to keep strategic partnership together? Discuss.

(250 Words)

मिश्रित विकास का संकेत

02 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

''जीडीपी वृद्धि बढ़ रही है, लेकिन मुद्रास्फीति के जोखिम के साथ। आरबीआई को दरें बढ़ाने पर कॉल करना होगा''

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। मार्च तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर से एक बार फिर इस बात की पुष्टि हो गई है। पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च) में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 7.7 फीसदी रही। इसके मुकाबले इस साल जनवरी से मार्च के दौरान चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.8 फीसदी थी।

इस साल जनवरी से मार्च के दौरान मैन्यूफैक्चरिंग का प्रदर्शन भी उम्मीद से बेहतर रहा। इस सेक्टर की ग्रोथ रेट 9.1 फीसदी रही। इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट 11.5 फीसदी रही। यह भी उम्मीद से बेहतर है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ रेट 7.75 फीसदी रही। इन सेक्टर में अच्छी ग्रोथ रेट की बदौलत कुल ग्रोथ रेट ज्यादा रही।

सेवाओं के दो प्रमुख समूह जो एक साथ चौथे तिमाही जीवीए के 38% से अधिक योगदान करते थे - पहला व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण शामिल था; और दूसरी, वित्तीय, अचल संपत्ति और पेशेवर सेवाएं - वर्ष-दर-साल तेजी से, पूर्ण वर्षीय क्षेत्रीय जीवीए विकास को उठाने में मदद करते हैं।

कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने ने पिछले वित्त वर्ष के चार तिमाहियों में 4.5% की वृद्धि के साथ 3.4% की वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ोतरी जारी रखी।

2016-17 में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष की गति अभी भी 6.3% से कम है, अगर त्रैमासिक गति जारी रहती है और मानसून पूर्वानुमान के अनुसार रहता है, तो हम ग्रामीण मांग में अधिक व्यापक आधार पर पुनरुद्धार देख सकते हैं।

हालांकि, राष्ट्रीय व्यय के अनुमानों में दबाव बिंदु हैं। जनवरी-मार्च की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में 54.6% की गिरावट के साथ जीडीपी में योगदान के हिस्से के साथ निजी अंतिम खपत व्यय जारी है, जो पिछले तिमाही में 59.3% और एक साल पहले 55.2% था।

भारत में जीडीपी की गणना प्रत्येक तिमाही में होती है। जीडीपी का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होता है। जीडीपी को मापने के लिए कृषि, उद्योग और सर्विस तीन प्रमुख चीजें होती हैं।

इसके अलावा इसमें निजी खपत, अर्थव्यवस्था में सकल निवेश, सरकारी निवेश, सरकारी खर्च और नेट फॉरेन ट्रेड (निर्यात और आयात का फर्क) शामिल होता है। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत आधार पर जीडीपी दर तय होती है।

यहां एक गंभीर विचार यह है कि इसी विकास गति से अर्थव्यवस्था में कीमतों में दबाव बढ़ने की संभावना है, जो वैश्विक तेल में तेजी से बढ़ोतरी के साथ संयुक्त हो सकता है, तेजी से मुद्रास्फीति बढ़ सकता है।

अलग-अलग, नवीनतम सर्वेक्षण के आधार पर पता चलता है कि घरेलू मांग में पिछले महीने से मई में कमजोर गति से विनिर्माण गतिविधि का विस्तार हुआ। ब्लूमबर्ग के सर्वे में जनवरी-मार्च 2018 के दौरान जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.4 फीसदी रहने की उम्मीद जताई गई थी।

पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी के अच्छे आंकड़ों से यह साफ हो जाता है कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है। जीडीपी के बेहतर आंकड़ों में इंडस्ट्री प्रोडक्शन का काफी हाथ रहा। इसके अलावा कोर सेक्टर की ग्रोथ भी अच्छी रही। चौथी तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.5 फीसदी रही, जो उम्मीद से बेहतर है।

* * *

चर्चा में क्यों?

- देश की जीडीपी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2017-18 की आखिरी तिमाही (जनवरी से मार्च) में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7 फीसदी रही है, जबकि 7.4 फीसदी का अनुमान लगाया जा रहा था। वहीं, पिछली तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2 फीसद रही थी।
- वहीं, वित्त वर्ष 2017-18 में जीवीए 6.5 फीसदी रहा है. आपको बता दें कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का यह पैमाना या जरिया है। गौरतलब है कि यह जीडीपी ग्रोथ रेट का बीती छह तिमाहियों में सबसे उम्दा प्रदर्शन है।
- चालू वित्त वर्ष (2017-18) की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में जीडीपी 6.3 फीसद और वहीं पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.7 फीसदी रही थी।

मुद्रास्फीति क्या है?

- मुद्रास्फीति (Inflation) जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं।
- अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक होती है, जबकि 2 से 3% की मुद्रास्फीति की दर अर्थव्यवस्था के लिये ठीक होती है।
- मुद्रास्फीति मुख्यत: दो कारणों से होती है, मांग कारक और मूल्य वृद्धि कारक से। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में मंदी आ जाती है।
- मुद्रास्फीति का मापन तीन प्रकार से किया जाता है:- थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं राष्ट्रीय आय विचलन विधि से।

अपस्फीति (Deflation) क्या है?

- अपस्फीति, मुद्रास्फीति की उलट स्थिति है। दरअसल, यह कीमतों में लगातार गिरावट आने की स्थिति है। जब मुद्रास्फीति दर शून्य फीसदी से भी नीचे चली जाती है, तब अपस्फीति की परिस्थितियाँ बनती है।
- अपस्फीति के माहौल में उत्पादों और सेवाओं के मूल्य में लगातार गिरावट होती है।
- लगातार कम होती कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता इस उम्मीद से खरीदारी और उपभोग के फैसले टालता रहता है कि कीमतों में और गिरावट आएगी।
- ऐसे में समूची आर्थिक गतिविधियाँ विरामावस्था में चली जाती हैं। मांग में कमी आने पर निवेश में भी गिरावट देखी जाती है।
- अपस्फीति का एक और साइड इफेक्ट बेरोजगारी बढ़ने के रूप में सामने आता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मांग का स्तर काफी घट जाता है। ऐसे में रोजगार की कमी मांग को और कम कर देती है, जिससे अपस्फीति को और तेजी मिलती है।

मुद्रास्फीति के प्रकार

- **मांग के कारण :** किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग के अनेक कारण हो सकते हैं जैसे उपभोग, निवेश और सरकार के द्वारा की गई मांग। जब पूर्ण रोजगार के स्तर पर समस्त मांग में वृद्धि होती है तो मांग और पूर्ति में अन्तराल पैदा होता है तो समस्त मांग और समस्त पूर्ति में यह अंतर जो मांग के कारण पैदा होती है, इसे ही मांग-जन्य स्फीति (Demand Pull Inflation) कहते हैं।
- **लागत के कारण :** जब स्फीति लागतों में वृद्धि के कारण पैदा होती है तो उसे लागत-जन्य स्फीति कहते हैं। श्रम की उत्पादकता की अपेक्षा उसकी मजदूरी में अधिक वृद्धि होना ही इस स्फीति का मुख्य कारण है। लागत में वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं जैसे दैनिक मजदूरी अधिक करवाना (Wage-push), अधिक लाभ की इच्छा (profit-push) और अन्य कारणों से!
- **संरचनात्मक स्फीति :** एक विकासशील अर्थव्यवस्था में यह स्फीति पैदा होती है, जब कृषि में आय से ज्यादा दूसरे क्षेत्र में वृद्धि अधिक होती है तथा जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी, प्रारंभिक मांग में वृद्धि होती है, परन्तु पूर्ति बे-लोच होने के कारण आपूर्ति नहीं बढ़ा पाते और कीमतों में वृद्धि होती है।
- संरचनात्मक स्फीति (Structural Inflation) पैदा होती है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं जैसे

GS World Committed To Excellence

सिंचाई व्यवस्था का न होना, वित्त का न होना, सही विपणन और वितरण का न होना और खराब फसलों का होना आदि।

- **मूल्य बढ़ाव स्फीति :** श्रम अपनी निर्वाह लागत से कुछ अधिक मूल्य-बढ़ाव की अपेक्षा करता है तथा एक व्यापारी भी अपनी लागतों के ऊपर एक लाभ की अपेक्षा करता है। इस प्रकार एक आनुपातिक कीमतें (मूल्य बढ़ाव स्फीति या Mark Up Inflation) निश्चित की जाती है!
- **खुली स्फीति (Open Inflation) :** जब बाजार में बिना किसी हस्तक्षेप के वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें निर्धारित होती है या जब बाजार स्वतंत्र के रूप में कार्य करते हैं तो इसे खुली स्फीति (Open Inflation) कहते हैं। यह पूर्णत: बाजार पर निर्भर करती है!
- **बंद या दमित या निरुद्ध स्फीति** (Suppressed Inflation) : जब खुली स्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं, जिसे हम बंद या दमित या निरुद्ध स्फीति (Suppressed Inflation) कहते हैं।
- **गतिहीन स्फीति** (Stagflation) : जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी या गतिहीनता के साथ-साथ स्फीति की ऊँची दर भी पाई जाती है तो उसे गतिहीन स्फीति (Stagflation) कहते हैं।
- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये मुख्य रूप से दो तरीकों को अपनाया जाता है:
  1. मौद्रिक नीति।
  2. राजकोषीय नीति।
- दरअसल, यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की सर्वाधिक प्रचलित नीति है। मौद्रिक नीति के जरिये मुद्रास्फीति में कमी लाने के लिये मुख्यत: तीन उपाय किये जाते हैं: बैंक दर नीति, कैश रिजर्व रेसियों (सीआरआर) और ओपन मार्केट ऑपरेशन्स।
- वहीं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के राजकोषीय नीतियों में शामिल है- कराधान, सरकारी खर्चा, पब्लिक बॉरोइंग आदि। इसके अलावा सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं जैसे दालें, अनाज और तेल आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना, कालाबाजारी रोकना भी राजकोषीय नीतियों का हिस्सा हैं।
- मौद्रिक नीति में सबसे महत्त्वपूर्ण है- बैंक दर नीति। यदि आरबीआई चाहता है कि बाजार में पैसे की आपूर्ति और तरलता बढ़े तो वह बैंक रेट को कम करेगा, वहीं यदि वह चाहता है कि बाजार में पैसे की आपूर्ति और तरलता कम हो तो वह बैंक रेट को बढ़ाएगा। मुद्रास्फीति बढ़ने के दौरान केन्द्रीय बैंक सामान्यत: रेपो रेट बढ़ाएगा और मुद्रास्फीति के कम होने के दौरान कम कर देगा।

हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति में अंतर

- हेडलाइन मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का कच्चा आँकड़ा है जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर तैयार की जाती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को भी शामिल किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति वह है जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है।
- दरअसल, कोर मुद्रास्फीति के आकलन में वैसे मदों पर ध्यान नहीं दिया जाता है जो किसी अर्थव्यवस्था में माँग और उत्पादन के पारंपरिक ढाँचे के बाहर हों, जैसे- पर्यावरणीय समस्याओं के कारण उत्पादन में देखी जानेवाली कमी। गौरतलब है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों के नीति-निर्माता अरसा पहले हेडलाइन मुद्रास्फीति पर ध्यान देना बंद कर चुके हैं। जैसा कि इन दिनों हमारे यहाँ हो रहा है।

WPI एवं CPI में क्या अंतर है?

- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का उपयोग थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाने के लिये किया जाता है। अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापना या पता लगाना वास्तव में असंभव है। इसलिये थोक मूल्य सूचकांक में एक नमूने को लेकर मुद्रास्फीति को मापा जाता है। इसके पश्चात एक आधार वर्ष तय किया जाता है जिसके सापेक्ष में वर्तमान मुद्रास्फीति को मापा जाता है।
- भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर महँगाई की गणना की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में मुद्रास्फीति की माप खुदरा स्तर पर की जाती है जिसमें उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं।

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. मुद्रास्फीति की अवधारणा के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि; कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि; कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार बढ़ोतरी; समय के साथ बनाए रखने वाली अर्थव्यवस्था में कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि; इन्हें मुद्रास्फीति कहते हैं।
2. यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ गया है, तो यह मुद्रास्फीति नहीं है; मुद्रास्फीति तभी होती है जब अधिकांश सामानों की कीमतें बढ़ जाती हैं।

निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2 मुद्रास्फीति की विपरीत स्थिति है:

(a) अपस्फीति
(b) मुद्रास्फीति जनित मंदी
(c) अतिस्फीति
(d) उपर्युक्त सभी

3. मुद्रास्फीति की दर के माप के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. मुद्रास्फीति की दर मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है जो दो प्रकार के अर्थात थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) हैं।
2. एक मूल्य सूचकांक कीमतों के औसत स्तर का माप है।
3 मूल्य सूचकांक किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य वृद्धि या गिरावट को दर्शाता है।

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

4. मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?

1. थोक मूल्य सूचकांक
2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
3. व्यक्तियों की खरीद शक्ति

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

नोट : 01 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. जीडीपी के ताजा आंकड़ो से साफ है कि देश की अर्थव्यवस्था अब नोटबंदी और जीएसटी के झटके से उबर कर मजबूती की राह पर है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(250 शब्द)

With the latest data of the GDP, it is clear that the country's economy is now on the path of recovery by cutting demonetisation and GST shocks. Critically examine this statement.

(250 words)

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस : एक समग्र विश्लेषण

04 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य) से संबंधित है।

*''हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में तंबाकू धूम्रपान के प्रसार का प्रतिशत वर्ष 2000 में 19.4% से घटकर 2005 में 11.5% हो गया।' इस कथन के संदर्भ में अंग्रेजी समाचार पत्र **'द हिन्दू' और 'इंडियन एक्सप्रेस'** में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे **GS World** टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

द हिन्दू
(चबाने योग्य तम्बाकू के सेवन पर)

''भारत सिगरेट के उपयोग को रोकने के सन्दर्भ में सही दिशा में कार्य कर रहा है, लेकिन चबाने वाले तम्बाकू के संबंध में स्थिति काफी चिंतित करने वाली है।''

विश्व तंबाकू निषेध दिवस (31 मई) के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि धूम्रपान के प्रसार में कटौती करने में भारत का प्रयास काफी सराहनीय हैं। 2000 और 2015 के बीच, यह 19.4% से 11.5% तक गिर गया है।

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत 2025 तक गैर-संक्रमणीय बीमारियों से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ के वैश्विक योजना के तहत 2025 के लक्ष्य को अच्छी तरह से पूरा करने में सफल हो जायेगा। निश्चित तौर पर यह राहत देने वाली खबर है, जो यह दर्शाता है कि देश में धुएं रहित तम्बाकू एक बड़ा संकट बन चुका है।

वैश्विक डेटा की कमी के कारण डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट इस सेगमेंट में उपयोग के रुझानों का अनुसरण नहीं करती है। हालांकि, अन्य आंकड़ों से पता चलता है कि भारत इस मोर्चे पर पीछे छूट गया है।

इंडियन एक्सप्रेस
(तंबाकू के सेवन में गिरावट लेकिन पर्याप्त नहीं : डब्ल्यू.एच.ओ. रिपोर्ट

विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2018 के लिए, डब्ल्यूएचओ ने विश्व हृदय संघ के साथ हाथ मिलाकर तंबाकू और हृदय रोग (सीवीडी) के बीच संबंध को उजागर करने का प्रयास किया है जो दुनिया भर में मृत्यु का प्रमुख कारण है, जिसमें सभी एनसीडी (गैर-संक्रमणीय बीमारियों) का 44 प्रतिशत या सालाना 17.9 मिलियन मौतें शामिल है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एक नई डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट के अनुसार 2000 से तंबाकू के उपयोग में कमी आई है, लेकिन लोगों को हृदय रोग और अन्य एनसीडी जैसे बीमारियों के खतरे से बचाने के वैश्विक लक्ष्य के उद्देश्य में कमी आई है।

एक तरफ तम्बाकू का उपयोग और दूसरी तरफ धूम्रपान का जोखिम हृदय रोग के प्रमुख कारण बनते हैं, जिसमें दिल का दौरा पड़ना शामिल हैं, जो प्रति वर्ष लगभग 3 मिलियन मौत का कारण बनते हैं। लेकिन सबूत तंबाकू से जुड़े कई स्वास्थ्य जोखिमों के ज्ञान की गंभीर कमी का खुलासा करते हैं। विश्व स्तर पर अपने उपयोग में लगातार कमी के बावजूद तंबाकू हर साल सात मिलियन से ज्यादा लोगों की जान लेता है।

यद्यपि सरकार द्वारा वर्ष 2011 में तंबाकू या निकोटीन के साथ खाद्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, गुटखा, खैनी और जरदा का सेवन अपने चरम पर है। उदाहरण के लिए, 2016 में वैश्विक प्रौढ़ तंबाकू सर्वेक्षण ने पाया कि भारतीय पुरुषों द्वारा 29.6% और भारतीय महिलाओं द्वारा 12.8% इसका सेवन किया जाता है।

यहाँ तक कि बच्चे भी इस घातक लत का शिकार बन चुके है और इससे पीड़ित हैं। डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट में कहा गया है कि 7.9 मिलियन किशोर, 13 से 15 साल के बीच, दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में धुएं रहित तम्बाकू का सेवन करते है।

यह देखते हुए कि विश्व भर में 66% धुएं रहित-तंबाकू के उपयोगकर्ता भारत में हैं, तो ये यह भी दर्शाता है कि इस संख्या का एक बड़े हिस्से में भारतीय किशोर भी शामिल है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, धूम्रपान (सिगरेट) की दरों में गिरावट भारत को थोड़ी राहत जरूर प्रदान करती है।

गुटखा और अन्य चबाने वाले तम्बाकू समान रूप से सिगरेट की तुलना में हानिकारक हैं। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि इन उत्पादों को कभी-कभी नाइट्रोसामाइन्स नामक कैंसरजन्य या कासीनजन यौगिकों (carcinogenic compound) के साथ मिश्रित किया जाता है। यही कारण है कि भारत ने 2011 की खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के तहत इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।

अब सवाल उठता है कि फिर वे इसका सेवन क्यों करते हैं? विशेषज्ञों की मानें तो उन्होंने इससे संबंधित कानून में कमियों को सबसे बड़ा कारण माना है। खाद्य सुरक्षा नियम प्री-मिश्रित तंबाकू उत्पादों को लक्षित करते हैं, जैसे गुटका, जिसमें नींबू, चीनी और अन्य मसाले होते हैं। इसकी पत्तियां बेस्वाद होती है जैसे, खैनी या सुरती जो विनियामक के परिधि से बाहर होती है।

इस बीच, धुएं रहित तंबाकू की गलत व्याख्या भी सामान्य है। यहां तक कि जब एक उत्पाद में तम्बाकू होता है, तब भी इसे तंबाकू मुक्त होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। इससे भी बदतर, तम्बाकू उद्योग की रणनीतियों में से एक यह है कि युवाओं को आकर्षित करने के लिए इलायची और केसर जैसे स्वादों का उपयोग करना, जीवनभर की लत लगाने को प्रेरित करता है।

डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च आय वाले देशों में सिगरेट के उपयोग का दर गिर चुका है, इसलिए तंबाकू उद्योग ने युवा उपयोगकर्ताओं को राजस्व की कमी के लिए लक्षित करने का मन बना लिया है।

हालांकि यह प्रवृत्ति धूम्रपान पर लागू होती है, इस बात का सबूत है कि बच्चे भी चबाने वाले तंबाकू उद्योग के लक्ष्य का हिस्सा बन चुके हैं। सही रास्ते पर धूम्रपान के खिलाफ अपने युद्ध के साथ, भारत को अपना ध्यान धुएं रहित तम्बाकू पर भी विशेष रूप से डालना चाहिए। चुनौती बड़ी है, लेकिन इसका फायेदा भी काफी बड़ा होगा।

* * *

जबकि बहुत से लोग जानते हैं कि तंबाकू के उपयोग से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कई देशों में, इस सन्दर्भ में जागरूकता पर्याप्त नहीं है; उदाहरण के लिए, वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण (जीएटीएस) के मुताबिक, चीन में, 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी धूम्रपान से दिल का दौरा पड़ सकता है, इस बात से अनजान है। भारत और इंडोनेशिया में, आधे से अधिक वयस्कों को नहीं पता कि धूम्रपान से स्ट्रोक हो सकता है। नई रिपोर्ट में और भी कई तथ्य दिए गये हैं, अर्थात आज दुनिया में 1.1 अरब वयस्क धूम्रपान करने वालें और कम से कम 367 मिलियन धूम्रपान रहित तंबाकू का सेवन करने वाले हैं। दुनिया में धूम्रपान करने वालों की संख्या मुश्किल से इस शताब्दी में बदली है: 2000 में यह 1.1 अरब था। यह जनसंख्या वृद्धि के कारण है, जिसके कारण प्रसार दर में कमी दिख रही है। देखा जाये तो वर्ष 2000 में 15 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष 2015 में 34 प्रतिशत की तुलना में 43 प्रतिशत तंबाकू धूम्रपान का सेवन किया करते थे। महिलाओं के लिए, 2015 में 11 प्रतिशत की कमी हुई, जो 2015 में 6 प्रतिशत थी।

धुएं रहित तंबाकू: 15 साल की वैश्विक आबादी का लगभग 6.5 प्रतिशत और धुएं रहित तम्बाकू (8.4 प्रतिशत पुरुष और 4.6 प्रतिशत महिलाएं) का उपयोग करते हैं। डब्ल्यूएचओ के सभी सदस्यों के आधे से अधिक देशों ने तम्बाकू की मांग कम कर दी है और लगभग आठ में से एक के द्वारा 2025 तक 30 प्रतिशत कटौती लक्ष्य को पूरा करने की संभावना है। वर्तमान में, चार देशों में से एक के पास अपने तम्बाकू से संबंधित समस्या की निगरानी करने के लिए अपर्याप्त डेटा उपलब्ध है।

दुनिया भर में, लगभग 7 प्रतिशत, या 13-15 वर्ष से अधिक उम्र के 24 मिलियन बच्चे धूम्रपान सिगरेट (17 मिलियन लड़के और 7 मिलियन लड़कियां) धूम्रपान करते हैं। 13-15 साल (13 मिलियन) आयु वर्ग के लगभग 4 प्रतिशत बच्चे धुएं रहित तम्बाकू उत्पादों का उपयोग करते हैं। 80 प्रतिशत से अधिक तंबाकू धूम्रपान करने वालों को कम और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसीएस) में रहते हैं। उच्च आय वाले देशों की तुलना में एलएमआईसी में धूम्रपान की मात्रा धीरे-धीरे घट रही है और कम आय वाले देशों में धूम्रपान करने वालों की संख्या बढ़ रही है। यह आमतौर पर ज्ञात है कि धूम्रपान से हृदय रोग का खतरा बढ़ता है लेकिन तथ्य यह भी है कि तम्बाकू के धुएं रहित समान रूप से हानिकारक होते हैं।

जीएटीएस -2 2016-17 के अनुसार, भारत में धुएं रहित तम्बाकू की खपत धूम्रपान तम्बाकू से कहीं अधिक है। आंकड़ों से पता चलता है कि 42.4 प्रतिशत पुरुष, 14.2 प्रतिशत महिलाएं और सभी वयस्कों में से 28.6 प्रतिशत वर्तमान में धूम्रपान करते हैं और धुएं रहित तम्बाकू का उपयोग करते हैं। आंकड़ों के अनुसार, 19 प्रतिशत पुरुष, 2 प्रतिशत महिलाएं और 10.7 प्रतिशत वयस्क सभी तंबाकू धूम्रपान करते हैं, जबकि 29.6 प्रतिशत पुरुष, 12.8 प्रतिशत महिलाएं और 21.4 प्रतिशत महिलाएं वर्तमान में धुएं रहित तम्बाकू का उपयोग करती हैं।

महाराष्ट्र में, जीएटीएस -2 के अनुसार, 35.5 प्रतिशत पुरुष, 17 प्रतिशत महिलाएं और वर्तमान में 26.6 प्रतिशत वयस्क धूम्रपान या तंबाकू का उपयोग करते है। आंकड़ों के अनुसार, 6 प्रतिशत पुरुष, 1.4 प्रतिशत महिलाएं और 3.8 प्रतिशत वयस्क सभी तंबाकू धूम्रपान करते हैं, जबकि 31.7 प्रतिशत पुरुष, 16.6 प्रतिशत महिलाएं और 24.4 प्रतिशत महिलाएं वर्तमान में धुएं रहित तम्बाकू का उपयोग करती हैं।

* * *

GS World
Committed To Excellence

चर्चा में क्यों?

- विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, 2018 को विश्व भर में मनाया गया। तंबाकू उत्पादों का अवैध व्यापार स्वास्थ्य, कानूनी और आर्थिक, शासन और भ्रष्टाचार सहित प्रमुख वैश्विक चिंता का विषय है।
- विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2018 का थीम: तंबाकू और हृदय रोग (Tobacco and heart disease)

उद्देश्य

- लोगों पर इसकी जटिलताओं के साथ ही तंबाकू इस्तेमाल के नुकसानदायक प्रभाव के संदेश को फैलाने के लिये वैश्विक तौर पर लोगों का ध्यान खींचना इस उत्सव का लक्ष्य है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सभी देशों से तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने की अपील की है, ताकि नये लोगों को तंबाकू सेवन का आदी होने से बचाया जा सके।
- यह दिन सभी रूपों में तंबाकू की और तंबाकू की खपत को कम करने के लिए प्रभावी नीतियों की वकालत करता है और तंबाकू खपत से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रकाश डालता है।

क्यों मनाया जाता है?

- पूरे विश्व के लोगों को तंबाकू मुक्त और स्वस्थ बनाने के लिये तथा सभी स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिये तंबाकू चबाने या धूम्रपान के द्वारा होने वाले सभी परेशानियों से बचाने हेतु विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने वर्ष 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाये जाने की घोषणा की थी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के आधार पर इस समय समूचे विश्व में प्रतिवर्ष 50 लाख से अधिक व्यक्ति धूम्रपान के सेवन के कारण अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यदि इस समस्या को नियंत्रित करने की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो वर्ष 2030 में धूम्रपान के सेवन से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिवर्ष 80 लाख से अधिक हो जायेगी।
- तंबाकू उत्पादों पर 50 प्रतिशत की कर बढ़ोत्तरी से तीन वर्षों में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या घटकर 49 मिलियन हो जाएगी और इस प्रकार 11 मिलियन लोगों का जीवन बचा सकते हैं।
- तंबाकू के सेवन से हर वर्ष 10 में कम से कम एक व्यक्ति की मौत जरुर हो जाती है, जबकि पूरे विश्व भर में 1.3 बिलियन लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं।
- वर्ष 2020 तक 20-25% तंबाकू के इस्तेमाल को घटाने के द्वारा हम लगभग 100 मिलियन लोगों की असामयिक मृत्यु को नियंत्रित कर सकते हैं।
- डब्ल्यूएचओ आकड़ों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष छह मिलियन लोग तंबाकू के सेवन के कारण मर जाते हैं।

तंबाकू से जुड़े कुछ तथ्य

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया के करीब 125 देशों में तंबाकू का उत्पादन होता है।
2. दुनियाभर में हर साल करीब 5.5 खरब सिगरेट का उत्पादन होता है और एक अरब से ज्यादा लोग इसका सेवन करते हैं।
3. रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 80 फीसदी पुरुष तंबाकू का सेवन करते हैं, लेकिन कुछ देशों में महिलाओं में धूम्रपान करने की आदत काफी बढ़ी है।
4. दुनियाभर में धूम्रपान करने वालों का करीब 10 फीसदी भारत में है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 25 हजार लोग गुटखा, बीडी, सिगरेट, हुक्का आदि के जरिये तंबाकू का सेवन करते हैं।
5. भारत में 10 अरब सिगरेट और 72 करोड़ 50 लाख किलो तंबाकू का उत्पादन होता है।
6. भारत तंबाकू निर्यात के मामले में ब्राजील, चीन, अमेरिका, मलावी और इटली के बाद छठे नंबर पर है।
7. विकासशील देशों में हर साल 8 हजार बच्चों की मौत अभिभावकों द्वारा किए जाने वाले धूम्रपान के कारण होती है।
8. दुनिया के किसी अन्य देश के मुकाबले में भारत में तंबाकू से होने वाली बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है।
9. किसी भी प्रकार का धूम्रपान 90 प्रतिशत से अधिक फेफड़े के कैंसर, ब्रेन हेमरेज और पक्षाघात का प्रमुख कारण है।
10. सिगरेट व तंबाकू- मुंह , मेरूदंड, कंठ और मूत्राशय के कैंसर के रूप में प्रभावी होता है।
11. सिगरेट व तंबाकू में मौजूद कैंसरजन्य पदार्थ शरीर की कोशिकाओं के विकास को रोककर उनके नष्ट होने और कैंसर के बनने में मदद करता है।

GS World Committed To Excellence

12. लंबे समय तक धूम्रपान करने से मुंह, गर्भाशय, गुर्दे और पाचक ग्रंथि में कैंसर होने की अत्यधिक संभावना होती है।
13. धूम्रपान का सेवन और न चाहते हुए भी उसके धुंए का सामना, हृदय और मस्तिष्क की बीमारियों का मुख्य कारण है।
14. धूम्रपान के धूएं में मौजूद निकोटीन, कार्बन मोनो आक्साइड जैसे पदार्थ हृदय, ग्रंथियों और धमनियों से संबंधित रोगों के कारण हैं।

निकोटिन का दुष्प्रभाव

- तंबाकू में हजारों तरह के रासायनिक तत्व या केमिकल्स होते हैं, जिसमें से कई तत्व कैंसर बनने का कारण बनते हैं।
- तंबाकू में निकोटिन भी पाई जाती है, जो शरीर के लिए नुकसानदेह पदार्थ है।
- गौरतलब है कि निकोटिन के कारण ही तंबाकू खाने की तलब लगती है।
- तंबाकू का सेवन सबसे ज्यादा मुंह के कैंसर के खतरे को बढ़ाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में अवस्थित है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है। इसकी पूर्ववर्ती संस्था 'स्वास्थ्य संगठन' लीग ऑफ नेशंस की एजेंसी थी।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. डब्ल्यू.एच.ओ. के रिपोर्ट के अनुसार भारत में धूमपान करने वालों के स्तर में 19.4% से 13.5% की कमी आई है।
2. इस वर्ष विश्व तम्बाकू निषेध दिवस का थीम, तम्बाकू और हृदय रोग था।
3. विश्व में प्रत्येक 7वां व्यक्ति धूमपान करता है और भारत में 275 मिलियन लोग तम्बाकू का सेवन करते है।
4. ग्लोबल एडल्ट तम्बाकू सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार, वर्तमान में भ. ारत में 42.4% पुरूष, 14.2% महिलाएं और सभी वयस्कों में 28.8% धूम्रपान या धुआं रहित तम्बाकू का सेवन करते हैं।

कूट :

(a) केवल 1 और 2
(b) 1, 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) केवल 2, 3 और 4

नोट : 02 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(a), 3 (b), 4 (d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''WHO के अनुसार भारत ने सिगरेट के उपयोग के संदर्भ में बेहतर काम किया है, परन्तु चबाने वाले तम्बाकू के संदर्भ में इसकी स्थिति दयनीय है।'' इसके नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करते हुए यह बताए कि इसके बढ़ोतरी के लिए कौन-से कारक जिम्मेदार है?

(250 शब्द)

"According to WHO, India has performed better in the use of cigarett, but its condition is pathetic regarding chewing tobacco." Discuss its negative effects and describe that which factors are responsible for its promotion?

(250 Words)

शासन और राज्यपाल

05 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक-
अग्निदीप्तो तारापदर (सहायक प्रोफेसर, पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, कोलकाता)

''कुछ लोगों द्वारा कार्यालय का दुरुपयोग किया जाना यह साबित नहीं करता कि इस प्रणाली को पूरी तरह से हटा दिया जाए। इसके लिए हमें उचित जांच की जरूरत है।''

कुछ दिनों पहले, 'क्या हमें राज्यपाल के कार्यालय की आवश्यकता है?' नामक आलेख (संपादकीय पृष्ठ, 24 मई, 2018), में संवैधानिक पद के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया था जो अभी चर्चा का विषय बन चुका है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकारी गठन पर विकास के परिणामस्वरूप यह मुद्दा राज्यपाल की भूमिका के सन्दर्भ में कई सवाल उठाता है।

एक पर्यवेक्षक

संवैधानिक योजना के तहत, राज्यपाल का जनादेश पर्याप्त है। जहाँ इनका कार्य केंद्र सरकार के गठन के साथ कार्य करना, राज्य में संवैधानिक मशीनरी के टूटने पर रिपोर्ट करना, केंद्र और राज्य के बीच कमांड की श्रृंखला को बनाए रखना, साथ ही ये राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिलों को अपनी सहमति को भी आरक्षित कर सकते हैं और आवश्यकता होने पर अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। इसके अलावा, अनुच्छेद 355 के तहत, एक राज्य में केंद्रीय प्राधिकरण होने के कारण राज्यपाल इस संबंध में एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है।

वर्तमान में समस्या यह है कि केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के आदेश पर आमतौर पर गवर्नर के पद की स्थिति का दुरुपयोग किया जा रहा है। मूल नियुक्ति की प्रक्रिया में निहित है। आज आलम यह है कि राजनीतिज्ञों के लिए राजनीतिक रूप से वफादार होने के लिए इस पद को सेवानिवृत्ति पैकेज बना दिया गया है।

नतीजतन, एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए उम्मीदवार को संवैधानिक रूप से अनिवार्य तटस्थ सीट की आवश्यकताओं को समायोजित करना कई मुश्किलों का निर्माण कर सकता है। जिसका उदाहरण हम कर्नाटक में हुए चुनाव के रूप में देख सकते हैं।

एक संभावित समाधान यह हो सकता है कि इस पद के लिए राजनेताओं को नामित नहीं किया जाये और इस पद के लिए अन्य क्षेत्रों से 'प्रतिष्ठित व्यक्तियों' का चयन किया जाये। दोनों सरकारिया और मदन मोहन पुंछी आयोग ने इस संबंध में अपने संकेत दिए थे। लेकिन यह बुद्धिजीवियों के भीतर एक चापलूसी करने की संभावना का भी निर्माण कर सकता है।

दूसरी तरफ, ऐसे राजनेताओं के भी उदाहरण मौजूद हैं जो पक्षपातपूर्ण राजनीति से ऊपर उठ कर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और बिना भय या पक्षपात किये अपनी भूमिका निभाई। इसके उदहारण के लिए हम पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, पूर्व लोकसभा सभापति सोमनाथ चटर्जी और पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी का जिक्र कर सकते हैं।

इसके अलावा, हम 2010 की बी.पी. सिंघल बनाम भारतीय संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर सकते हैं, जहाँ संविधान के अनुच्छेद 156 की व्याख्या की गयी और उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले गवर्नरों के मनमाने ढंग से हटाने पर कड़े आदेश दिए गये। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे गवर्नर्स का एक निश्चित कार्यकाल केंद्र में विवाद के बिना अपने कर्तव्यों के निर्वहन में तटस्थता और निष्पक्षता को प्रोत्साहित करने में काफी दूर जा सकता है।

निस्संदेह, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा गवर्नर संबंधित विवेकाधिकार के प्रयोग से संबंधित है। राज्यपाल के पास चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी/गठबंधन को आमंत्रित करने का कार्य है; राज्य में संविधान के भंग होने के मामले में सरकार की बर्खास्तगी की देखरेख; और, अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, राष्ट्रपति शासन को लागू करने की सिफारिश का अधिकार है।

देखा जाये तो राज्य सरकारों द्वारा 'उनके विद्रोहियों' को बर्खास्त करते हुए अक्सर दुरुपयोग किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में इस मसले पर गहनता से जांच की गयी थी। सरकारिया आयोग की सिफारिशों के बाद, अदालत ने रेखांकित किया है कि संवैधानिक तंत्र का टूटना एक आभासी असंभवता में निहित है जो राज्य में शासन को कठिन बना देता है।

देखा जाये तो इस तरह के भंग होने के संबंध में राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक संतुष्टि न्यायिक जांच से परे थी, इस मामले में राज्यपाल की रिपोर्ट समेत न्यायपालिका द्वारा इस तरह की संतुष्टि का निश्चित रूप से विश्लेषण किया जा सकता था।

इस रिपोर्ट को घोषित करने और बर्खास्त सरकार को बहाल करने की शक्ति आरक्षित है। सरकार बनाने के लिए पार्टी को आमंत्रित करने में गवर्नर के विवेकाधिकार के मामले में भी यही विचार बढ़ाया जा सकता है।

महत्वपूर्ण लिंक

भारत में, सत्ता में संतुलन संघ की ओर झुका हुआ है। राज्यपाल की स्थिति का महत्व असाधारण परिस्थितियों से संबंधित नहीं है जो उनके विवेकाधिकार के उपयोग को जरूरी बनाता है, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच प्रभावी संचार बनाए रखने में इस संघीय संरचना के भीतर एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में जरूर है।

एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो संवैधानिक संकट के समय भी राज्य में शासन की निरंतरता सुनिश्चित करता है, उनकी भूमिका अक्सर सरकार के विभिन्न स्तरों के भीतर और समुदाय के विवेक के रूप में अनौपचारिक रूप से सुलझाने वाले विवादों में एक तटस्थ मध्यस्थता की होती है।

वर्तमान राजनीतिक माहौल में - गोवा, मणिपुर और कर्नाटक उदाहरण के तौर पर- यह सुझाव देना स्वाभाविक प्रतीत होता है कि राज्यपाल के पद ने इसकी उपयोगिता से बाहर निकल चुका है। हालांकि, कुछ लोगों द्वारा कार्यालय का दुरुपयोग किया जाना यह साबित नहीं करता कि इस प्रणाली को पूरी तरह से हटा दिया जाए। इसके लिए हमें उचित जांच की जरूरत है।

* * *

GS World टीम...

क्या है मामला?

- हाल ही में कर्नाटक में हुए चुनाव के बाद राज्यपाल वजुभाई वाला, भाजपा तथा कांग्रेस-जद (एस) के बीच चले खेल ने हमारे शासकों के लोकतांत्रिक स्वभाव को उजागर कर दिया है। राजनीतिक स्तर पर शासन प्रत्यक्ष-परोक्ष सौदेबाजी का साधन बन गया है। संवैधानिक स्तर पर बेंगलूर की घटनाओं ने राज्यपाल की भूमिका पर पुनः प्रश्न चिह्न लगा दिया है।

राज्यपाल

- अनुच्छेद 153 के अनुसार हर एक राज्य में एक राज्यपाल होना जरुरी होता है।

कैसे चुने जाते हैं राज्यपाल?

- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है।

कौन दिलाता है शपथ?

- उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।

क्या राज्यपाल को हटाया या स्थान्तरित भी किया जा सकता है?

- जी हाँ राष्ट्रपति अगर चाहे तो राज्यपाल को अवधि से पहले ही हटा सकते हैं या फिर दूसरे राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं, अनुच्छेद 156 के अनुसार।

राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए?

1. भारत का नागरिक होना चाहिए
2. कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए
3. संसद अथवा राज्य के किसी भी विधानमंडल का सदस्य न हो
4. किसी भी लाभ के पद पर न हो
5. राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए
6. राज्य के स्थानीय घनिष्ठ राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए

राज्यपाल की प्रमुख संवैधानिक शक्तियाँ

- अनुच्छेद 153 में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा।
- अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी।
- अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है।
- अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि निर्धारित की गई है।
- अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को मिली क्षमादान आदि शक्तियों का उल्लेख है।
- अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिये राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, लेकिन राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिये बाध्य नहीं होगा।
- अनुच्छेद 164(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है।
- अनुच्छेद 213(1) में राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन है।

स्वविवेकीय शक्तियाँ

- कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है और ऐसे मामलों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है।
- विदित हो कि भारतीय संविधान में केवल राज्यपाल को ही स्वविवेक की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन संविधान में इन शक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है और इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं तथा न्यायालय इन शक्तियों पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा सकता।
- राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर आसीन होने के बाद किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
- 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति के लिये मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई, लेकिन राज्यपाल के लिये इस तरह का कोई उपबंध नहीं है।

बोम्मई फैसला

- सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐसे फैसले हैं, जिनका समाज और राजनीति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं में से एक है- 11 मार्च, 1994 को दिया गया राज्यों में सरकारें भंग करने की केंद्र सरकार की शक्ति को कम करने वाला ऐतिहासिक फैसला।

- सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के व्यापक दुरुपयोग पर विराम लगा दिया।
- धारा 356 के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिये दिये गए इस फैसले को बोम्मई जजमेंट के नाम से जाना जाता है।
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई के फोन टैपिंग मामले में फँसने के बाद तत्कालीन राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा था।
- नजीर माने जाने वाले इस फैसले में न्यायालय ने कहा, ''किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिये। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना होगा।''
- इस मामले में 9-सदस्यीय संविधान पीठ ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में दिशा-निर्देश तय किये।

राज्यपालों की भूमिका पर समितियों व आयोगों की अनुशंसाएँ

- केंद्र-राज्यों के संबंधों पर अब तक तीन आयोग और दो समितियाँ गठित की जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद राज्यपाल का पद विवाद से बाहर नहीं आ पाया है। 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग, 1969 में राजमन्नार समिति, 1970 में भगवान सहाय समिति और 1988 में सरकारिया आयोग तथा 2011 में पुंछी आयोग ने राज्यपालों की भूमिका को लेकर कई प्रकार की सिफारिशें दी थीं।
- राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से हो इसके लिये संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन किया जाए।
- राज्यपाल द्वारा अपने स्वविवेक के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का पर्याप्त स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।
- इस संवैधानिक प्रावधान को तत्काल निरस्त कर देना चाहिये कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगी।
- विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल को विधानसभा का अधिवेशन बुलाना चाहिये और अधिवेशन में बहुमत से चुने गए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिये।
- राज्यपाल के पद पर नियुक्त किये जाने वाला व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से होना चाहिये।
- राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाने वाले व्यक्ति ने राजनीति, विशेषकर उस राज्य की राजनीति में अधिक भाग न लिया हो।
- जिस राज्य में विपक्षी दल की सरकार हो वहाँ केंद्र में शासक दल के किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये।

सरकारिया आयोग

- सरकारिया आयोग का गठन जून, 1983 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजिन्दर सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
- कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई ने अपनी सरकार की बर्खास्तगी को 1989 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के उनके आग्रह को राज्यपाल द्वारा ठुकरा देने के निर्णय पर सवाल उठाया था।
- सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय एक पीठ ने बोम्मई मामले में मार्च, 1994 में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और राज्यों में केंद्रीय शासन लागू करने के संदर्भ में दिशा-निर्देश तय कर दिये थे।
- न्यायमूर्ति राजिन्दर सिंह सरकारिया ने केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यों में संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाने की स्थितियों की व्यापक समीक्षा की और 1988 में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस संदर्भ में समग्र दिशा-निर्देश सामने रखे।

राज्यपाल के सम्बंध में सिफारिशें

- राज्यपाल के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति को राज्य, जिसमें वह नियुक्त किया जाए, के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए तथा उसे राज्य की राजनीति में रुचि नहीं रखना चाहिए। उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो सामान्य रूप से या विशेष रूप से नियुक्त किये जाने के पहले राजनीति में सक्रिय भाग न ले रहा हो।
- राज्यपाल का चयन करते समय अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को समुचित अवसर दिया जाना चाहिए।
- राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति का चयन करते समय राज्य के मुख्यमंत्री से प्रभावी सलाह लेने की प्रक्रिया को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए।
- किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, जो कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल का सदस्य हो, जिसमें शासन किसी अन्य दल के द्वारा चलाया जा रहा हो।
- यदि राजनीतिक कारणों से किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था टूट रही हो, तो राज्यपाल को यह देखना चाहिए कि क्या उस राज्य में विधानसभा में बहुमत वाली सरकार का गठन हो सकता है।
- यदि नीति सम्बन्धी किसी प्रश्न पर राज्य की सरकार विधानसभा में पराजित हो जाती है तो शीघ्र चुनाव कराये जा सकने की स्थिति में राज्यपाल को चुनाव तक पुराने मंत्रीमण्डल को कार्यकारी सरकार के रूप में कार्य करते रहने देना चाहिए।
- यदि राज्य सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तो राज्यपाल को सबसे बड़े विरोधी दल को सरकार बनाने का आमंत्रण देना चाहिए, और विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश देना चाहिए। यदि सबसे बड़ा दल सरकार गठित करने की स्थिति में न हो, तो राज्यपाल को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करनी चाहिए।

* * *

Civil World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. 7 वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
2. राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता हैं।
3. संविधान का भाग-VI जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 3
(c) 2 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

2. निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA) के तहत एक क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है?

(a) भारत के राष्ट्रपति
(b) राज्य के गवर्नर
(c) (a) और (b) दोनों
(d) सशस्त्र बलों को

3. निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तों के बारे में सत्य नहीं है?

1. एक राज्यपाल अन्य राज्य के राज्यपाल के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में कार्य कर सकता है।
2. राज्यपाल को किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
3. एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
4. राज्यपाल अपने आधिकारिक कृत्यों के संबंध में किसी भी देनदारियों से व्यक्तिगत रूप से प्रतिरक्षित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए-

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 3
(d) उपर्युक्त सभी

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''हाल ही में राज्यपाल की भूमिका पर उठ रहे विवाद से संकेत मिलता है कि हम अभी भी संवैधानिकता, लोकतांत्रिक मानदंड और राजनीतिक नैतिकता में अंतर निर्धारित करने में असमर्थ रहे है।'' भारतीय राजनीति में राज्यपाल का पद क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़े मुद्दे और विवाद क्या हैं? चर्चा करे।

(250 शब्द)

"The recent debate over the role of the governor indicates that we are still unable to distinguish between constitutionalism, democratic norms and political ethics." Why is the post of governor important in Indian politics? What are the issues and dispute related to the governor's appointment in India? Discuss.

(250 words)

प्लास्टिक में जीवन : अपशिष्ट प्रबंधन ढांचे पर

06 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

द हिन्दू

महासागरों में जाने वाले प्लास्टिक कचरे के एक प्रमुख निर्माता के रूप में, भारत विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करने के लिए तर्कसंगत रूप से सबसे अच्छी जगह है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार का मतलब व्यापार है और संयुक्त राष्ट्र का विषय, 'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन' (Beat Plastic Pollution) (प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं), ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगा।

देखा जाए तो भारत ने अपशिष्ट प्रबंधन पर अपने नियमों को गंभीरता से लिया है और उनका यह दावा इसी आत्मविश्वास से प्रेरित मालूम पड़ता है। लेकिन तथ्य यह भी है कि 2016 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम दोनों, जो पिछले नियमों पर ही बने थे, ज्यादातर कागज पर ही रह गये।

राज्य सरकारों द्वारा इसे आवश्यक नहीं समझा, जिसके कारण प्लास्टिक सामग्री के उपयोगकर्ता, जो हमेशा कुछ ही मिनटों के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसके नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंता करना छोड़ दिया हैं।

केंद्र का कुछ हद तक उदार अनुमान यह दर्शाता है कि प्रतिदिन उत्पन्न लगभग 25,000 टन प्लास्टिक कचरे का 60% से अधिक कचरे को एकत्र किया जाता है। इसका सापेक्ष मतलब यह हुआ कि पर्यावरण में 10,000 टन कचरा रोज भेजा जा रहा है, जिसमें से बहुत सारे समुद्र में भी जा रहे हैं। इसके अलावा, प्रणाली द्वारा एकत्र प्लास्टिक के हर टुकड़े वैज्ञानिक रूप से संसाधित नहीं है।

इसलिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी प्रणाली दुनिया भर में 10 नदियों के संयुक्त राष्ट्र मानचित्र पर है जो सामूहिक रूप से प्लास्टिक कचरे के बड़े हिस्से को महासागरों में ले जाती है। प्रभाव स्पष्ट हैं: वे समुद्री जीवन और लोगों के जीवन को खतरे में डालते हैं, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक अब पीने के पानी में भी पाए जाने लगे हैं।

संकट के प्रति उनकी प्रतिक्रिया में, समुदायों और पर्यावरण के ज्ञानी व्यक्ति सरकारों और नगरपालिकाओं के अधिकारियों से काफी आगे हैं। वे घर पर अपशिष्ट, खाद को अलग करते हैं, 'प्लास्टिक मुक्त' सामाजिक घटनाओं का संचालन करते हैं और उन सामग्रियों को पुन: प्राप्त करने में मदद करते हैं जो अन्यथा उपनगरों और नदियों में फेक दिया जाता है।

लेकिन, उनक प्रयास काफी नहीं होगा जब तक व्यवस्थित सुधार कर नहीं किया जाता हैं। और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केंद्र की है कि वे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, अतिव्यापी कानून जो प्रदूषण विरोधी नियमों को लागू करता है, उसे बेहतर तरीके से लागू करे।

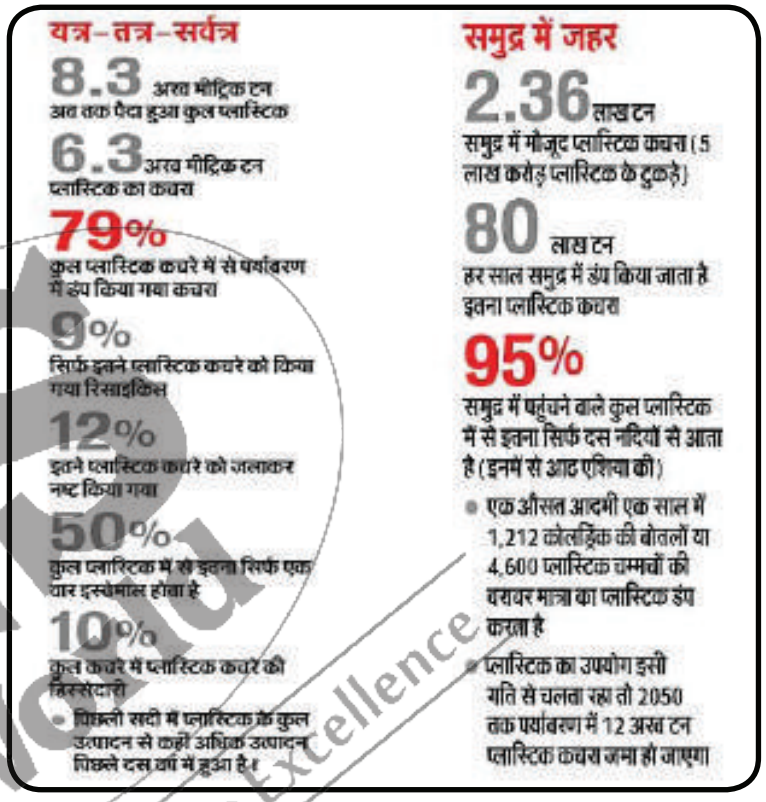

आदर्श रूप से, विनियमन को सिंगल-उपयोग प्लास्टिक सामग्रियों जैसे कि ले जाने वाले बैग और कटलरी के निर्माण को रोकने में मदद करनी चाहिए और बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। हांलाकि समस्या यहाँ भी है।

कंपोस्टेबल बैग के निर्माताओं को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह नकली उत्पादों को बाजार में प्रवेश करने से रोक पाने में असमर्थ रहा है।

पंजीकृत पुनर्नवीनीकरण में अपशिष्ट, संग्रह और अपशिष्ट के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए नियमों के तहत स्थानीय निकाय अनिवार्य रूप से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असफल रहे हैं। नियमों के तहत प्रदान की गई राज्य स्तरीय निगरानी समितियों को उत्तरदायी नहीं बनाया गया है।

निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि कचरा प्रबंधन ढांचा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है और अकेले प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर श्री वर्धन के दावे इस समस्या से निदान नहीं दिला सकता है।

भारत और दुनिया को प्लास्टिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस समस्या को सुलझाना ही इसका निदान है। बड़े-बड़े वादों से इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता।

* * *

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस बार इसका थीम – 'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन' था। यानी इस बार प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए जागरूकता फैलाई गयी।

विश्व पर्यावरण दिवस

- विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की विधिवत शुरुआत 5 जून, 1974 को हुई थी। वैसे इसके बारे में दुनिया के देशों के बीच सहमति 1972 में ही बन गई थी। इस बार आयोजित हुए विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का वैश्विक मेजबान भारत था।
- इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) का जन्म हुआ तथा प्रति वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निश्चय किया गया। तथा इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना था।

उद्देश्य?

- विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करते हुए उनमें राजनीतिक चेतना पैदा करना और पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्हें प्रेरित करना है।
- 5 जून, 1974 'केवल एक धरती' थीम पर पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इसका मेजबान देश संयुक्त राज्य अमेरिका था।
- इस साल 'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन' थीम पर 45वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और भारत ने इसकी मेजबानी की। अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट आई थी कि दुनिया के 15 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में भारत के 14 शहर शामिल हैं और विश्व की लगभग 95 फीसदी आबादी जहरीली हवा में सांस ले रही है।
- ये आँकड़े अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर भारत में खास ध्यान देने की जरूरत है।

प्लास्टिक क्या है?

- प्लास्टिक आमतौर पर उच्च आणविक द्रव्यमान के कार्बनिक बहुलक होते हैं और अक्सर इसमें अन्य पदार्थ भी शामिल होते हैं।
- प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसे अपघटित होने में कई वर्षों का समय लगता है।
- ये आमतौर पर सिंथेटिक होते हैं तथा अधिकांशत: पेट्रोकेमिकल्स द्वारा बने होते हैं।
- इसकी खोज 27 मार्च, 1933 को अनजाने में हुई थी। दो ब्रिटिश वैज्ञानिकों एरिक फॉसेट और रेजिनाल्ड गिब्सन इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज में इथीलिन पर प्रयोग कर रहे थे, जब इथीलिन में ऑक्सीजन के अणु मिल जाने से रातोंरात पॉलिथीन बन गया।
- दो वर्ष बाद उन्होंने पॉलिथीन बनाने के तरीके का ईजाद किया।

व्याप्त चिंताएं

- प्लास्टिक के निर्माण में पोलीथीलिन, पॉलिविनाइल क्लोराइड तथा पोलीस्टाइरिन जैसे पॉलीमरों का प्रयोग किया जाता है।
- इसका प्रमुख कारण इसमें ऐसा रसायन पदार्थ है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है।
- ये कृत्रिम पॉलीमर आसानी से कोई भी आकार ले लेते हैं तथा इनमें उच्च रासायनिक प्रतिरोध होता है।
- इनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण विनिर्माणकर्त्ता बहुत से ड्यूरेबल और निपटान योग्य डिस्पोजेबल वस्तुओं तथा पैकेजिंग पदार्थ में इसका उपयोग करते हैं।
- प्लास्टिक के बायोडिग्रेड होने की इसी प्रतिरोधकता के कारण प्लास्टिक की एक बोतल लाखों वर्ष तक भूमि के अंदर रह सकती है।

प्लास्टिक प्रदूषण से जुड़े तथ्य

- प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में 500 अरब प्लास्टिक बैगों का उपयोग किया जाता है।
- हर वर्ष, कम से कम 8 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में पहुंचता है, जो प्रति मिनट एक कूड़े से भरे ट्रक के बराबर है।
- पिछले एक दशक के दौरान उत्पादित किये गए प्लास्टिक की मात्रा, पिछली एक शताब्दी के दौरान उत्पादित किये गए प्लास्टिक की मात्रा से अधिक थी।
- हमारे द्वारा प्रयोग किये जाने वाले प्लास्टिक में से 50% प्लास्टिक का सिर्फ एक बार उपयोग होता है।
- हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं।
- हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए कुल कचरे में 10% योगदान प्लास्टिक का होता है।

GS World Committed To Excellence

संभावित समाधान

- **प्राकृतिक पॉलीमर :** सिंथेटिक या कृत्रिम पॉलीमर की तुलना में प्राकृतिक पॉलीमर पेड़-पौधों व जीवों से मिलता है। यह बहुत आसानी से नष्ट हो जाता है और पर्यावरण के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं होता। कपास और रेशम इसका उदाहरण हैं।
- **स्टार्च :** कई भोजन पदार्थों में पाया जाने वाले स्टार्च की आसान उपलब्धता के चलते यह आसानी से प्लास्टिक का विकल्प बन सकता है। वैज्ञानिकों ने इस दिशा में शोध शुरू कर दिए हैं। स्टार्च आधारित उत्पाद बनाने में एक बड़ी समस्या यह है कि इससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा आ सकता है।
- **दोबारा इस्तेमाल में आने वाले उत्पाद :** कुछ वर्षों पहले तक मिट्टी, धातु, कांच के बने बर्तन ही इस्तेमाल होते थे। इन्हें कई बार इस्तेमाल कर सकते थे। धीरे-धीरे सस्ते प्लास्टिक उत्पादों ने इनकी जगह ले ली। अनुमान है कि लोग प्रति मिनट दस लाख प्लास्टिक बोतलें इस्तेमाल करते हैं। अगर फिर से उन्हीं पदार्थों की तरफ मुड़ा जाए तो प्लास्टिक उत्पादन पर लगाम लगाई जा सकती है।
- **प्लास्टिक का पुनर्चक्रीकरण :** अधिकतर प्लास्टिक उत्पाद सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिए जाते हैं। ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल बंद करना होगा। ऐसे उत्पादों को चुनना होगा जो ज्यादा समय तक इस्तेमाल किए जा सकें और उनका जीवनकाल पूरा होने के बाद उन्हें रिसाइकिल करके किसी दूसरे काम में लाया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गये प्रयास

- **चीन :** प्लास्टिक की बढ़ती तादाद को देखते हुए चीन ने इस वर्ष जनवरी से प्लास्टिक के सभी प्रकार के आयात पर रोक लगा दी है।
- **कनाडा :** कनाडा के हैलीफैक्स शहर में प्लास्टिक के कचरे की वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी। कनाडा के ही एक शहर अल्बर्टा में भारी तादाद में प्लास्टिक के कचरे को एक शेड के अंदर इकट्ठा करके रख दिया गया।
- **फ्रांस :** इस देश ने 2016 में प्लास्टिक पर बैन लगाने का कानून पारित किया। इसके तहत प्लास्टिक की प्लेटें, कप और सभी तरह के बर्तनों को 2020 तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। फ्रांस पहला देश है जिसने प्लास्टिक से बने रोजमर्रा की जरूरत के सभी उत्पादों को पूरी तरह बैन किया है। इसके तहत प्लास्टिक उत्पादों के विकल्प के तौर पर जैविक पदार्थों से बने उत्पादों को इस्तेमाल किया जाएगा।
- **रवांडा :** अन्य विकासशील देशों की तरह यहां भी प्लास्टिक की थैलियों ने जल निकासी के रास्ते अवरुद्ध कर दिए थे जिससे यहां के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचने लगा था। इस विकट स्थिति से निपटने के लिए यहां की सरकार ने देश से प्राकृतिक रूप से सड़नशील न होने वाले सभी उत्पादों को बैन कर दिया। यह अफ्रीकी देश 2008 से प्लास्टिक मुक्त है।
- **स्वीडन :** यहां प्लास्टिक बैन नहीं किया गया है बल्कि प्लास्टिक को अधिक से अधिक रिसाइकिल किया जाता है। यहां हर तरह के कचरे को रिसाइकिल करके बिजली बनाई जाती है। इसके लिए यह पड़ोसी देशों से कचरा खरीदता है।
- **आयरलैंड :** इस देश ने 2002 में प्लास्टिक बैग टैक्स लागू किया जिसके तहत लोगों को प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने पर भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ता था। इस कानून के लागू होने के कुछ दिन बाद प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल में 94 फीसद कमी आ गई।

पर्यावरण संबंधी संवैधानिक आयाम

- मूल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 297(1),(2) और (3) में समुद्रवर्ती संसाधनों के प्रबंधन तथा विनियमन के लिये संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है।
- संविधान का 42वाँ संशोधन पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48(।) तथा 51(।) को जोड़ा गया और पर्यावरण के संवर्द्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की सुरक्षा के लिये राज्य और नागरिकों को उत्तरदायी बनाया गया है।
- वर्तमान समय में देश में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिये सिर्फ एक कानून है कि- कोई उत्पादक या दुकानदार 50 माइक्रान से कम मोटी प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यह कानून अन्य सभी प्रकार के प्लास्टिक बैग पर लागू नहीं होता, इसलिये प्लास्टिक का उपयोग कम नहीं होता।

* * *

GS World Committed to Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. इस वर्ष बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम के साथ 47वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।
2. प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में 500 अरब प्लास्टिक बैगों का उपयोग किया जाता है।
3. प्लास्टिक के निर्माण में पोलीथीलिन, पॉलिविनाइल क्लोराइड तथा पोलीस्टाइरिन जैसे पॉलीमरों का प्रयोग किया जाता है।

सही कूट का चयन कीजिए-

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 3

(c) उपर्युक्त सभी

(d) इनमें से कोई नहीं

Q. Consider the following statements-

1. 47th World Environment Day has been celebrated this year with the theme- 'Beat Plastic Pollution'.
2. 500 billion plastic bags are used every year in the whole world.
3. Polyethylene, Polyvinyl chloride and Polystyrene like polymers are used for plastic manufacturing.

Choose the correct code :

(a) Only 1 and 3

(b) Only 2 and 3

(c) All of the above

(d) None of these

नोट : 5 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(c), 3(a) होगा।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. भारत में सरकारी कानूनों के होने के बावजूद प्लास्टिक कचरा का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसके तीव्रता को स्पष्ट करते हुए यह बताएं कि इसके कौन-कौन से दिर्घकालीन प्रभाव होंगे? साथ ही वर्तमान कानून की कमियों को उजागर करते हुए कुछ सुधारात्मक उपाए बताएं।

(250 शब्द)

Despite having government laws the wrath of plastic waste is increasing in India. Describe the longterm effects of it explaining its intensity. Along with it, Suggest some remedies illuminating the drawbacks of present law.

(250 words)

प्लास्टिक प्रदूषण

Source - The Hindu editorial
(6 June, 2018)

IAS PCS

प्लास्टिक प्रदूषण

परिचय

प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण उत्पादों में प्लास्टिक उत्पादों का परिचय है जो तब मौजूदा पारिस्थितिक तंत्र को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है।

ये प्रदूषक पर्यावरणीय क्षरण का कारण बनते हैं और विभिन्न जीवित जीवों और उनके निवासों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

चिंताएं और चुनौतियां

पुनर्चक्रण का प्रयास उत्पादन के साथ ताल मेल बैठाने में असफल रहे हैं, जिसकी चौगुनी होनी की उम्मीद 2050 तक है।

वर्तमान मानक जल उपचार प्रणाली सभी माइक्रोप्रोस्टिक्स को फिल्टर नहीं कर पाती हैं।

मवेशी और अन्य जानवर अनजाने में इस प्लास्टिक की कुछ सामग्री का उपभोग करते हैं जो पच नहीं जाता है, और उनकी मृत्यु हो जाती है।

प्रदूषक पानी में सूर्य के प्रकाश की प्रविष्टि को रोककर जल निकायों में प्राथमिक खाद्य उत्पादन को भी प्रभावित करते हैं।

प्लास्टिक के कचरे को जलाने से वायु प्रदूषण का खतरा

गंभीर समस्याएं

अध्ययन के मुताबिक लगभग दुनिया भर के समुद्र प्लास्टिक प्रदूषण से दूषित हो गये है और हमारे आहार में नमक के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में शामिल हो रहे हैं।

प्रदूषण का अधिकांश हिस्सा माइक्रोफाइबर और एकल उपयोग प्लास्टिक जैसे पानी की बोतलों से आता है।

अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर के देशों में नल के पानी में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण पाया गया है।

समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्लास्टिक प्रदूषण स्वास्थ्य के खतरे और आर्थिक नुकसान का कारण बन रहा है।

2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक समुद्र में मछली की तुलना में प्लास्टिक अधिक होगा, वजन के आधार पर।

एक अध्ययन में गंगा नदी को प्लास्टिक का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा वाहक बताया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास

अफ्रीकी देश रवांडा ने कुछ वर्षों से प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिससे यह देश काफी हद तक स्वच्छ हो गया है।

केन्या ने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, और 4 साल की जेल और / या $40,000 का जुर्माना लगाया है।

मोरक्को में लगभग एक दशक तक इस पर प्रतिबंध था।

अब समय आ गया है कि भारत इन अफ्रीकी देशों से सीख लेते हुए प्लास्टिक बैग और इससे संबंधित सामानों पर प्रतिबंध लगाये।

प्लास्टिक की बढ़ती तादाद को देखते हुए चीन ने इस वर्ष जनवरी से प्लास्टिक के सभी प्रकार के आयात पर रोक लगा दी है।

यू.एस, कनाडा और नीदरलैंड के पास व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में माइक्रोबीड्स के उपयोग को रोकने के लिए नियम मौजूद हैं।

GS WORLD Committed To Excellence

आरबीआई द्वारा दरों में वृद्धि

07 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

*''हाल ही में रिजर्व बैंक ने महंगाई बढ़ने की चिंता को ध्यान में रखते हुए मुख्य नीतिगत दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 6.25 प्रतिशत कर दिया जिससे बैंक ऋण महंगा हो सकता है। गौरतलब हो कि रिजर्व बैंक द्वारा पिछले साढे चार साल में पहली बार रेपो दर में वृद्धि की गयी है।'' इस कथन के संदर्भ में अंग्रेजी समाचार पत्र **'द हिन्दू' और 'इंडियन एक्सप्रेस'** में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे **GS World** टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

द हिन्दू
(रेपो दर में वृद्धि पर)

''मुद्रास्फीति के रुझानों के मुकाबले, आरबीआई द्वारा दरों में की गयी वृद्धि बाजारों में अनिश्चितता को खत्म कर देगी।''

असामान्य रूप से लंबी तीन दिवसीय बैठक के अंत में, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की वृद्धि का विकल्प चुना, जो मोदी सरकार के साढ़े चार वर्षों के शासनकाल में पहली बार इस तरह की वृद्धि है। एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान पहली बार इस वृद्धि को छः सदस्यीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी, जिसमें मुद्रास्फीति के रुझानों को मजबूत करने और देश के विकास के बारे में चिंता का हवाला दिया गया है।

देखा जाये तो इस निर्णय में विशेष रूप से उभरते बाजारों को प्रभावित करने वाली वैश्विक अनिश्चितताओं ने भी भूमिका निभाई है और अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या यह फैसला डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा शुरू किए गए ट्रेड वार के कारण है या फेडरल रिजर्व द्वारा मजबूत डॉलर या आगे की दर में वृद्धि जो भारत जैसे उभरते बाजारों से वैश्विक पूंजी के पलायन को मजबूत कर सकती है, के कारण लिया गया है।

पहले से ही, जनवरी और मई के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से बहिर्वाह 10 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है और 4 जून तक घरेलू पूंजी बाजार से शुद्ध आधार पर $ 6.7 बिलियन निकाला गया था।

अन्य उभरती बाजार मुद्राओं के साथ रुपया भी कमजोर हो रहा है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने सुझावों को खारिज कर दिया कि दरों में बढ़ोतरी इन बाधाओं के कारण की गयी है। उन्होंने कहा कि एमपीसी, अपने मुद्रास्फीति प्रबंधन जनादेश द्वारा पूरी तरह से संचालित है और दर वृद्धि और समिति के अपने तटस्थ नीति के बीच कोई विरोधाभास नहीं है।

यह सुनिश्चित करने के लिए, 2018-19 के लिए 7.4% पर अपने विकास अनुमानों को बनाए रखते हुए, एमपीसी ने अप्रैल की बैठक के बाद से इस वर्ष के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमानों को संशोधित किया है, अर्थात पहली छमाही में 4.7-5.1% और दूसरी छमाही में 4.4% 4.8-4.9% और क्रमशः 4.7% अधिक है।

वैसे अब अगले साल होने वाले संसदीय चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस संबंध में ध्यान देना चाहिए। हालांकि मौसमी खाद्य मुद्रास्फीति में देरी हो रही है, लेकिन वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ईंधन की वजह से इनपुट लागत में दबाव बढ़ गया है।

इंडियन एक्सप्रेस
(एक मजबूत वृद्धि)

''आरबीआई घरेलू मुद्रास्फीति के जोखिम, वैश्विक बाजार में व्याप्त हलचल के जवाब में दरों में वृद्धि करता है और इसलिए सरकार को इस चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए।''

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 25 आधार अंकों को बढाते हुए रेपो रेट 6.25 प्रतिशत कर दिया है जो कि चार वर्षों से अधिक समय में पहली बार हुआ है। अप्रैल में मुद्रास्फीति का जोखिम, जो कच्चे तेल की कीमतों के रूप में, एचआरए संशोधन के असरदार प्रभाव और खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में संशोधन के प्रभाव, जिनमें से सभी का मतलब 2018-19 में उपरोक्त 4 प्रतिशत की सीपीआई मुद्रास्फीति हो सकता है, मौद्रिक नीति समिति की दरों में वृद्धि करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एमपीसी को मजबूर करने वाले कारकों में वैश्विक वित्तीय बाजार का विकास भी शामिल हो सकता है, जो अनिश्चितता के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रहा है।

इंडोनेशिया, फिलीपींस, तुर्की और अर्जेंटीना जैसे उभरते बाजारों ने यूएस फेडरल रिजर्व के आधार पर पहले ही कठोर होने के संकेतों के साथ दरें बढ़ा दी हैं जो अमेरिका में कुछ और दरों में बढ़ोतरी की बढ़ती उम्मीदों की पृष्ठभूमि के बाद आया।

भारत ने भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को इस साल के पहले पांच महीनों में $ 4.4 बिलियन की कमाई देखी है, जिसके कारण रुपया कमजोर पड़ गया है जो अब तक की सबसे खराब प्रदर्शन वाली मुद्राओं में से एक है अर्थात यह इस साल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 फीसदी से ज्यादा गिर गया है।

भारतीय शेयर बाजारों ने बुधवार को 276 अंकों के साथ सेंसेक्स के साथ सकारात्मक संकेत के रूप में अपने तटस्थ नीति के रुख को रखने के एमपीसी के फैसले की व्याख्या की है, हालांकि आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि केंद्रीय बैंक सभी विकल्पों को खुला रख रखा है। देखा जाए तो इस वृद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ बड़े बैंकों ने पहले से ही अपनी उधार और जमा दरों में वृद्धि कर रखी है।

इसके अलावा, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं ने इस मुद्दे को उठाया जरूर है। कच्चे तेल की कीमतें इस खेल का सबसे बड़ा कारक रहा है, जब एमपीसी अप्रैल में 74 डॉलर प्रति बैरल हो गया तो 66 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 12% हो गया।

समिति ने कहा कि यह वृद्धि 'अपेक्षा से अधिक है और अपेक्षाकृत प्रतीत होती है' और इसे अपने पहले मुद्रास्फीति अनुमानों के लिए एक बड़ा उदार जोखिम कहा जाता है। उद्योगों ने चिंता व्यक्त की है, लेकिन प्रभावी उधार दरें और बॉन्ड उपज इस दर वृद्धि से पहले भी मजबूत हो रही थीं।

सरकार ने आश्चर्यजनक रूप से आरबीआई के रुख का स्वागत किया है, जो बाजारों को स्थिर रखने और अनिश्चितताओं को कम करने में मदद कर सकता है। आरबीआई का तटस्थ रुख, जैसा कि श्री पटेल ने बताया, यह सभी विकल्पों को खुला रखने की अनुमति देता है।

अन्य सकारात्मक ऋण की कमी और क्षमता उपयोग में सुधार और एमपीसी के निवेश गतिविधि का मूल्यांकन जीडीपी विकास अनुमानों को वित्त वर्ष 19 के लिए 7.4 प्रतिशत पर बनाए रखने के लिए इसे बढ़ावा देने के लिए मजबूत बना रहा है।

सरकार को राजनीतिक रूप से प्रेरित एमएसपी दर में बढ़ोतरी से एक चेतावनी और इच्छा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की दर कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए।

चालू खाता घाटे को बढ़ाने के बावजूद, कई अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, भारत अभी भी अपेक्षाकृत कम मुद्रास्फीति और विकास का सामना कर रहा है। निश्चित रूप से, चुनाव में एक वर्ष से कम समय बचा है इसलिए सरकार इस सन्दर्भ में कोई खतरा नहीं उठाना चाहेगी।

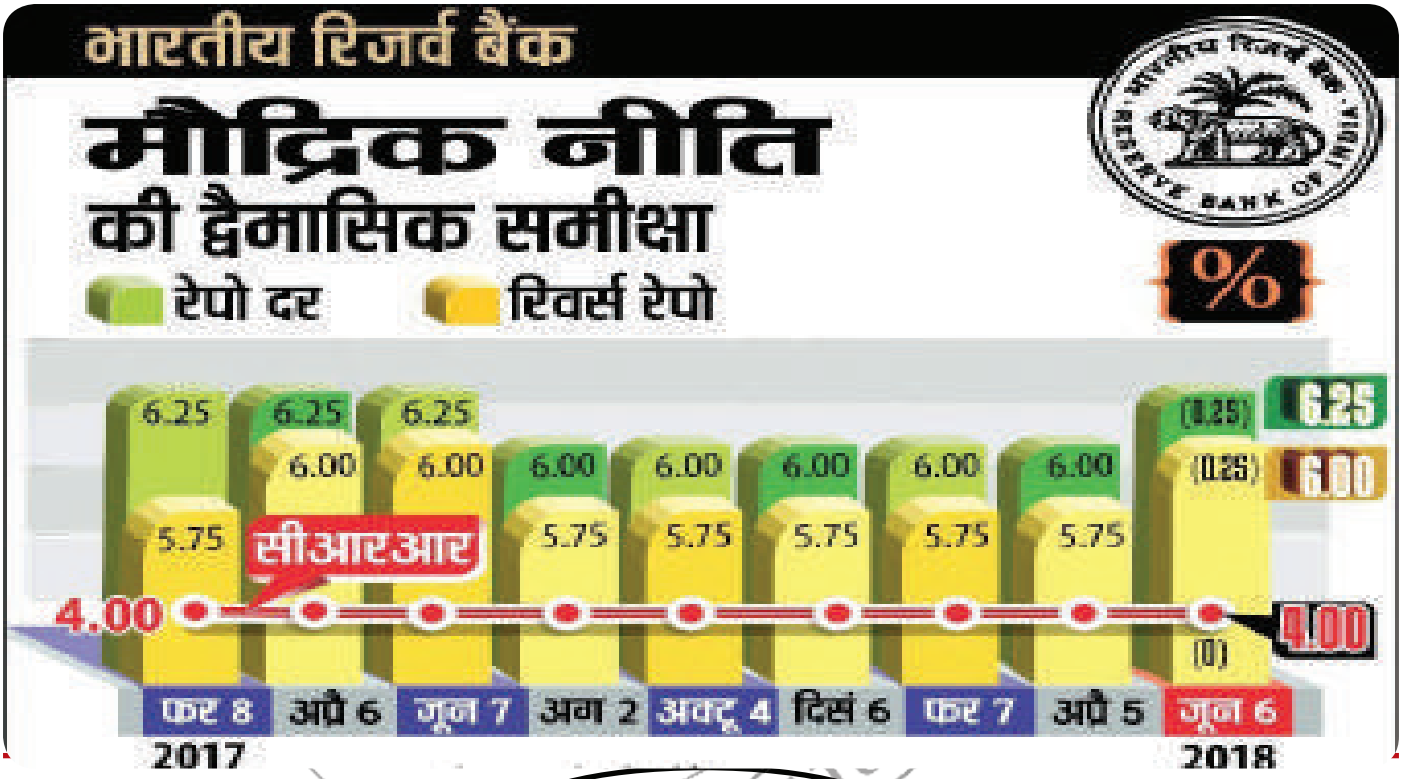

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- साल 2015 के जनवरी बाद आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) ने बुधवार को प्रमुख ब्याज दरों में वृद्धि की, जिससे आवास और वाहन कर्ज महंगे हो गए हैं। रेपो दर 25 आधार अंकों की वृद्धि के साथ अब 6.25 फीसदी हो गई है।
- केंद्रीय बैंक ने कहा कि मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक वृद्धि को देखते हुए रेपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की गई है।
- आरबीआई ने हालांकि मौद्रिक नीति पर अपना शतटस्थ रुख बनाए रखा है, जैसा कि उसने अपनी पिछली चार मौद्रिक समीक्षाओं में किया है। वाणिज्यिक बैंकों के लिए अल्पकालिक कर्ज दर छह फीसदी है। इस रुख से आरबीआई दरों को सुविधानुसार बढ़ा या घटा सकता है।

मौद्रिक नीति

- इस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है। इसका उद्देश्य कम और स्थिर मुद्रास्फीति तथा विकास को बढ़ावा देने जैसे विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना है। मौद्रिक नीति ही यह तय करती है कि रिजर्व बैंक किस दर पर बैंकों को कर्ज देगा और किस दर पर उन बैंकों से वापस पैसा लेगा।

प्रक्रिया

- रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) मौद्रिक नीति निर्माण में गवर्नर की सहायता करता है। अर्थव्यवस्था के सभी शेयर धारकों के विचारों, तकनीकी परामर्शदात्री समिति (टीएसी) की सलाह और रिजर्व बैंक का विश्लेषणात्मक कार्य नीति रेपो दर पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान करता है।
- वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी) मुख्य रूप से दैनिक चलनिधि प्रबंध परिचालनों के माध्यम से मौद्रिक नीति को कार्यान्वित करता है।
- वित्तीय बाजार समिति (एफएमसी) नीति दर, मुद्रा बाजार दरों और चलनिधि परिस्थितियों के बीच अनुरूपता की समीक्षा करने के लिए दैनिक आधार पर बैठक करता है।

लक्ष्य

- कम और स्थिर मुद्रास्फीति,
- वित्तीय स्थिरता और
- समावेशी विकास हासिल करना

पारदर्शिता

मौद्रिक नीति में आघातों के बारे में अनुचित डर से बचने के लिए प्रभावी संप्रेषण पर जोर दिया जाता है। पारदर्शिता से मौद्रिक नीति की प्रभाव क्षमता बढ़ती है। रिजर्व बैंक अपने मौद्रिक नीति रूझान में इसके तर्क का पारदर्शी तरीके से वर्णन करता है। नीति निर्माण में परामर्शदात्री दृष्टिकोण पर जोर देता है और नीति परिचालन में स्वायत्तता रखता है। इसके अलावा, यह लक्ष्यों को समष्टि आर्थिक नीतियों के अन्य तत्वों के साथ मिला कर कार्य करता है।

मौद्रिक नीति समिति

- यह समिति खुदरा मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत (2 प्रतिशत कम या ज्यादा) के लक्षित स्तर पर रखने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है।
- रिजर्व बैंक द्वारा नामित सदस्यों में गवर्नर, डिप्टी गवर्नर तथा केंद्रीय बैंक के एक और सदस्य है।
- इसमें नीतिगत दर के बारे में निर्णय समिति करती है, जबकि इससे पहले इस संदर्भ में फैसला रिजर्व बैंक के गवर्नर किया करते थे।
- वित्त अधिनियम 2016 के जरिये भारतीय रिजर्व बैंक कानून, 1934 में संशोधन करने के बाद एमपीसी का गठन किया गया है।
- यह समिति 27 जून, 2016 से प्रभावी है।
- एमपीसी सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति के लक्ष्य और उसे हासिल करने को ध्यान में रखकर नीतिगत दर स्थापित करने के बारे में फैसला करेगी।
- सरकार के साथ हुए समझौते के तहत रिजर्व बैंक खुदरा मुद्रास्फीति दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ 4 प्रतिशत पर बनाए रखने को प्रतिबद्ध है।
- एमपीसी नियमों के तहत प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा और अगर मामला बराबरी पर आता है तो रिजर्व बैंक के गवर्नर निर्णायक वोट देंगे।
- समिति के सदस्यों की नियुक्ति चार साल के लिए होगी और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

केंद्रीय सरकार द्वारा चुने गए समिति के सदस्य

- चेतन घाटे- उस पांच सदस्यीय तकनीकी परामर्श समिति में शामिल रहे हैं जो प्रत्येक मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले रिजर्व बैंक को नीतिगत दरों के बारे में परामर्श देती रही है। मौद्रिक नीति का इनकी विशेषज्ञता मैक्रोइकोनॉमी, विकास, मौद्रिक-राजकोषीय नीति और पॉलिटिकल इकोनॉमी में है। 2014 में इन्हें इकोनॉमिक्स रिसर्चर का अवार्ड मिला था।
- पम्मी दुआ- मैक्रोइकोनॉमी में देश के प्रतिष्ठित प्रोफेसरों में शामिल हैं। बिजनेस साइकिल एनालिसिस, टाइम सीरीज इकोनोमेट्रिक्स फोरकास्टिंग इनके प्रमुख विषय हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर की चेयरपर्सन भी हैं। इनकी लिखी पुस्तकें हैं-बेंचमार्किंग फॉर परफॉर्मेंस इवेलुएशन, फोरकास्टिंग इंडियन मैक्रोइकोनॉमिक वैरिएबल्स डिटरमिनेसन ऑफ यील्ड्स ऑन गवर्मेंट सिक्युरिटीज इन इंडिया।
- रवीन्द्र एच. ढोलकिया- केंद्र और राज्य सरकारों के लिए नीतियाँ बनाने वाली कई टीमों का हिस्सा रहे। डाक नेटवर्क ठीक करने, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय, सरकारी खर्च के प्रबंधन और बचत निवेश पर बनी समितियों के सदस्य रहे। विश्व बैंक और यूनिसेफ सहित कई सरकारी-निजी कंपनियों के सलाहकार रहे।

क्यों पड़ी मौद्रिक नीति समिति की आवश्यकता

- ब्याज दरों को लेकर अक्सर सरकार और रिजर्व बैंक के गवर्नर के बीच टकराव जैसे हालात का रहना।
- सरकार का जोर विकास पर रहा और रिजर्व बैंक का महंगाई को कम रखने पर। इसलिए बैंक हमेशा मौद्रिक नीति अपने हिसाब से बनाता रहा।
- अक्टूबर, 2012 में तत्कालीन गवर्नर डी सुब्बाराव और यूपीए सरकार में वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बीच टकराव इस हद तक बढ़ गया था कि चिंदबरम ने कह दिया कि विकास भी महंगाई जितनी ही बड़ी चुनौती है और अगर सरकार को इस चुनौती से निपटने के रास्ते पर अकेले चलना है तो वह अकेले ही चलेगी।
- टकराव की इसी पृष्ठभूमि में एमपीसी का गठन हुआ था।

* * *

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. एमपीसी को बेंचमार्क पॉलिसी ब्याज दर (रेपो रेट) तय करने के कार्य के साथ-साथ लक्ष्य स्तर के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कार्य भी सौंपा गया है।
2. यह आरबीआई के गवर्नर समेत 8 सदस्यीय निकाय है और हर साल इसका पुनर्निर्माण किया जाता है।
3. यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें:

(a) केवल 1

(b) 1 और 2 केवल

(c) 3 केवल

(d) 2 और 3 केवल

Q. Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee (MPC)?

1. The MPC is entrusted with the task of fixing the benchmark policy interest rate (repo rate) to contain inflation within the target level.
2. It is a 12-member body including the Governor of RBI and is reconstituted every year.
3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister.

Select the correct answer using the code given below :

(a) 1 only

(b) 1 and 2 only

(c) 3 only

(d) 2 and 3 only

नोट : 06 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए इसकी वर्तमान संरचना पर प्रकाश डालें। साथ ही बताएं कि वैश्विक स्तर पर जटिल होती अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने हेतु यह कितनी आवश्यक है? चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Elplaining the purpose of the Monetary Policy Committee (MPC), highlight its current structure. Also, describe how important is it to deal with the challenge of the economy becoming complex globally? Discuss.

(250 words)

मौद्रिक नीति समिति

Source -
The Hindu & Indian Express editorial
(7 June, 2018)

IAS PCS

मौद्रिक नीति समिति

संरचना

सरकार के अनुसार, एमपीसी के छह सदस्य होंगे।

प्रत्येक तीन को सरकार और आरबीआई द्वारा मनोनीत किया जाएगा और प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा।

समिति के सदस्यों की नियुक्ति चार साल के लिए होगी और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए यह समिति वर्ष में चार बार बैठक करेगी और सर्वसम्मति से निर्णय लेगी। यदि 'हाँ' या 'न' को लेकर बराबर का मत आता है तो गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

परिचय

मौद्रिक नीति समिति, भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये 27 जून, 2016 को किया गया था।

सरकार और आरबीआई द्वारा मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की जिम्मेदारी आरबीआई को सौपने के लिए सहमत होने के बाद इसे वित्त अधिनियम, 2016 के जरिये भारतीय रिजर्व बैंक कानून, 1934 में संशोधन करने के बाद एमपीसी का गठन किया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को एक नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को सौंप दिया गया है।

वर्तमान सदस्य

वर्तमान में इसमें भारत सरकार के तीन सदस्य पमी दुआ, चेतन घाटे तथा रविन्द्र ढोलकिया और आरबीआई के तीन सदस्य गवर्नर उर्जित पटेल, डिप्टी गवर्नर आर. गांधी तथा माइकल पात्रा है।

कार्य

एमपीसी को लक्ष्य स्तर के भीतर मुद्रास्फीति को शामिल करने के लिए बेंचमार्क पॉलिसी ब्याज दर (रेपो दर) को निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है।

सरकार, यदि आवश्यक हो, तो समय-समय पर एमपीसी को अपने विचारों को लिखित रूप में प्रदान कर सकती है।

फैसले को सुविधाजनक बनाने के लिए एमपीसी को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत कराना भारतीय रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है।

आरबीआई को अगले छह से अठारह महीने तक मुद्रास्फीति पूर्वानुमान और मुद्रास्फीति स्रोतों को विस्तारित करते हुए हर छह महीने में मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित करना होता है।

लक्ष्य

समिति का वर्तमान जनादेश 31 मार्च, 2021 तक 6% की ऊपरी सहनशीलता और 2% की कम सहनशीलता के साथ 4% वार्षिक मुद्रास्फीति को बनाए रखना है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

इन देशों में से अधिकांश ने मौद्रिक नीति उद्देश्य के रूप में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को औपचारिक रूप से अपनाने के बाद एमपीसी के माध्यम से अपने मौद्रिक नीति लक्ष्यों को लागू किया है।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को मौद्रिक नीति के उद्देश्य के रूप में अपनाने वाले देशों में उल्लेखनीय रूप से है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन है।

शोध में पाया गया है कि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने के बाद सामान्य रूप से मुद्रास्फीति कई देशों में स्वीकार्य स्तर पर आ गई थी।

भविष्य के लिए धरती को बचाना

08 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक :
कमल बावा (प्रोफेसर, जीवविज्ञान, बोस्टन विश्वविद्यालय)

''भारत को सभी जीवन रूपों की सूची बनाने, मानचित्र बनाने और निगरानी करने के लिए बड़े पैमाने पर नए प्रयास करने की आवश्यकता है।''

जीवन हमारे ग्रह की एक अनूठी संपत्ति है। भारत को जीवन की असाधारण समृद्धि के साथ काफी समृद्ध है। असामान्य और उत्तम प्रजातियों की बड़ी संख्या अनगिनत पारिस्थितिकी प्रणालियों में शामिल है जो हमारे विशाल भूमि, नदियों और महासागरों तक फैली हुई हैं।

यह अद्वितीय जैव-सांस्कृतिक सदियों से बदलाव के लिए लचीला रहा है, लेकिन अभूतपूर्व आर्थिक और पर्यावरणीय ताकतों को उजागर करने के साथ, अब यह धीरे-धीरे अवनति के कगार पर पंहुच गया है। आखिरकार, ये ताकतें जीवन, संस्कृतियों और परंपराओं के हमारे रंगों को भी नष्ट कर सकती हैं।

पूरी दुनिया में जीवविज्ञानी जीवन रूपों के चल रहे नुकसान पर नजर गड़ाए बैठे हैं। भूगर्भीय अतीत की दरों की तुलना में आधुनिक विलुप्त होने की दर हजारों गुना अधिक है। हाल के दशकों में, 40% से अधिक बड़े स्तनधारियों की आबादी में कमी आई है और कीट बायोमास 75% से भी कम हो गया है। पूरी दुनिया में प्राकृतिक आवास कम हो गए हैं। इन नुकसानों के लिए, हमारा देश सबसे अधिक चर्चे में है।

आज हम एंथ्रोपोसीन युग में पहुँच गये हैं, अर्थात पृथ्वी के इतिहास में एक ऐसी नई अवधि, जहाँ मनुष्य वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को प्रभावित करना शुरू कर दिया हैं। हमने देखा है कि हमारे जंगलों में गिरावट और कमी आई है, हमारी नदियां लुप्त होने लगी हैं और हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज हवा दूषित और अनुपयुक्त हो गई है।

हम लगातार गंगा को साफ करने के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन हम अनदेखा करते हैं कि हमारे शरीर को ढंकने वाली पूरी टेपेस्ट्री धीरे-धीरे विघटित हो रही है। सभी जीवित जीव को पोषण की आवश्यकता होती है।

जायजा लेना

पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए, प्रसिद्ध अमेरिकी जीवविज्ञानी ई.ओ. विल्सन ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना का वर्णन किया है जिसे वह 'हाफ-अर्थ' कहते हैं। इसमें इनके द्वारा हमारी तेजी से लुप्त हो रहे प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए पृथ्वी की भूमि की सतह का 50% औपचारिक रूप से रक्षा करने की मांग करते हैं।

इस सन्दर्भ में कईयों ने सही कहा है कि पिछले संरक्षण प्रयासों में अक्सर सामाजिक न्याय और इक्विटी के मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया गया है। इस प्रकार 'हाफ-अर्थ' के लक्ष्यों को स्वदेशी लोगों के अधिकारों से समझौता नहीं करना चाहिए।

जाहिर है, हमें जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करना होगा, जो सभी मानवीय प्रयासों का समर्थन करते हों। भारत की वन नीति देश के लगभग एक तिहाई हिस्से को कवर करने के लिए जंगलों की मांग करती है और यदि हम घास के मैदानों और आर्द्रभूमि जैसे अन्य प्राकृतिक प्रणालियों को शामिल करते हैं, तो संरक्षित क्षेत्र लगभग 40% हो सकता है।

हमारे जैसे एक आबादी वाले देश में, यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। कुछ क्षेत्रों को पूरी तरह से संरक्षित किया जा सकता है, जबकि अन्य को स्थायी उपयोग और जैव विविधता के संवर्धन के लिए हितधारकों द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है।

मौलिक रूप से अलग दृष्टिकोणों का उपयोग करके हमें जीवन सूची, मानचित्र और जीवन की निगरानी करने के लिए एक बड़े पैमाने पर नए प्रयास की आवश्यकता है। भारत की जैव विविधता को मानचित्रित करने के लिए मौजूदा प्रयास बड़े पैमाने पर वनभूमि तक सीमित हैं, जबकि प्रजातियों की निगरानी की योजनाएं और भी अपर्याप्त हैं। आज हमारे पास डिजिटल टूल्स और आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस उपलब्ध है और लाखों छात्रों और नागरिकों की संभावित भागीदारी के साथ हम इसे संभव बना सकते हैं।

नये विचार

कैटलॉगिंग (सूची बनाना), मानचित्रण और जीवन की निगरानी, हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, उसकी एक झलक प्रदान करेगी। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने विलुप्त प्राकृतिक विरासत को बनाए रखने की आवश्यकता के साथ समाज की बढ़ती जरूरतों को कैसे सुलझाना चाहते हैं?

हमने अभी सीखना शुरू किया हैं कि कैसे असंख्य प्रजातियां हमारे पारिस्थितिक तंत्र को चलाने के लिए क्या करती हैं और ये प्रणालियां कैसे हमारी मिट्टी, पानी और सांस लेने वाली हवा को बनाए रखती हैं।

जंगली परागणक, मिट्टी के सूक्ष्मजीव, और कृषि कीटों जैसे हमारे कई दुश्मन है जो हमारी कृषि उत्पादकता को कम करती हैं और जलवायु परिवर्तन को कम करती हैं।

हमारे कई अकादमिक संस्थानों में, 'लाइफ साइंसेज' अभी भी कोशिकाओं और अणुओं के अध्ययन के लिए काफी हद तक प्रतिबंधित हैं। हमारे संस्थानों को उच्च स्तर पर जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर अधिक जोर देने की जरूरत है।

हमें जैव विविधता में बदलावों के जवाब देने के साथ-साथ हमारे समाज को आकार देने के तरीके के बारे में व्यापक जांच की भी आवश्यकता है। एक नयी जैव विविधता विज्ञान दुनिया भर में आकार ले रहा है, जो मानव समाजों के साथ प्रकृति के अंतरंग अंतरण पर केंद्रित है।

आगे बढ़ने का रास्ता

सौभाग्य से, भारतीय विज्ञान प्रतिष्ठान में जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शामिल है जिन्होंने हाल ही में विज्ञान और समाज के व्यापक क्षेत्रों में कार्यक्रम और पहल शुरू की हैं। सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कई गैर-सरकारी थिंक टैंकों में पर्यावरणीय स्थिरता में मजबूत अंत:विषय कार्यक्रम हैं।

भारत जैव विविधता पोर्टल में नागरिक समाज की भागीदारी के साथ भारत की जैव विविधता का मानचित्रण करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल है, हालांकि पोर्टल बड़े पैमाने पर निजी समर्थन पर निर्भर करता है।

हालांकि, समस्या का स्तर इतना बड़ा है और हमारे भविष्य के लिए इसका महत्व इतना महत्वपूर्ण है कि सरकार और निजी परोपकार के दस्तावेजों को विकसित करने, मानचित्र बनाने और निगरानी करने के लिए एक कार्यक्रम विकसित करने और पूरी तरह से एक नया ज्ञान उद्यम विकसित करने के लिए कई हितधारकों को एक साथ लाने की आवश्यकता है। जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के विभिन्न आयामों और हमारे भविष्य के लिए उनके महत्वपूर्ण लिंक का पता लगाएं।

* * *

GS World टीम...

संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 (17 विकास लक्ष्य)

1. गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति।
2. भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
3. सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।
4. समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।
5. लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।
6. सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
7. सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना।
8. सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना।
9. लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा।
10. देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।
11. सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण।
12. स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना।
13. जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।
14. स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।
15. सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।
16. सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेही बनना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके।
17. सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना।

- 'ट्रांस्फॉर्मिंग आवर वर्ल्ड : द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' के संकल्प को, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है, भारत सहित 193 देशों ने सितंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में स्वीकार किया गया था और इसे एक जनवरी, 2016 को लागू किया गया।
- सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सबके लिए समान, न्यायसंगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीनों पहलुओं, अर्थात सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है।
- सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के बाद, जो 2000 से 2015 तक के लिए निर्धारित किए गए थे, विकसित इन नए लक्ष्यों का उद्देश्य विकास के अधूरे कार्य को पूरा करना और ऐसे विश्व की संकल्पना को मूर्त रूप देना है, जिसमें कम चुनौतियां और अधिक आशाएं हों।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. भूगर्भीय नामाकरण के अनुसार वर्तमान में हम किस युग में जी रहे है?

(a) मायोसीन

(b) ओलीगोसीन

(c) एंथ्रोपोसीन

(d) टालोसिन

प्र. निम्नलिखित में से कौन हाफ-अर्थ की उपर्युक्त व्याख्या करता है?

(a) भूमि की सतह के 50% की रक्षा करने की माँग

(b) हाफ अर्थ समावेशीकरण की एक प्रक्रिया है

(c) पृथ्वी के 50% जाति विलुप्त हो चुकें है

(d) इनमें से कोई नहीं है।

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भूगर्भीय अतीत की दरों की तुलना में प्रजातियों में विलुप्त होने की दर लाखों गुना अधिक है।
2. वर्तमान में 40% से अधिक बड़े स्तनधारियों की आबादी में कमी आई है और कीट बायोमास 75% से भी कम हो गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

Q. In which age we are living according to geological nomenclature?

(a) Miocene

(b) Oligocene

(c) Anthropocene

(d) Holocene

Q. Which of the following best defines Half-Earth?

(a) Demand to protect 50% of the earth surface.

(b) Half-Earth is a process of inclusion.

(c) 50% species of the earth have been extinct

(d) None of these

Q. Consider the following statements-

1. Rate of extinction is more than million times compared to the rate of it in geological past.
2. In present there is more than 40% decline in the population of big mammals and insect biomass has become less than 75%.

Which of the following statements is/are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

नोट : 07 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान में जीवों की विलुप्ति की दर में तीव्रता आयी है। इसके लिए जिम्मेदार कारकों को रेंखाकित करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र में इस जीवों के कार्यात्मक भूमिका पर प्रकाश डालें।

(250 शब्द)

It is being evident by many studies that the rate of extinction of Species has increased in present. While underlining the factors responsible for it, highlight the functional role of these species in ecosystem.

(250 words)

एक दुष्चक्र : ट्रेड वार पर

09 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

''बढ़ते व्यापार युद्ध दुनिया भर में आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाएंगे।''

कोई भी देश व्यापार युद्ध में अपनी हार नहीं देखना चाहता है। बुधवार को यूरोपीय यूनियन ने घोषणा की, कि वह जुलाई से शुरू होने वाले यू.एस. से $ 3.3 बिलियन के आयात पर 25% के रूप में टैरिफ लगाएगा। अमेरिकी सामानों की एक पूरी श्रृंखला अर्थात मोटरबाइक, जींस, पीनट बटर और नारंगी का जूस, अब यूरोपीय संघ क्षेत्र में बेचे जाने पर उच्च करों का सामना करेगी।

इसके अलावा, यू.एस. के साथ व्यापार युद्ध तेज होने पर यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी सामानों पर और अधिक कर लगाने की बात कही है। यू.एस. से आयात के खिलाफ युद्ध करने में यूरोप अकेला नहीं है; इस्पात, एल्यूमीनियम आयात पर टैरिफ लगाए जाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले के जवाब में आज चीन, मेक्सिको और कनाडा एक साथ खड़े हो गये हैं।

पिछले हफ्ते, अमेरिका ने इस्पात पर 25% कर लगाया और यूरोपीय संघ, मेक्सिको और कनाडा से एल्यूमीनियम आयात पर 10% कर लगा दिया।

हांलाकि, वर्तमान में चल रही व्यापार युद्ध में पहला पहल, इस साल मार्च में श्री ट्रम्प द्वारा किया गया था, जब उन्होंने अमेरिकी उत्पादकों की रक्षा के लिए चीन के स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ लगाए थे।

अमेरिका के विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों ने श्री ट्रम्प की चुनावी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए उनके हितों की रक्षा करने के लिए उनकी उत्साह को असंतोषजनक माना जाता है।

हालांकि, अमेरिका और बाकी दुनिया में उपभोक्ताओं को पीड़ित होने की संभावना है, क्योंकि उनकी संबंधित सरकारें विदेशी वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच को महंगा बना देगी।

अपने कार्यों के आधार पर, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अमेरिका के प्रमुख व्यापार सहयोगी वास्तव में अमेरिका के खिलाफ इस व्यापार युद्ध को खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन दुखद तथ्य यह है कि दिन के आखिरी में कोई भी वास्तव में विनाशकारी व्यापार युद्ध नहीं जीतता है।

टैरिफ जो घरेलू उत्पादकों के पक्ष में विदेशी उत्पादकों को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वे यू.एस. या यूरोप या चीन जैसे प्रमुख व्यापार भागीदारों द्वारा लगाए गए हों, लेकिन इस तरह वे केवल करों के बोझ को ही बढ़ा रहे हैं। देखा जाये तो यह सिर्फ एक धीमा वैश्विक आर्थिक विकास है।

विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए टैरिफ के बढ़ते उपयोग का प्रभाव एक दशक पहले वित्तीय संकट के बाद वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण गिरावट के समान हो सकते हैं।

देश जो मुक्त व्यापार के नाम पर अमेरिका के धातु शुल्क का विरोध कर रहे हैं, वे प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगाते समय भी आगे संरक्षणवाद को प्रोत्साहित करते हैं।

जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने उचित रूप से कहा था कि चल रहे व्यापार युद्ध युद्धरत देशों के लिए 'हार-हार की स्थिति' (lose & lose situation) है।

इस युद्ध में एकमात्र विजेता केवल वही देश होते हैं जो विशेष रुचि समूह और उपभोक्ता में शामिल होते हुए इस टैरिफ युद्ध में शामिल नहीं हैं, लेकिन उनकी जीत वैश्विक विकास की लागत पर आधारित है। अब समय आ गया है कि सभी देश मुक्त व्यापार के उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ एक मंच पर आये।

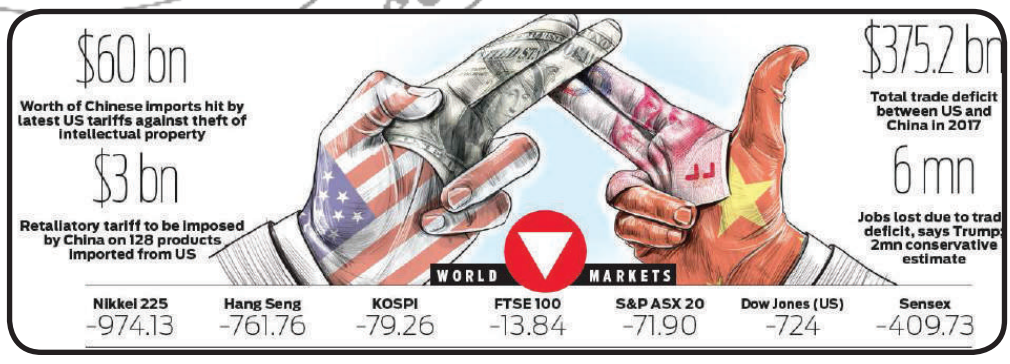

* * *

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस्पात और एल्यूमीनियम पर क्रमशः 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के आयात शुल्क की घोषणा की।
- इसके बाद यूरोपीय आयोग ने घोषणा की कि वह जुलाई से शुरू होने वाले यू.एस. से $ 3.3 बिलियन के आयात (यूएस स्टील, कपड़ों और अन्य औद्योगिक सामानों) पर 25% के रूप में उच्च शुल्क लगाएगा।

व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि

- विश्व के लिए व्यापार युद्ध कभी भी अच्छी नहीं रही है। पिछली बार दुनिया ने व्यापार युद्ध को 1930 के दशक में देखा था जब देशों ने अपने व्यापार अधिशेष को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। नतीजतन दुनिया भर में भारी मंदी, जिसके परिणामस्वरूप 1930 के दशक में ग्रेट डिप्रेशन हुआ।
- हांलाकि, पिछले 80 वर्षों में, एक पूर्ण व्यापार युद्ध का कभी प्रयास नहीं किया गया है। भारत के लिए, कम से कम अपनी आजादी के बाद, व्यापार युद्ध की कोई घटना नहीं हुई है।

भारत पर प्रभाव

- रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत अमेरिकी संरक्षणवाद के खिलाफ प्रतिशोध करना चुनता है तो 2022 तक भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कमी 2.3 प्रतिशत तक हो सकती है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारतीय निर्यात को नुकसान पहुँचेगा और मुद्रास्फीति का कारण बनेगा, जिससे भारत की क्रय शक्ति और निवेश पर असर पड़ेगा।
- अमेरिकी मौद्रिक नीति के कड़े होने से भारत की वित्तीय आवश्यकताओं को प्रभावित करने के बदले भारत की पूंजीगत बहिर्वाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- भारतीय रुपया के मूल्य में कमी और राजनीतिक जोखिम से भारत की पूंजीगत प्रवाह पर असर पड़ सकता है।

लाभ

- अमेरिकी-चीन व्यापार युद्ध के कारण कम समय के लिए ही मगर व्यापार परिप्रेक्ष्य से ब्राजील और भारत जैसे देशों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
- उदाहरण के लिए सोयाबीन के मामले में भारत के लिए अन्य बाजारों में प्रवेश करने के लिए खोलने के मामले में एक प्रभावशाली प्रभाव हो सकता है।
- यूएस-चीन व्यापार युद्ध संक्रमण में तेजी ला सकता है। अमेरिकी कंपनियां जो चीन से आयात पर भारी निर्भर करती हैं उन्हें टैरिफ के आसपास अपनी आपूर्ति श्रृंखला को फिर से डिजाइन करने के लिए मजबूर होना होगा।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उनके आपूर्तिकर्ता चीन के बाहर वैकल्पिक सुविधाओं की तलाश करेंगे। यह चीन के लिए बुरी खबर है लेकिन भारत को लाभ पहुंचा सकता है।
- नई आपूर्ति श्रृंखलाओं की तलाश में भारत को चीन से अधिक बढ़ावा मिलेगा।

चिंताएं

- इस ट्रेड वॉर से बेरोजगारी बढ़ेगी, आर्थिक रफ्तार कमजोर होगी और ट्रेडिंग सहयोगियों के आपस में रिश्ते बिगड़ेंगे। इस वॉर के कारण चीन, हॉन्ग- कॉन्ग और जापान के शेयर बाजारों में 3 फीसदी तक की गिरावट आई है, वहीं भारत में भी सेंसेक्स और निफ्टी कमजोर हुए हैं, जो निश्चित तौर पर नकारात्मक संदेश है।
- अमेरिका का यह कदम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ से भारत सहित कई देशों के लिए स्टील और ऐल्युमिनियम पर टैरिफ लगाए जाने के बाद उठाया गया है। जर्मनी, जापान या कोरिया सभी मुख्य ट्रेड सहयोगियों के साथ 2017 में अमेरिका ने व्यापार घाटा झेला है।
- वहीं इन दोनों देशो के बीच इस समय भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। आने वाले समय में हमें अमेरिकी प्रशासन के साथ सही दिशा में बने रहने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत की ओर से अमेरिकी फर्म को किए जा रहे निर्यात सेवा पर बुरा असर पड़ेगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में ''चल रहे व्यापार युद्ध युद्धरत देशों के लिए हार-हार की स्थिति'' का वर्णन किस अर्थशास्त्री द्वारा किया है?

(a) जोसेफ स्टगलीज

(b) अमर्त्य सेन

(c) थॉमस पीकेटी

(d) रघुराम जी राजन्

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पिछले दशक वित्तीय संकट का एक अहम् कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए टैरिफ का बढ़ता प्रयोग था।
2. टैरिफ जो विदेशी उत्पादकों के पक्ष में घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुँचाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

प्र. निम्नलिखित में से कौन व्यापार-युद्ध की उचित व्याख्या करता है?

(a) सीमा शुल्क वसूलने वाले अधिकारियों के बीच

(b) एक प्रकार का साइबर युद्ध अपराध

(c) एक देश द्वारा दूसरे देश की वस्तुओं पर टैरिफ लगाकर व्यापार को बाधित करना

(d) इनमें से कोई नहीं है

Q. Which economist has described the recent "trade war as lose-lose situation for engaged countries"?

(a) Joseph Stiglitz

(b) Amartya Sen

(c) Thomas Piketty

(d) Raghuram Rajan

Q. Consider the following statements-

1. The increasing use of tariff to control international trade was a main reason for financial crisis in last decade.
2. Tariff which negatively affect domestic goods by favouring foreign goods.

Which of the statement given above is/are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

Q. Which of the following appropriately explain Trade-war?

(a) Tussel between officials collecting custom duties.

(b) A type of Cyber Crime

(c) A country obstructing trade by imposing tariff on the goods of other country

(d) None of these

नोट : 08 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(a), 3(b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. क्या आपकों ऐसा लगाता है कि हाल ही में देशों के द्वारा चल रहे व्यापार युद्ध के कारण पुनः एक बार वित्तीय संकट को निमंत्रण देना है, जहाँ हर देशों के लिए यह हार-हार की स्थिति होगी। अपने मत का औचित्य सिद्ध कीजिए।

(250 शब्द)

Do you think that the ongoing trade war between countries is a invitation to a new financial crisis, which will be 'lose-lose situation' for each country. Logically prove your opinions.

(250 words)

GS World Committed To Excellence

चीन – अमेरिका व्यापार युद्ध और भारत

Source -
The Hindu Editorial (9 June, 2018)

IAS PCS

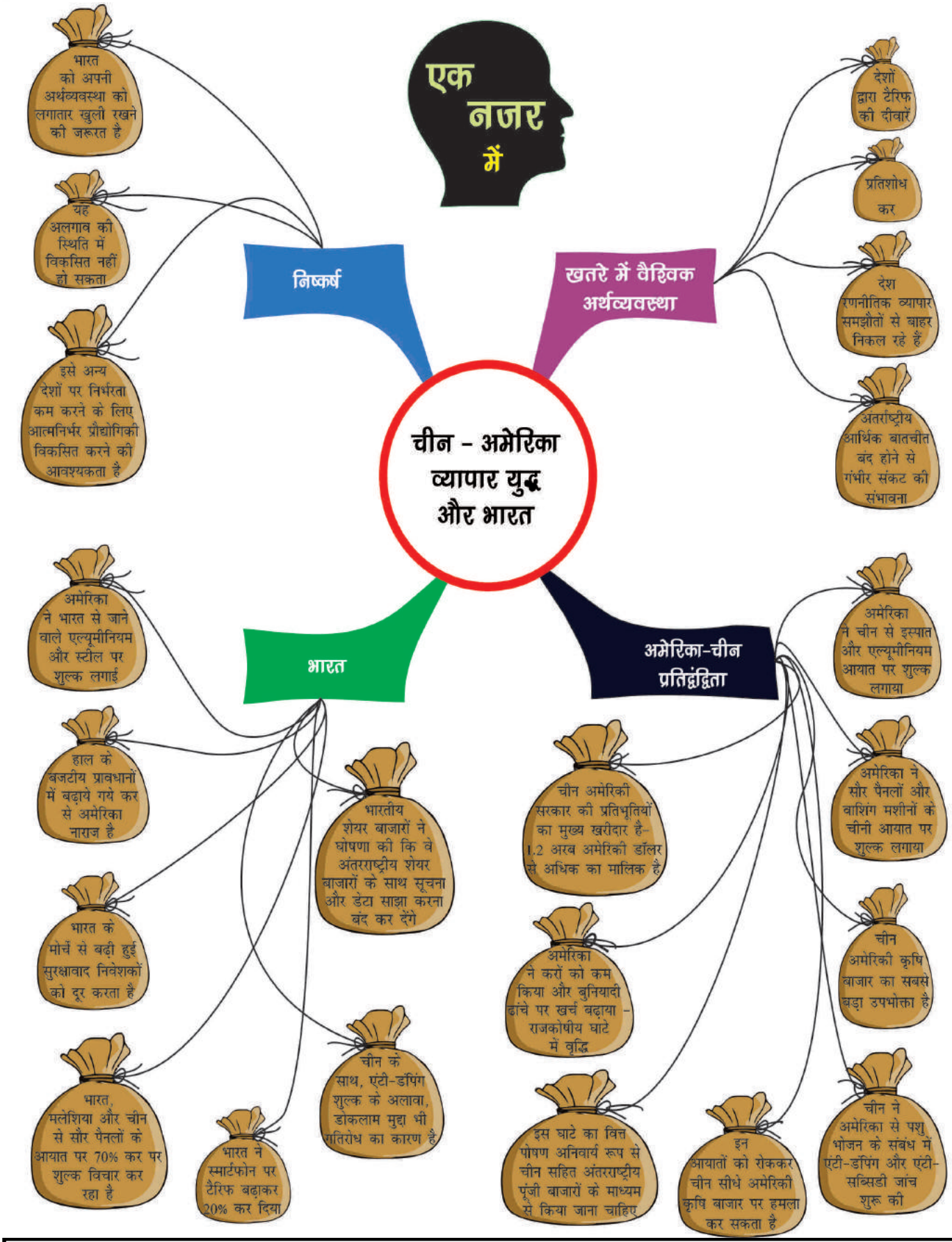

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322

समाधान आसान नहीं : एनपीए से निपटने पर

11 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

''बैड बैंक कोई जादुई छड़ी नहीं है; इस समस्या से निपटने के लिए अन्य संरचनात्मक सुधारों की भी आवश्यकता है।''

वर्तमान में वित्त मंत्रालय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल ने बैंकों से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को जल्द से जल्द हल करने के उद्देश्य से विशेष संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी या संपत्ति प्रबंधन कंपनी के विचार का आकलन करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है। बैंकरों के पैनल को वापस आने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया हैं।

श्री गोयल ने कहा कि बैंक व्यक्तिगत खातों के लिए संकल्प योजनाओं को स्पष्ट करने में मदद के लिए अलग-अलग निरीक्षण समितियों की स्थापना करने की भी योजना बना रहे हैं। इन बोर्ड स्तरीय समितियों में उधारदाताओं को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए बाहरी सदस्यों को शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा, श्री गोयल ने कहा कि इससे जुड़े जोखिम प्रवाह को कम करने के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्रेडिट प्रवाह में सुधार पर विचार-विमर्श किया गया था।

बैंकों ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), निर्यातकों और अन्य छोटे और मध्यम उधारकर्ताओं के क्रेडिट निर्णय को हल करने के लिए तेजी से निर्णय लेने में एक साथ आने और एक और मिलनसार तरीके से काम करना शुरू कर दिया है, ताकि अर्थव्यवस्था, निर्यात की बढ़ती जरूरतों को बहुत तेजी से संबोधित किया जा सकता है।

देखा जाये तो 'खराब बैंक' या बैड बैंक का विचार नया नहीं है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति पुनर्वास एजेंसी (पीआरए) के निर्माण का सुझाव दिया था, जिसे उन्होंने भारत की 'ट्विन बैलेंस शीट समस्या' के रूप में वर्णित किया था।

इस समस्या ने नए निवेश को नुकसान पहुंचाया और भारत की मध्यम अवधि के विकास और नौकरी निर्माण संभावनाओं को प्रभावित करना जारी रखा।

एक व्यावसायिक रूप से संचालित पीआरए या तथाकथित 'बैड बैंक', उधारकर्ताओं की बैलेंस शीट से सबसे बड़े और सबसे तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर नियंत्रण कर सकता है। यह बैंकों को ताजा क्रेडिट बढ़ाने और विकास को गति प्रदान करने में मद्दगार साबित होगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, एक बैड बैंक उधारकर्ताओं पर कठोर कदम उठाते हुए उन पर नियंत्रण रखेगा और बैंक को इस समस्या से राहत दिलाएगा।

हांलाकि, यहाँ ये प्रश्न उठता है कि इस प्रस्ताव का इतना अच्छा होने बावजूद वित्त मंत्रालय ने पिछले साल से अधिक समय से इसे अधर में क्यों छोड़ रखा था? और इसका उत्तर यह है कि इस नई इकाई को बैंकों के समान ही बहुत सारे पूंजीगत समर्थन की आवश्यकता होगी। इनमें से कुछ को एक जटिल लेनदेन के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक से आने के रूप में कल्पना की गई थी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली के तहत सरकार के भीतर लंबी बहस के बाद, यह नोट किया गया कि एक नई संस्था की स्थापना बहुत समय लेने वाली होगी और इसकी स्वामित्व संरचना के साथ-साथ बैंकों से उठाए गए बैड लोन की कीमतों में भी चुनौतियां होंगी।

आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बताया था कि सरकार के स्वामित्व वाले बैड बैंक को अभी भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से जांच का सामना करना पड़ सकता है।

अभी के लिए, निवेशकों को बेहतर प्रयोजन दर्शाने के लिए सरकार स्पष्ट रूप से दबाव में है, क्योंकि इंडिया इंक ने बैंक ऋण अगले दो-तीन वर्षों तक सुस्त रहने की संभावना व्यक्त की है।

भले ही बैड बैंक का विचार एनपीए की समस्या का निदान करने में सक्षम हो या न हो, सरकार को अन्य सुधारों पर भी ध्यान देना चाहिए।

जिसमें पहला है, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम में संशोधन करना, जो बैंकरों और अधिकारियों को दोषियों पर कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम बनाएगा।

दूसरा है, बैंकरों को विलुप्त डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हर सुविधा और समर्थन प्रदान करना। और तीसरा है, दिवाला और दिवालियापन संहिता में व्याप्त कमियों पर कड़ी नजर रखना।

* * *

चर्चा में क्यों?

- सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) में लोन संबंधी परेशानी को देखते हुए 'बैड बैंक' के विचार के साथ एक समिति की स्थापना की है।
- श्री पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि बैंकरों का एक पैनल PSB के लोन संबंधी परेशानियों के लिए नई असेट्स रिकंस्ट्रक्श कंपनी की स्थापना की संभावनाओं को पर विचार करेगा।

बैड बैंक

- बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये बैड बैंक कर्ज में फँसी बैंकों की राशि को खरीद लेगा और उससे निपटने का काम भी इसी बैंक का होगा।
- जब किसी बैंक की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ सीमा से अधिक हो जाती हैं, तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैंक का निर्माण किया जाता है जो मुख्य बैंक की देयताओं को एक निश्चित समय के लिये धारण कर लेता है।

स्वागत योग्य क्यों?

- बैड बैंक की चर्चा केंद्र में इसलिये है, क्योंकि इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में बैड बैंक का जिक्र किया गया है। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगढ़िया ने भी डूबते कर्ज से निपटने के लिये बैड बैंक को बेहद जरूरी बताया है।
- बैड बैंक एआरसी यानी परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों की तरह काम करेगा। बैड बैंक, एक ऐसा बैंक होगा जो दूसरे बैंकों के डूबते कर्ज को खरीदेगा।
- बैड बैंक का नाम 'पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी' यानी पीएआरए होगा और यह प्रयोग जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस जैसे देशों में सफल रहा है।

संबंधित समस्याएँ

- बैड बैंक की स्थापना में सबसे बड़ी समस्या बैंक में हिस्सेदारी को लेकर है। यह जानना दिलचस्प है कि समस्या निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के अधिकतम भागीदारी से है।
- यदि बैड बैंक में सरकार की हिस्सेदारी अधिक हो तो बैंकों की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ इतनी अधिक हो गई है कि बैड बैंक के माध्यम से इनकी खरीद पर सरकार को उल्लेखनीय व्यय करना पड़ सकता है।
- साथ ही एक सरकारी बैड बैंक को उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिनका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के सन्दर्भ में कर रहे हैं।
- यदि बैड बैंक को निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया गया तो सबसे बड़ी समस्या गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के मूल्य को लेकर हो सकती है।
- निजी क्षेत्र का बैड बैंक अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का मूल्य तय करेगा। यदि यह मूल्य बहुत अधिक हुआ तो बैड बैंक का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और यदि यह मूल्य बहुत ही कम हो गया तो बैंकों को उनकी ऋण देयता के अनुपात में राशि नहीं मिल पाएगी।

दोहरे तुलनपत्र की चुनौती

- दोहरे तुलनपत्र की चुनौती सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और कुछ बृहत् कॉर्पोरेट घरानों की अनर्जक वित्तीय स्थितियां हैं।
- बैंकिंग व्यवस्था की समस्याएं कुछ दिनों से बढ़ रही हैं। प्रतिबलित आस्तियां (अनर्जक ऋण पुनर्गठन और आस्तियों) में पिछले कुछ वर्षों से वृद्धि हो रही हैं जिसका प्रभाव पूंजीगत परिस्थितियों पर पड़ा हैं। बैंकों ने पूंजी संरक्षण के उद्देश्य से बाजार में ऋण के प्रवाह को सीमित किया हैं।
- कुछ मामलों में तुलनपत्र की ये सुभेद्यता कॉर्पोरेट क्षेत्र में देखे गए हैं, विशेष रूप से अवसंरचना और वस्तु संबंधी व्यवसायों में जैसे इस्पात में निवेश करने हेतु ऋण लिए लेकिन बाजार की कमजोरियों की वजह से वो ऋण लौटा नहीं पाए।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति पुनर्वास एजेंसी (पीआरए) का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया था।
2. पीआरए का मुख्य कार्य कठिन मामलों का प्रकार लेते हुए ऋण को कम करने के लिए राजनीतिक रूप से कठोर निर्णय लेना।
3. इस नियम का वित्तपोषण या तो बाण्ड बेचकर या निजी कंपनियों को अपनी इक्विटी खरीदने के लिए आमंत्रित करके आएगा।

सही कूट का चयन करें-

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) उपर्युक्त सभी

(d) केवल 3

Q. Consider the following statements-

1. The proposal for Public Sector Asset Rehabilitation Agency (PARA) was given in financial year 2015-16.
2. The main function of PARA is taking responsibility of complex affairs and reducing loans by taking strict political decision.
3. The funding of this body would be done by selling bond or by selling equity to private companies.

Choose the correct option-

(a) Only 1 and 2

(b) Only 2

(c) All of the above

(d) Only 3

नोट : 09 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(c), 3(c) होगा।

GS World
Dedicated To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. विशेष संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां या परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के संबंध में समिति के गठन का सरकार का हालिया फैसला बैड लोन की समस्या से निपटने में सही दिशा में उठाया गया एक बेहतर कदम है। फिर भी सरकार को अन्य सुधारों पर भी ध्यान देना चाहिए। टिप्पणी करे।

(250 शब्द)

The government recent decision regarding formation of committee assess the idea of special asset reconstruction companies or asset management companies to take over bad loans from banks is good step in right directions. But government should focus on other reforms as well. Comment.

(250 Words)

बैड बैंक

Source -
The Hindu Editorial (11 June, 2018)

IAS PCS

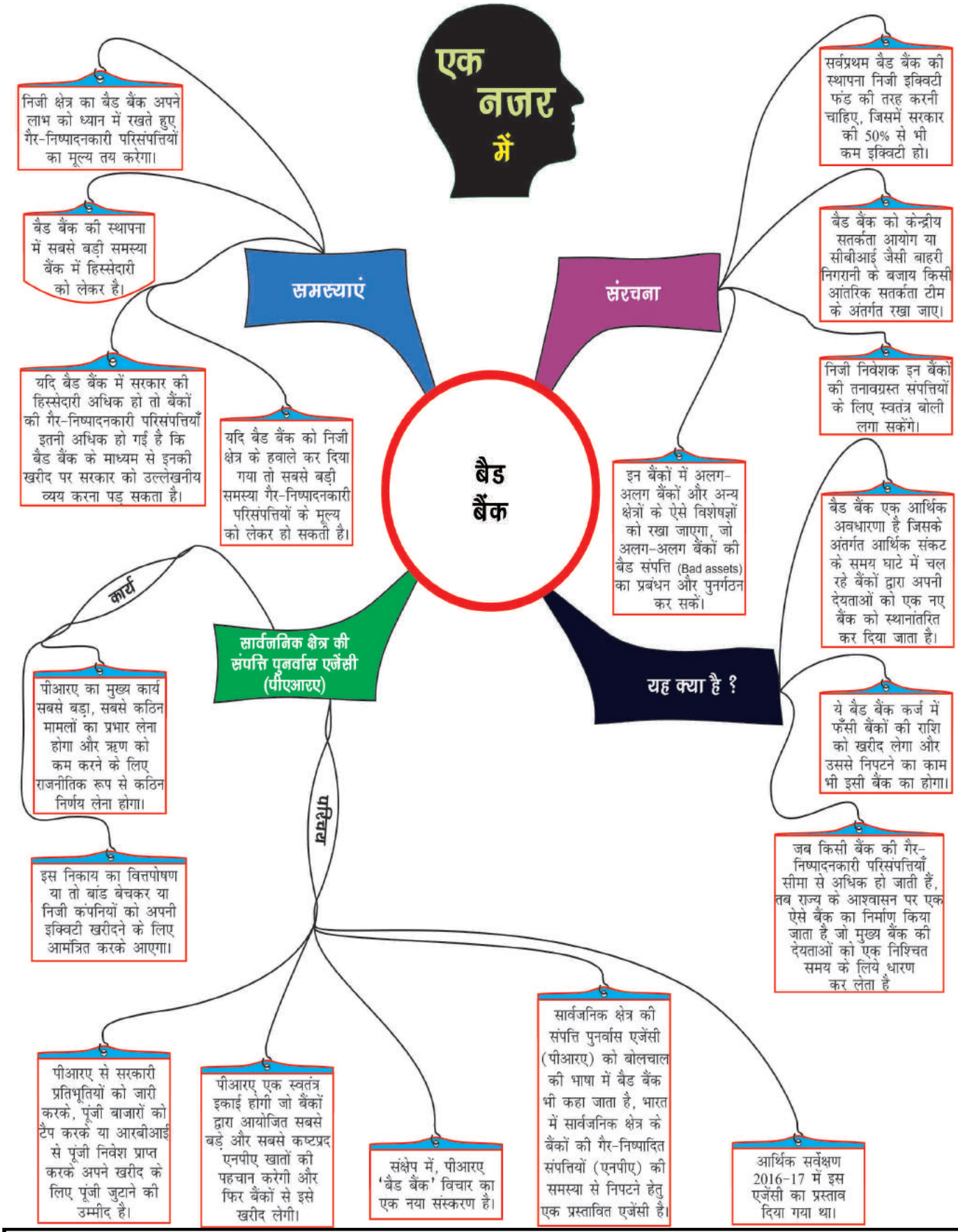

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322

एआई गेराज : कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरूआत पर

12 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (विज्ञान एवं प्रैद्योगिकी) से संबंधित है।

द हिन्दू

नीति आयोग ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पारिस्थितिक तंत्र की शुरुआत करने के संदर्भ में एक महत्वाकांक्षी चर्चा पत्र प्रकाशित किया है। देखा जाए तो, एआई निर्णय लेने के लिए मानवीय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अनुकरण करने वाला कंप्यूटर का एक उपयोग है। इस महत्वाकांक्षी चर्चा पत्र में एआई का उपयोग करते हुए पांच क्षेत्रों को सशक्त करने पर बल दिया गया है अर्थात कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्मार्ट शहरों/बुनियादी ढांचे और परिवहन।

इसमें भारत को दुनिया के 40% के लिए एआई 'गेराज' या समाधान प्रदाता बनने की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है।

हांलाकि, इसे दूर करने के लिए, भारत को कई प्रकार के अनुप्रयोगों का एक एआई टूल्स विकसित करना होगा: जिसमें कैंसर रोगविज्ञान रिपोर्ट पढ़ना, स्मार्ट शहरों में यातायात को बेहतर बनाना, किसानों को अपने उत्पाद को स्टोर करने में मदद करना और स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर को बेहतर बनाना शामिल है।

इसके अलावा, कई देशों में भी इसी प्रकार की समान महत्वाकांक्षाएं मौजूद हैं। यू.एस., जापान और चीन ने अपने एआई रणनीति दस्तावेज प्रकाशित किए हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपनी आकांक्षाओं पर पैसे भी खर्च कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए, जहाँ एक तरफ चीन एआई फर्मों को सब्सिडी के रूप में दस लाख डॉलर देने के साथ-साथ 500 शिक्षकों और 5,000 छात्रों के लिए पांच साल का विश्वविद्यालय कार्यक्रम चलाने की योजना बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग इस बारे में बात ही नहीं करता कि कैसे भारत की महत्वाकांक्षाओं को वित्त पोषित किया जाएगा, लेकिन इन चीजों को पाने के लिए संस्थागत संरचना का प्रस्ताव जरूर दिया गया है।

इस ढांचे में बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान संस्थानों का एक नेटवर्क और एक सीईआरएन जैसी बहुराष्ट्रीय प्रयोगशाला शामिल है जो वैश्विक एआई चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

निश्चित रूप से ये लक्ष्य ऊंचे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इसे पारित कर सकता है? और हमेशा की तरह इसके जवाब में, नीति आयोग उदासीन दृष्टिगत होता है। भारत में आज कोई एआई विशेषज्ञता नहीं है।

महत्वाकांक्षी चर्चा पत्र का अनुमान है कि आईआईटी जैसे अभिजात वर्ग संस्थानों में केंद्रित लगभग 50 शीर्ष-एआई शोधकर्ता हैं। इसके अलावा, केवल 4% भारतीय एआई पेशेवरों को उच्च शिक्षा जैसे उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित किया जाता है।

और जब भारत से शोध प्रकाशित किया जाता है, तो ये बहुत प्रभावशाली नहीं होते; भारत का एच-इंडेक्स (H-index), जो यह दर्शाता है कि भारत के शोध पत्र को कितनी एहमियत दी जाती हैं, तो इसमें भारत 18 अन्य देशों के पीछे है।

केवल इस बात पर कि एआई पर 100% लाभ प्राप्त करने की संभावना कम है, इसलिए इसे वित्त पोषित किया जाना उचित नहीं है, यह उत्साहजनक मालूम नहीं पड़ता है

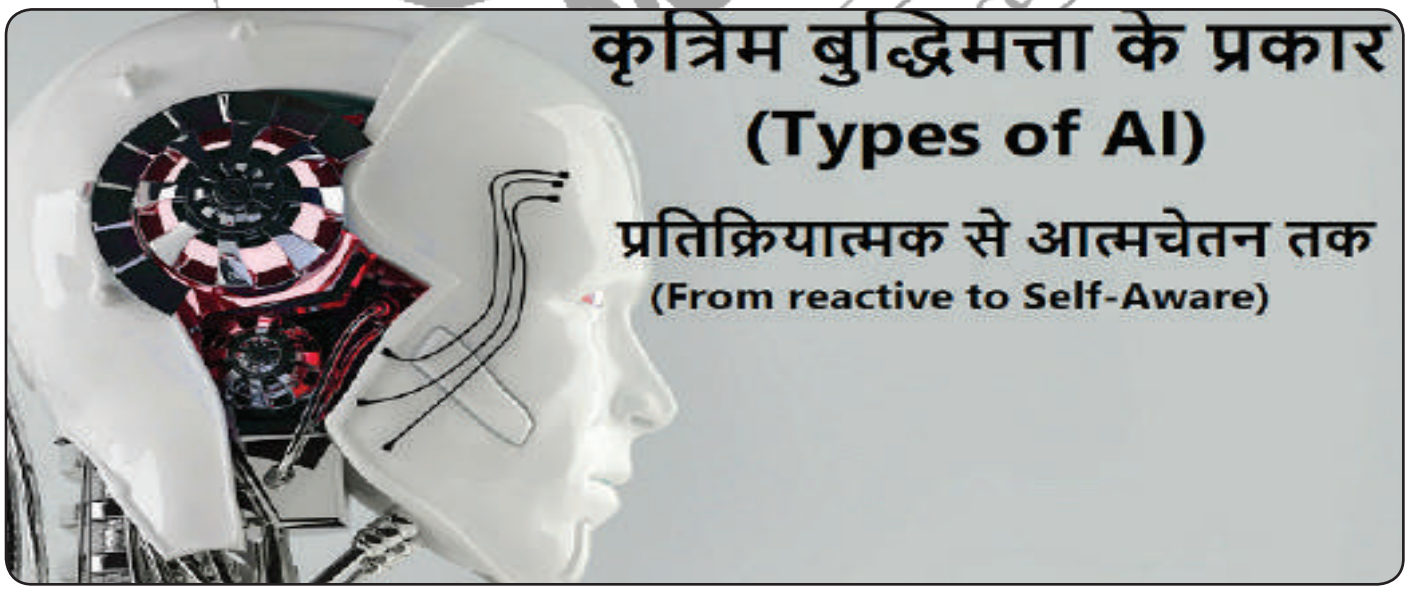

इसकी सफलताओं में से, एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि एक गूगल तंत्रिका नेटवर्क (Google neural network) ने त्वचा विशेषज्ञ चिकित्सकों की तुलना में वैसे त्वचा घावों की पहचान की जो बाद में कैंसर का रूप ले लेते हैं।

हम सभी जानते हैं कि भारत के ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की गंभीर कमी की समस्या मौजूद है, इसलिए इस तरह के उपकरण से हमें काफी लाभ मिल सकता है।

निश्चित रूप से एक स्मार्ट एआई उपकरणों के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण डेटा की आवश्यकता होगी (अच्छी तरह से व्यवस्थित), क्योंकि बिना इसके हम एक बेहतर मशीन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इन गंभीर चुनौतियों के बावजूद, नीति आयोग के चर्चा पत्र के दायरे की सराहना की जानी चाहिए। साथ ही आने वाले कुछ सालों में पता चल सकता है कि देश इसका प्रबंधन कर सकता है या नहीं।

* * *

GS World टीम...

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है?

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) 'बुद्धिमान' मशीन बनाने का विज्ञान है, जो एक बुद्धिमान मानव के दिमाग जैसे विश्लेषण करते हुए निर्णय ले सकता है। अर्थात एक मशीन में सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना।
- इसके जरिये कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है।

पृष्ठभूमि

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में ही हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में 5जी जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर-कंप्यूटर के विकास के लिये 10-वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।
- इसके बाद अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिये 'एल्वी' नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी 'एस्प्रिट' नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी।

प्रकार

- पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, सीमित स्मृति, मस्तिष्क सिद्धांत, आत्म-चेतन

प्रमुख अनुप्रयोग

- कंप्यूटर गेम , प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण , प्रवीण प्रणाली, दृष्टि प्रणाली , वाक् पहचान, बुद्धिमान रोबोट

सरकार की प्रमुख रणनीति

- मानव मशीन की बातचीत के लिये विकासशील विधियाँ बनाना।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और R & D के साथ एक सक्षम कार्यबल का निर्माण करना।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थों को समझना तथा उन पर काम करना।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को मानक मानकर और बेंचमार्क के माध्यम से मापन का मूल्यांकन करना।

बजट में

- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में यह उल्लेख किया था कि केंद्र सरकार का थिंकटैंक नीति आयोग जल्दी ही राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा।
- इसके पहले चीन ने अपने त्रिस्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की रूपरेखा जारी की थी, जिसके बल पर वह वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र में विश्व का अगुआ बनने की सोच रहा है।

भारत में संभावनाएं

- रोबोटिक्स, वर्चुअल रियल्टी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग और अन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर भारत में निकट भविष्य में चौथी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होने की संभावनाएँ तलाशी जाने लगी हैं।
- देश के सामाजिक और समावेशी कल्याण के लिये नवाचारों में विशिष्ट रूप से इसका उपयोग किया जाएगा।
- स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने, शिक्षा में सुधार लाने, नागरिकों के लिये अभिनव शासन प्रणाली विकसित करने में।

चिंताएं

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे रहने और कार्य करने के तरीकों में व्यापक बदलाव आएगा।
- रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों से उत्पादन और निर्माण के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा।
- एक अध्ययन में बताया गया है कि केवल अमेरिका में अगले दो दशकों में डेढ़ लाख रोजगार खत्म हो जाएंगे।
- विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने-समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगें, तो मानवता के लिये खतरा पैदा हो सकता है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित में से कौन एआई की उपयुक्त व्याख्या करता है?

(a) एक प्रकार का कम्प्यूटर

(b) मानवीय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अनुकरण करने वाला कम्प्यूटर का एक उपयोग

(c) एक प्रकार का साइबर अपराध

(d) इनमें से कोई नहीं

Q. Which of the following most appropriately explain AI?

(a) A type of Computer

(b) An application of Computer emulating human cognitive actions.

(c) A type of Cyber Crime

(d) None of these

नोट–

11 जून को दिए गए संभावित प्रश्न (प्रारम्भिक परीक्षा) का उत्तर कथन 2 और 3 दोनों होगा, जो कि त्रुटिवश किसी भी कूट में नहीं दिया गया था।

GS World
Devoted To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. कृत्रिम बुद्धिमत्ता विगत कई दशकों से चर्चा के केंद्र में रहा एक ज्वलंत विषय है। यह भारत में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्मार्ट शहरों/बुनियादी ढांचे और परिवहन क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इस कथन के आलोक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग तथा उनसे जुड़ी सावधानियाँ स्पष्ट कीजिये।

(250 शब्द)

Artificial intelligence has been a vivid topic in the center of the discussion for the past several decades. This will revolutionize the agriculture, education, health care, smart cities/infrastructure and transport sectors in India. Explain the use of artificial intelligence and the precautions associated with it in the light of this statement.

(250 Words)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

Source -
The Hindu Editorial (12 June, 2018)

IAS
PCS

एक नजर में

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

क्या है ?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) 'बुद्धिमान' मशीन बनाने का विज्ञान है, जो एक बुद्धिमान मानव के दिमाग जैसे विश्लेषण करते हुए निर्णय ले सकता है। अर्थात एक मशीन में सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है।

इसके जरिये कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है।

पृष्ठिभूमि

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में ही हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में 5जी जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर-कंप्यूटर के विकास के लिये 10-वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।

इसके बाद अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिये 'एल्वी' नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी 'एस्प्रिट' नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी।

प्रकार एवं अनुप्रयोग

प्रकार
पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, सीमित स्मृति, मस्तिष्क सिद्धांत, आत्म-चेतन

प्रमुख अनुप्रयोग
कंप्यूटर गेम, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, प्रवीण प्रणाली, दृष्टि प्रणाली, वाक् पहचान, बुद्धिमान रोबोट

चिंताएं

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे रहने और कार्य करने के तरीकों में व्यापक बदलाव आएगा।

एक अध्ययन में बताया गया है कि केवल अमेरिका में अगले दो दशकों में डेढ़ लाख रोजगार खत्म हो जाएंगे।

रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों से उत्पादन और निर्माण के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने-समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगें, तो मानवता के लिये खतरा पैदा हो सकता है।

सरकार की प्रमुख रणनीति

मानव मशीन की बातचीत के लिये विकासशील विधियाँ बनाना।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थों को समझना तथा उन पर काम करना।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और R&D के साथ एक सक्षम कार्यबल का निर्माण करना।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को मानक मानकर और बेंचमार्क के माध्यम से मापन का मूल्यांकन करना।

बजट में

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में यह उल्लेख किया था कि केंद्र सरकार का थिंकटैंक नीति आयोग जल्दी ही राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा।

इसके पहले चीन ने अपने त्रिस्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की रूपरेखा जारी की थी, जिसके बल पर वह वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र में विश्व का अगुआ बनने की सोच रहा है।

भारत में संभावनाएं

रोबोटिक्स, वर्चुअल रियल्टी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग और अन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर भारत में निकट भविष्य में चौथी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होने की संभावनाएँ तलाशी जाने लगी हैं।

स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने, शिक्षा में सुधार लाने, नागरिकों के लिये अभिनव शासन प्रणाली विकसित करने में।

देश के सामाजिक और समावेशी कल्याण के लिये नवाचारों में विशिष्ट रूप से इसका उपयोग किया जाएगा।

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक-

मार्कंड झा (जूनियर रिसर्च फेलो, इंटरनेशनल स्ट्डीज स्कूल, जेएनयू)

''मध्य एशियाई क्षेत्र में भारत की भागीदारी और हिस्सेदारी बढ़ी है।''

भारत इस महीने क्विंगदाओ शिखर सम्मेलन में पहली बार एक पूर्ण सदस्य के रूप में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में शामिल हुआ है, जो एक ऐसा विकास है जो मध्य एशियाई भू-राजनीति को प्रभावित कर सकता है।

19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य और जारिस्ट रूस के बीच ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता, जिसे महान खेल के रूप में जाना जाता था, दो महान शक्तियों के बीच शाही महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष था, जिसमें अफगानिस्तान के क्षेत्र ने उनके बीच सीधे टकराव के जोखिम को कम करने में मदद की थी।

19वीं शताब्दी की शुरुआत में, ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारियों को डर था कि जारिस्ट रूस के मध्य एशिया के खानेट्स में अग्रिम भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश हितों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।

अधिकारी चिंतित थे कि यदि रूस अफगानिस्तान पार करते हैं, तो उनके लिए पंजाब के मैदानों को पार करना और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में मजबूती से आगे बढ़ना आसान होगा।

यह तर्क सोवियत संघ के 1991 के ब्रेक-अप के बाद से 'न्यू ग्रेट गेम' या मध्य एशिया में आधुनिक भू-राजनीति के रूप में जाना जाता है, जो एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य नाटो सदस्य और दूसरी तरफ रूस, चीन और एससीओ के अन्य राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिलता है।

मध्य एशिया ने ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच बनाने के कई विवाद देखा है, क्योंकि इन संसाधनों के लिए अधिमान्य पहुंच से घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए ऊर्जा के लिए भूखे वैश्विक शक्तियों को बेहतर ढंग से सक्षम किया जा सकता है।

प्राकृतिक संसाधनों के लिए इस बेहद जरूरी चीज के आसपास पहुँच बनाने के उद्देश्य से लिए, व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा, विचारधारा, जातीयता और यहां तक कि आतंकवाद के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का विस्तार करने के प्रयासों में नई ग्रेट गेम का निर्माण हुआ है।

अमेरिका में 9/11 के हमलों के बाद न्यू ग्रेट गेम अधिक गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसके बाद वाशिंगटन इस क्षेत्र में गहराई से रूचि लेने लगा।

इस क्षेत्र के साथ भारत की भागीदारी भी सक्रिय हो गई है, विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह मध्य एशियाई क्षेत्र को भारत का 'विस्तारित पड़ोस' मानता है। भारत और मध्य एशिया ने लगभग 2,000 वर्षों के लिए साझा सांस्कृतिक संबंधों का आनंद उठाया है।

प्राचीन भारत में कुषाण साम्राज्य से मुगल साम्राज्य तक, दोनों क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी हमेशा उल्लेखनीय रही है। मध्य एशिया की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए भू-राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है।

अब भारत शंघाई सहयोग संगठन मंच के जरिए भारत इस क्षेत्र में अपने एजेंडे को आसानी से आगे बढ़ा सकता है। इतिहास पर गौर करें तो भारत एवं मध्य एशिया के बीच गहरे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। इतिहासकारों की मानें तो भारत में वैदिक सभ्यता के नियंता आर्य मध्य एशिया से ही आए।

भारत का शक्तिशाली कुषाणों का साम्राज्य बनारस से पामीर के पठार के पूर्व तथा मध्य एशिया में तियेनशान और कुनलुन पहाड़ियों तक विस्तृत था। एक धारणा यह भी है कि भारत में शासन करने वाले मुगल सम्राट मध्य एशियाई जातियों के वंशज थे। भारत में उत्पन्न बौद्ध धर्म का प्रभाव आज भी मध्य एशिया में व्याप्त है।

गौर करने वाली बात यह कि भारत एवं मध्य एशिया सिर्फ सांस्कृतिक रूप से ही एक डोर में नहीं बंधे रहे बल्कि, ऐतिहासिक काल से दोनों क्षेत्रों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध भी रहे हैं। इस बात के ढेरों प्रमाण हैं कि भारत एवं मध्य एशिया के बीच आर्थिक संपर्क प्राचीन सिल्क मार्ग से होता था।

अब शंघाई सहयोग संगठन के जरिए भारत मध्य एशियाई राष्ट्रों से कंधा जोड़कर न सिर्फ सामरिक बल्कि परंपरागत आर्थिक संबंधों में भी जान फूंक सकता है। चूंकि मौजूदा समय में भारत मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है ऐसे में मध्य एशियाई देशों से निवेश आवश्यक हो जाता है।

वैसे भी भारत मध्य एशिया के लिए बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। जब भारत को आजादी मिली और आधुनिक मध्य एशिया के कुछ हिस्से यूएसएसआर रूब्रिक के भीतर थे, तो भारत उन कुछ देशों में से एक था जो इस क्षेत्र तक पहुंच बनाए रखने में कामयाब रहा था।

आज, चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे जैसी परियोजनाओं ने क्षेत्र की स्थिरता में भारत की भागीदारी और हिस्सेदारी में वृद्धि की है।

एससीओ में भारत का प्रवेश इस क्षेत्र के साथ अपनी समग्र भागीदारी की दिशा में एक कदम था। मध्य एशिया के संसाधन के लिए बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, भारत बड़ी सावधानी के साथ कदम रखेगा।

* * *

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत इस महीने क्विंगदाओ शिखर सम्मेलन में पहली बार एक पूर्ण सदस्य के रूप में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में शामिल हुआ है जहाँ प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पीएम मोदी ने एक नया मंत्र भी दिया, जिसे उन्होंने SECURE नाम दिया।

क्विंगदाओ घोषणा-पत्र

18वें शंघाई सहयोग संगठन बैठक की समाप्ति पर 10 जून, 2018 को क्विंगदाओ घोषणा-पत्र जारी किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है-

- दीर्घकालिक अच्छे पड़ोसी, मित्रता एवं सहयोग पर प्रतिबद्धता
- अगले तीन वर्षों में आतंकवाद, अलगाववाद एवं उग्रवाद नामक तीन बुराइयों का संयुक्त बुराइयों का संयुक्त रूप से सामना करने की प्रतिबद्धता
- संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में एकीकृत वैश्विक आतंकवाद मंच का आह्वान
- आतंकवाद या उग्रवाद उन्मूलन के नाम पर किसी दूसरे देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने के प्रति प्रतिबद्धता

चीन के साथ समझौता

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के क्रम में भारत और चीन के साथ दो समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। ये निम्नलिखित हैं-

- ब्रह्मापुत्र नदी के जल का सूचना साझा करना (डोकलाम विवाद के समय चीन ने सूचना साझा करना बंद कर दिया था) और
- **चीन को गैर-बासमती चावल का निर्यात :** इसके लिए वर्ष 2006 में फाइटोसैनिटरी आवश्यकता से संबंधित प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया है और इसमें चीन को गैर-बासमती चावन के निर्यात की भी व्यवस्था की गई है। इस कदम से चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। ज्ञातव्य है कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 51 अरब डॉलर है (2016-17)।

शंघाई सहयोग संगठन

इस वर्ष

- भारत ने 9-10 जून, 2018 को चीन के क्विंगदाओ में आयोजित हुए 18वें शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया।
- एससीओ में भारत और पाकिस्तान को पूर्णकालिक सदस्यता मिलने के बाद यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में SECURE का नया कॉन्सेप्ट दिया। अर्थात S यानी सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, E यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C यानी कनेक्टिविटी इन द रीजन, U यानी यूनिटी, R यानी रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड इंटिग्रिटी और E यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन देशों के बीच पर्यटन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही संस्कृतियों के बारे में जागरूकता फैलाने और आतंकवाद और चरमपंथ के प्रभावों का अफगानिस्तान एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण बताया।
- भारत आठ देशों से शंघाई सहयोग संगठन का एकमात्र देश है जिसने चीन की महत्वाकांक्षी बीआरआई पहल का विरोध किया।

पृष्ठभूमि

- शंघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। यूरेशिया का अर्थ है यूरोप और एशिया का संयुक्त महाद्वीपीय भूभाग।
- इस संगठन की शुरुआत शंघाई-5 के रूप में 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है।
- शंघाई-5 चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान देशों का संगठन था।
- 15 जून, 2001 को जब उज्बेकिस्तान को इसमें शामिल किया गया तो इसका नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन रख दिया गया।
- हेड ऑफ स्टेट काउंसिल इसका शीर्षस्थ नीति-निर्धारक निकाय है।
- चीनी और रूसी शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषाएँ हैं।
- भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में इस संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- 2005 से भारत और पाकिस्तान इस संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल थे।
- अफगानिस्तान, मंगोलिया, इरान और बेलारूस पर्यवेक्षक हैं।

भारत के लिए महत्व

- एस.सी.ओ. की पूर्ण सदस्यता मिलने से भारत को मध्य-एशिया से औपचारिक तौर पर जुड़ने के लिये एक और मजबूत मंच मिल जाएगा। संगठन में शामिल मध्य एशिया के देशों में अपार ऊर्जा ससाधन उपलब्ध है। जिससे भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति में सहयोग मिलेगा।
- भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा-विवाद है। यह संगठन उन सीमा-विवादों को हल करने के लिये उचित मंच बन सकता है क्योंकि चीन व पाकिस्तान भी इसके सदस्य हैं।
- कुछ रूकी हुई परियोजनाओं को लागू करने के लिये भी यह संगठन उचित वातावरण निर्मित कर सकता है। जैसे- तापी परियोजना, ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन आदि।
- इस मंच पर भारत रूस जैसे सदस्य देशों के सहयोग से पाकिस्तान पर आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये व सीमापार आतंकवादी भेजने से रोकने के लिये भी दबाव बना सकता है।
- रूस, चीन व मध्य एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान से इस पूरे क्षेत्र में आपसी भाई-चारे की भावना उत्पन्न होगी; आपसी व्यापार से आर्थिक समृद्धि आएगी तथा एक साथ आतंकवाद से लड़ने की कोशिश से शांति की स्थापना भी होने की संभावना है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कुषाण शासकों का साम्राज्य बनारस से पामीर के पठार के पूर्व तथा मध्य एशिया में तियेनशान और कुनलुन पहाड़ियों तक विस्तृत था।
2. भारत में शासन करने वाले मुगल सम्राट मध्य एशियाई जातियों के वंशज थे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2. निम्नलिखित में कौन न्यू ग्रेट गेम की सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है?

(a) एक प्रकार का मध्य एशियाई खेल
(b) मध्य एशिया में आधुनिक भू-राजनीति से संबंधित
(c) रूसी शासन प्रणाली का एक प्रकार
(d) इनमें से कोई नहीं

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य वर्ष 2016 में बना।
2. भारत चाबहार बंदरगाह तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से संबंधित नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Q. Consider the following statements-

1. Kushan Empire was spread from Banaras to the east of Plateau of Pamir and Tiansian and Kunlun mountain in central Asia.
2. Mughal emperor who ruled India was decendant of central Asia community.

Which of the statement given above is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

Q. Which of the following best explains 'The New Great Game'?

(a) A type of Central Aisan Game
(b) Related to New Geo-Polity in Central Asia.
(c) A type of Russain Governance System.
(d) None of these

Q. Consider the following statements-

1. India became a full member of Shanghai cooperation organisation in 2016.
2. India is not related to Chabahar Port and International North-South Transport Corridor.

Which of the statement given above is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

नोट : 12 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. मध्य एशिया ऐतिहासिक रूप से महाशक्तियों के लिए अपना विस्तार करने का एक केंद्र रहा है। स्पष्ट कीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि शंघाई संहयोग संगठन में स्थायी सदस्य बनकर भारत इस क्षेत्र में स्थिरता को तथा अपने हितों को सुनिश्चित कर पाएगा?

(250 शब्द)

Historically Central Asia has been a Center for superpowers to increase their extent. Explain. Do you think that India can ensure its stability and interest in this region by becoming a permanent member of Shanghai Cooperation Organization? Discuss.

(250 Words)

शंघाई सहयोग संगठन

Source -
The Hindu Editorial (13 June, 2018)

IAS PCS

भारत के लिए महत्व

- एस.सी.ओ. की पूर्ण सदस्यता मिलने से भारत को मध्य-एशिया से औपचारिक तौर पर जुड़ने के लिये एक और मजबूत मंच मिल जाएगा। संगठन में शामिल मध्य एशिया के देशों में अपार ऊर्जा संसाधन उपलब्ध है। जिससे भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति में सहयोग मिलेगा।
- भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा-विवाद है। यह संगठन उन सीमा-विवादों को हल करने के लिये उचित मंच बन सकता है क्योंकि चीन व पाकिस्तान भी इसके सदस्य हैं।
- रूस, चीन व मध्य एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान से इस पूरे क्षेत्र में आपसी भाई-चारे की भावना उत्पन्न होगी; आपसी व्यापार से आर्थिक समृद्धि आएगी तथा एक साथ आतंकवाद से लड़ने की कोशिश से शांति की स्थापना भी होने की संभावना है।
- कुछ रूकी हुई परियोजनाओं को लागू करने के लिये भी यह संगठन उचित वातावरण निर्मित कर सकता है। जैसे- तापी परियोजना, ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन आदि।
- इस मंच पर भारत रूस जैसे सदस्य देशों के सहयोग से पाकिस्तान पर आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये व सीमापार आतंकवादी भेजने से रोकने के लिये भी दबाव बना सकता है।

इस वर्ष

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन देशों के बीच पर्यटन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही संस्कृतियों के बारे में जागरूकता फैलाने और आतंकवाद और चरमपंथ के प्रभावों का अफगानिस्तान एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण बताया।
- भारत ने 9-10 जून, 2018 को चीन के क्विंगदाओ में आयोजित हुए 18वें शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया।
- एससीओ में भारत और पाकिस्तान को पूर्णकालिक सदस्यता मिलने के बाद यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में SECURE का नया कॉन्सेप्ट दिया। अर्थात S यानी सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, E यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C यानी कनेक्टिविटी इन द रीजन, U यानी यूनिटी, R यानी रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड इंटिग्रिटी और E यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन।
- भारत आठ देशों से शंघाई सहयोग संगठन का एकमात्र देश है जिसने चीन की महत्वाकांक्षी बीआरआई पहल का विरोध किया।

शंघाई सहयोग संगठन

पृष्ठभूमि

- 2005 से भारत और पाकिस्तान इस संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल थे।
- अफगानिस्तान, मंगोलिया, इरान और बेलारूस पर्यवेक्षक हैं।
- भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में इस संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- चीनी और रूसी शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषाएँ हैं।
- हेड ऑफ स्टेट काउंसिल इसका शीर्षस्थ नीति-निर्धारक निकाय है।
- शंघाई-5 चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान देशों का संगठन था।
- 15 जून 2001 को जब उज्बेकिस्तान को इसमें शामिल किया गया तो इसका नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन रख दिया गया।
- इस संगठन की शुरुआत शंघाई-5 के रूप में 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है।
- शंघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। यूरेशिया का अर्थ है यूरोप और एशिया का संयुक्त महाद्वीपीय भूभाग।

गायब होता स्तर

14 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक-

मैथ्यू इडिकुल्ला (वकील और शोधकर्ता)

''शहरी स्थानीय सरकार का अराजनीतिकरण और विध्वंसकरण कई तरीकों से हुआ है।''

25 साल पहले, संविधान में 73वां (पंचायत के निर्माण के लिए) और 74वां (नगर पालिकाओं के निर्माण के लिए) संवैधानिक संशोधन को पारित करते हुए तर्कसंगत रूप से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था। जहाँ एक तरफ 73वां संशोधन 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ, तो वही दूसरी तरफ 74वां संशोधन 1 जून, 1993 को प्रभाव में आया था। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन का इस महीने तीन साल पूरा हो जायेगा, इसलिए नगरपालिका शासन के लिए भारत द्वारा की गयी कोशिशों की जांच करने का सही समय आ गया है।

74वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के संदर्भ में राज्यों की विफलता के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हालांकि, शहरी स्थानीय सरकारों के अंतर्निहित संवैधानिक रूपरेखा और इस संशोधन के संचालन को प्रभावित करने वाली राजनीति में चिंताओं की जांच करना महत्वपूर्ण है।

'कार्यान्वयन विफलता' का मुद्दा इस बात पर ध्यान केंद्रित है कि कैसे स्थानीय सरकारें वित्तीय रूप से बाधित होती हैं और उनके कार्यों को पूरा करने के लिए उनके पास प्रशासनिक क्षमता नहीं होती है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि कैसे शहरी स्थानीय सरकारें सक्रिय रूप से एक संस्था के रूप में अराजनीतिकरण और विध्वंसकरण हैं।

तथ्य यह है कि कई तरीकों से अराजनीतिकरण और विध्वंसकरण हुआ है। सबसे पहले, शहर के स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को उन्हें राज्य सरकार के अधीन बनाकर शक्तिहीन बना दिया जाता है।

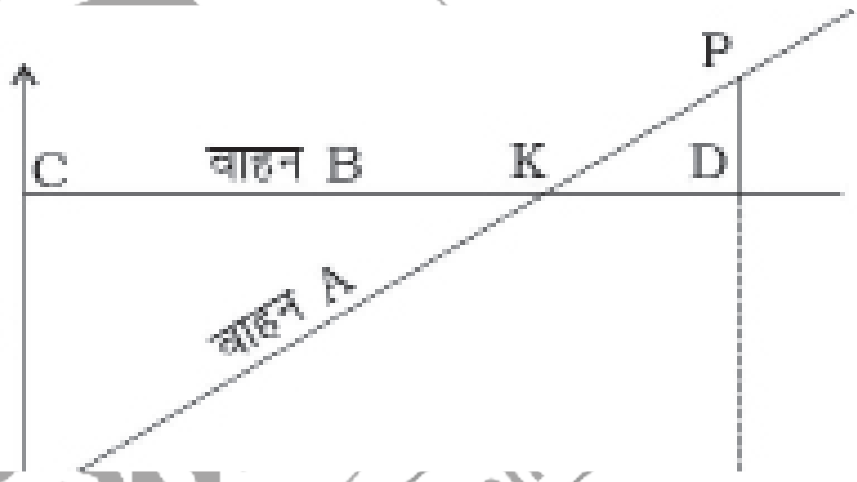

अधिकांश नगरपालिका निगमों में, जहाँ महापौर औपचारिक मुखिया होता है, निगम की कार्यकारी शक्तियां राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयुक्त के पास निहित होती हैं।

नगर निगम प्रशासन में इस विसंगति का इस्तेमाल राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहर के स्तर पर राजनेता किसी शहर पर अपने नियंत्रण की चुनौती राज्य सरकार को ना दे सके।

धुंधला स्तर

राज्य सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न पारास्टाटल एजेंसियों (parastatal agencies) (एक ऐसा संगठन जिसे कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सेवा करता है) के निरंतर संचालन से नगर निगमों को उनकी राजनीतिक भूमिका से दूर कर दिया गया है। इसके अलावा, ये शहरी विकास प्राधिकरणों (जो आधारभूत संरचना का निर्माण) और सार्वजनिक निगमों (जो पानी, बिजली और परिवहन जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं) का रूप ले सकते हैं।

ये एजेंसियां, जो एक निश्चित स्वायत्तता के साथ काम करती हैं, केवल स्थानीय सरकार के लिए ही उत्तरदायी नहीं हैं। यहां तक कि शहरी नियोजन और भूमि उपयोग विनियमन (विश्व स्तर पर एक अत्यंत स्थानीय सरकारी कार्य) राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित विकास प्राधिकरणों के साथ जुड़े हुए हैं।

देखा जाये तो, ये एजेंसियां और अचयनित आयुक्त 74वें संशोधन से पहले भी थी, लेकिन यहाँ सबसे परेशान करने वाली यह है कि हाल ही के वर्षों में स्थानीय सरकार द्वारा किये जा रहे अराजनीतिकरण और विध्वंसकरण है।

स्मार्ट सिटी मिशन जैसे केंद्र सरकार के कार्यक्रम द्वारा केंद्र सरकार स्थानीय सरकार को बाँधना चाहती है। इस कार्यक्रम में स्मार्ट शहरों के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) का निर्माण किया गया, जो 'निर्णय लेने और मिशन कार्यान्वयन में स्वतंत्रता और स्वायत्तता' रखेंगे।

यह एक राज्य सरकार को एसपीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नगरपालिका अधिनियम / सरकारी नियमों के तहत यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय) को निर्णय लेने की शक्तियों को 'प्रतिनिधि' देने के लिए प्रोत्साहित करती है। और साथ ही यह पहल ये भी दर्शाती है कि केंद्र सरकार को शहरी स्थानीय निकायों पर भरोसा नहीं है।

समानांतर संस्थानों का निर्माण जो निर्वाचित स्थानीय सरकार को कमजोर बनाता है, यह दर्शाता है कि कैसे सरकार स्थानीय राजनीति पर भरोसा नहीं करते हैं और शहर पर उनके नियंत्रण को कमजोर बना देते हैं।

यहां तक कि अपने कार्यवाही के भीतर किए गए कार्यों को करने के लिए (जैसे स्थानीय कर लगाना या किसी निश्चित बजट के ऊपर नागरिक परियोजनाएं उपक्रम करना) स्थानीय सरकार को राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है।

इसलिए, नगरपालिकाएं अभी तक स्वायत्त इकाइयां नहीं बन पाई हैं जिन्हें वास्तविक रूप से भारत की संघीय प्रणाली में सरकार का 'तीसरा स्तर' कहा जा सकता है। 73वें और 74वें संशोधन के बाद भी, भारत के पास प्रभावी रूप से सरकार के दो ही स्तर उपलब्ध है अर्थात संघ और राज्य।

भविष्य के मार्ग

यह कहना गलत नहीं होगा कि 74वां संशोधन कई शहरों में नागरिक सक्रियता के लिए बस एक ध्रुवतारा बन कर रह गया है, क्योंकि इसमें कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं। राज्य सरकार के लिए इसके कई प्रमुख प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं।

12वीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध कार्यों, जो यह बताता है कि एक राज्य सरकार स्थानीय सरकार को कौन-कौन से शासन क्षेत्र में शक्ति प्रदान करेगा, लेकिन इसमें शहरी परिवहन, आवास या शहरी कॉमन्स जैसे आवश्यक नागरिक मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है।

74वें संशोधन में औद्योगिक आबादी पर भी अपवाद शामिल है जिसमें यह कहा गया है कि उन क्षेत्रों में नगर निगम को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, जिन क्षेत्रों को औद्योगिक आबादी के रूप में घोषित किया जा चुका है। साफ तौर पर इन प्रावधानों को स्थानीय सरकारों को कमजोर बनाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियोजित किया गया है।

74 वें संशोधन द्वारा अनिवार्य दो निकायों के निर्माण पर नागरिक सक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया गया है, अर्थात वार्ड समितियां और मेट्रोपॉलिटन योजना समितियां। हालांकि, इस तरह के अर्ध-प्रतिनिधि निकायों पर अधिक निर्भरता वास्तव में लोकतांत्रिक शहरी सरकार बनाने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल नहीं है।

वास्तव में, नागरिक समितियों के वार्ड समितियों में अपने सदस्यों को नामांकित करने के निर्धारण में स्थानीय सरकारों को और अधिक कमजोर बना सकता हैं और उन्हें कुछ विशिष्ट निवासी कल्याण संघों के हितों में शामिल कर सकता हैं। उन पर शंका करने के बजाय, हमें यह स्वीकार करना होगा कि स्थानीय सरकारें मूल रूप से राजनीतिक होती हैं जहां कई हित प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं।

अगर कोई शहर अपने निवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए हमें शहरी भारत में सत्ता के आयोजन के मौजूदा तरीकों की पुनः जांच करनी होगी। 73वें संशोधन के विपरीत जो पंचायतों (गांव, तहसील और जिला स्तर) को तीन स्तर प्रदान करता है, शहरी क्षेत्रों में शक्ति एक नगरपालिका निकाय में केंद्रित है (चाहे वह एक नगर निगम, नगरपालिका परिषद या शहर पंचायत हो)।

हालांकि, पिछले 25 वर्षों में भारतीय शहरों में तेजी से वृद्धि हुई है, कुछ शहरों ने 10 मिलियन आबादी के निशान को पार कर लिया है, इसलिए अब जरूरी है कि हम शहरी शासन के वर्तमान मॉडल पर पुनर्विचार करे। देखा जाये तो शहरी शासन सुधार कई आकार ले सकता हैं, उन्हें स्थानीय सरकार के राजनीतिक सशक्तिकरण में अग्रभूमि होना चाहिए जो स्थानीय लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को आगे बढ़ाता है।

* * *

GS World टीम...

पंचायती राज

परिचय-

- भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में, जमीनी स्तर के लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है।
- इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया।
- स्थानीय शासन के विषय को संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में दर्शाया गया है।
- राजस्थान देश का पहला राज्य था, जहाँ पंचायती राज की स्थापना (2 अक्टूबर 1959) हुई।

73वें संशोधन अधिनियम की विशेषताएं

- संविधान में ''ग्राम सभा'' को पंचायती राज की आधारभूत इकाई के रुप में स्थान मिला है।
- पंचायतों की त्रि-स्तरीय व्यवस्था की गयी है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर (ब्लाक स्तर) क्षेत्र पंचायत व जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गयी है।
- प्रत्येक स्तर पर पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा की जाने की व्यवस्था है। लेकिन क्षेत्र व जिला स्तर पर अध्यक्षों के चुनाव चुने हुए सदस्यों में से, सदस्यों द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

- 73वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उसके प्रतिशत के अनुपात से सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक तिहाई भाग प्रत्येक स्तर पर आरक्षित किया गया है।
- अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण की व्यवस्था है। प्रत्येक स्तर पर अध्यक्षों के कुल पदों का एक-तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।
- अधिनियम में पंचायतों का कार्यकाल (5 वर्ष) निश्चित किया गया है। यदि कार्यकाल से पहले ही पंचायत भंग हो जाय तो 6 माह के भीतर चुनाव कराने की व्यवस्था है।
- अधिनियम के द्वारा पंचायतों से संबंधित सभी चुनावों के संचालन के लिए राज्य चुनाव आयोग को उत्तरदायी बनाया गया है।
- अधिनियम के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, ताकि पंचायतों के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। जिससे विभिन्न विकास कार्य किये जा सके।

74वें संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- संसद 74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम सन् 1993 द्वारा, स्थानीय नगरीय शासन को, सवैंधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए किया गया है।
- नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है।
- नगर-पालिका परिषद् का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा।
- नगर-निगम का गठन बडे नगरों के लिए होगा।
- नगरीय (शहरी) स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में अनुसूचित जाातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या, नगर में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जायेगी ।
- नगरीय संस्थाओं की अवधि 5 वर्ष होगी, लेकिन इन संस्थाओं का 5 वर्ष के पहले भी विघटन किया जा सकता है। और विघटन की स्थिति में 6 माह के अदं र चुनाव कराना आवश्यकता होगा।
- नगरीय स्वायत्तशासी सस्थाओं में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियो पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित स्थानों की जा सख्या होगी।

पंचायती राज संबंधी महत्वपूर्ण समिति

- बलवंत राय मेहता समिति (1957)
- वी.आर. राव समिति (1960)
- एस.डी. मिश्र अध्ययन दल (1961)
- वी. ईश्वरन अध्ययन दल (1961)
- जी.आर. राजगोपाल अध्ययन दल (1962)
- दिवाकर समिति (1963)
- एम. रामा कृष्णनैया अध्ययन दल (1963)
- के. संथानम समिति (1963)
- के. संथानम समिति (1965)
- आर.के. खन्ना अध्ययन दल (1965)
- जी. रामचंद्रन समिति (1966)
- वी. रामानाथन अध्ययन दल (1969)
- एम. रामा कृष्णनैया अध्ययन दल (1972)
- दया चौबे समिति (1976)
- अशोक मेहता समिति (1977)
- दांतेवाला समिति (1978)
- हनुमंत राव समिति (1984)
- जी.वी.के. राव समिति (1985)
- एल.एम. सिंघवी समिति (1986)
- पी.के. थुगंन समिति (1989)

* * *

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारतीय संघीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. संविधान में मूल रूप से द्वि-स्तरीय संघीय व्यवस्था का उपबंध किया गया है।
2. संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में संघीय व्यवस्था का तीसरा स्तर जोड़ा गया है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये-

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. स्थानीय स्वशासी निकायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(a) 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
(b) अब स्थानीय स्वशासी निकायों का नियमित चुनाव करना संवैधानिक बाध्यता है।
(c) स्थानीय स्वशासी निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का उपबंध किया गया है।
(d) इसमें महिलाओं के लिये 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

3. पंचायती राज व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है।
2. पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है।
3. गाँव के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

4. निम्नलिखित में से कौन-सा/से पंचायती राज व्यवस्था का अंग है/हैं?

1. ग्राम पंचायत
2. पंचायत समिति
3. जिला परिषद

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये:

(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q. Which of the following statements is/are correct regarding federal system of India?

1. Fundamentally two-tier federal system has been provided in the constitution.
2. Third tier of Federal System has been added to the constitution by constitutional amendment.

Choose the correct answer using the code given below-

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

Q. Which of the following statements is/are not correct regarding Local Self Government bodies?

(a) It was provided constitutional status by 73rd and 74th constitutional amendment.
(b) Now conducting regular election for Local Self Government bodies is constitutionally mandatory.
(c) There is a provision of reservation in Local Self Government bodies of scheduled caste, scheduled tribes and backward class in the proportion of their population.
(d) There is a provision of 33% reservation of women in it.

Q. Consider the following statements regarding Panchayati Raj System-

1. The chairman and members of Gram Panchayat are elected directly.
2. The members of Panchayat Samiti are elected directly.
3. All people of village are members of Gram Sabha.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) 1 and 2
(c) 1 and 3 (d) 1, 2 and 3

Q. Which of the following is/are parts of Panchayati Raj System?

1. Gram Panchayat
2. Panchayat Samiti
3. Zila Parishad

Choose the correct answer using the code given below-

(a) Only 1
(b) 1 and 2
(c) 1 and 3
(d) 1, 2 and 3

नोट : 13 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(b), 3(d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. भारत में शहरी शासन क्यों इतना कमजोर है? शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए क्या अपेक्षित कदम उठाये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Why urban governance in india is so weak? What Should the requisite steps be taken to empower urban local bodies? Discuss. (250 Words)

शंघाई सहयोग संगठन

Source -
The Hindu Editorial (13 June, 2018)

एक नजर में

शंघाई सहयोग संगठन

भारत के लिए महत्व

- एस.सी.ओ. की पूर्ण सदस्यता मिलने से भारत को मध्य-एशिया से औपचारिक तौर पर जुड़ने के लिये एक और मजबूत मंच मिल जाएगा। संगठन में शामिल मध्य एशिया के देशों में अपार ऊर्जा संसाधन उपलब्ध है। जिससे भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति में सहयोग मिलेगा।
- कुछ रूकी हुई परियोजनाओं को लागू करने के लिये भी यह संगठन उचित वातावरण निर्मित कर सकता है। जैसे- तापी परियोजना, ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन आदि।
- भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा-विवाद है। यह संगठन उन सीमा-विवादों को हल करने के लिये उचित मंच बन सकता है क्योंकि चीन व पाकिस्तान भी इसके सदस्य हैं।
- रूस, चीन व मध्य एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान से इस पूरे क्षेत्र में आपसी भाई-चारे की भावना उत्पन्न होगी; आपसी व्यापार से आर्थिक समृद्धि आएगी तथा एक साथ आतंकवाद से लड़ने की कोशिश से शांति की स्थापना भी होने की संभावना है।
- इस मंच पर भारत रूस जैसे सदस्य देशों के सहयोग से पाकिस्तान पर आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये व सीमापार आतंकवादी भेजने से रोकने के लिये भी दबाव बना सकता है।

इस वर्ष

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन देशों के बीच पर्यटन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही संस्कृतियों के बारे में जागरूकता फैलाने और आतंकवाद और चरमपंथ के प्रभावों का अफगानिस्तान एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण बताया।
- भारत ने 9-10 जून, 2018 को चीन के क्विंगदाओ में आयोजित हुए 18वें शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया।
- एससीओ में भारत और पाकिस्तान को पूर्णकालिक सदस्यता मिलने के बाद यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में SECURE का नया कॉन्सेप्ट दिया। अर्थात S यानी सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, E यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C यानी कनेक्टिविटी इन द रीजन, U यानी यूनिटी, R यानी रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड इंटिग्रिटी और E यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन।
- भारत आठ देशों से शंघाई सहयोग संगठन का एकमात्र देश है जिसने चीन की महत्वाकांक्षी बीआरआई पहल का विरोध किया।

पृष्ठभूमि

- 2005 से भारत और पाकिस्तान इस संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल थे।
- अफगानिस्तान, मंगोलिया, इरान और बेलारूस पर्यवेक्षक हैं।
- भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में इस संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- चीनी और रूसी शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषाएँ हैं।
- हेड ऑफ स्टेट काउंसिल इसका शीर्षस्थ नीति-निर्धारक निकाय है।
- शंघाई-5 चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान देशों का संगठन था।
- 15 जून 2001 को जब उज्बेकिस्तान को इसमें शामिल किया गया तो इसका नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन रख दिया गया।
- इस संगठन की शुरुआत शंघाई-5 के रूप में 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है।
- शंघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। यूरेशिया का अर्थ है यूरोप और एशिया का संयुक्त महाद्वीपीय भूभाग।

हिंसा की बदलती प्रकृति

15 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक-
एम. के. नारायणन
(पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर)

''वर्तमान में छायी अशांति और नए युग के खतरों से निपटने के लिए पुलिस को 'स्मार्ट रणनीति' विकसित करनी होगी।''

22 और 23 मई को थूथुकुडी की घटनाओं ने नए युग के विरोध से निपटने के सन्दर्भ में हिंसा की बदलती प्रकृति और मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला है। निश्चित रूप से हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि नए युग के विरोध में आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। वर्तमान में कोई भी न्यायिक महकमा हिंसा के इस स्थानांतरण के वर्गीकरण को समझ नहीं पा रहा है।

उद्योग बनाम पर्यावरण

वर्तमान में चुनौतियां बहुमुखी हैं। थूथुकुडी पर्यावरण बनाम उद्योग की विस्तारित गाथा में एक और घटना है। यह खंड प्रदूषण के मुद्दों को दर्शाता है जो थूथुकुडी में स्टरलाइट के तांबा प्रगालकों से प्रदूषण की समस्या से लेकर कानपुर में चमड़े का कारखाना और गोवा में लौह खानों तक फैला हुआ है। इसके अलावा, हम सभी जानते हैं कि सभी पर्यावरणीय त्रासदियों की मां 1984 की भोपाल गैस त्रासदी बनी हुई है।

इस सूची में एक और तथ्य को जोड़ा जा सकता है कि ये बढ़ती हिंसा जाति संघर्ष से उत्पन्न बढ़ती हिंसा है - जिसमें सबसे हालिया दलित विद्रोह शामिल है; देश भर में किसानों को हो रही समस्या; महिलाओं और बच्चियों से बलात्कार; परंपरा बनाम आधुनिकता के आस पास घूमता मुद्दा; विशेष रूप से पूर्वोत्तर में, और हमारे पास निरंतर संघर्ष और हिंसा का एक खुला खाका मौजूद है। उनमें से प्रत्येक में शामिल मुद्दे अत्यधिक जटिल हैं और उसपर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है।

थूथुकुडी में हिंसा, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम तीन पुलिस फायरिंग और एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों की मौत हो गई, कई अनुत्तरित प्रश्न को जन्म दिया हैं।

पुलिस फायरिंग में मौतों की संख्या इस तरह की स्थिति के लिए असामान्य रूप से अधिक थी, लेकिन किसी ने भी निश्चित रूप से यह सवाल नहीं उठाया कि गोलीबारी निर्धारित कानून और व्यवस्था प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं हुई थी।

विवेकहीनता और पुलिस अतिसंवेदनशीलता के संदर्भ में इस तरह की स्थिति अपरिहार्य हैं। देखा जाये तो यह हिंसा हो रहे विद्रोह के 100वें दिन हुई, तो अब प्रश्न यह उठता है कि 99 दिनों तक इस विद्रोह को शांत कैसे बनाए रखा गया था?

इस तरह के उदाहरणों में, मूल तथ्य तक पहुंचना महत्वपूर्ण है जो हिंसा का कारण बनता है। मिसाल के तौर पर, दिसंबर 2012 में दिल्ली के गैंगरेप का मामला, जो क्रोध को उकसाने के लिए अपने उच्च स्तर पर था।

22 मई को घटनाओं का आधिकारिक संस्करण, जिसमें सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था और अधिकारियों द्वारा फायरिंग के आदेश जारी किए गए थे, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने खुले तौर पर चुनौती दी थी। वास्तव में क्या हुआ इस सवाल के संदर्भ में कोई जवाब नहीं आने वाला हैं।

आधिकारिक संस्करण को जनता से अलग करने वाला सबसे बड़ा अंतर प्रदर्शनकारियों के बीच 'एजेंट उत्तेजक' की मौजूदगी / अनुपस्थिति के बारे में है। आधिकारिक संस्करण ऐसे तत्वों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है; प्रशासन ने ऐसे कुछ तत्वों की पहचान की है, जिनमें से कुछ कथित रूप से ज्ञात आतंकवादी संगठनों से संबंधित हैं।

हालांकि, बाहरी लोगों की उपस्थिति की रिपोर्ट प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से खारिज कर दी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश भर में आज के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों में से कई आतंकवादी तत्वों द्वारा प्रेरित होते हैं, जो अराजकता पैदा करने के लिए पहले से ही पूर्वनियोजित होते हैं।

देखा जाये तो स्टरलाइट की कहानी अद्वितीय नहीं है। अतीत से गुणात्मक अंतर यह है कि आज विरोध प्रदर्शन को पूरे समुदायों द्वारा अपनाया जा रहा हैं। साथ ही ये आंदोलन 'नेताहीन' होते जा रहे हैं, जो एक ताकत और कमजोरी दोनों है।

सरकार और यहां तक कि ट्रिब्यूनल आज भी प्रदर्शनकारियों द्वारा गहरे संदेह के साथ देखे जाते हैं, जो निर्णय के अवसरों को सीमित करते हैं। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलग-अलग समय पर विपरीत निर्णयों ने भी शायद ही इनकी कभी मदद की है।

22 मई को हुए बेबुनियाद हिंसा के लिए कई संभावित स्पष्टीकरण हो सकते हैं। पहला ये कि जब तक कि आंदोलन सीमित क्षेत्र तक ही सीमित थे, तब तक इसे नियंत्रित करना आसान था। ऐसी घटना तब हुई जब 100 वें दिन आंदोलन इस सीमा से आगे बढ़ गया।

दमनकारी क्रोध की उम्र-

यह 'उच्च वोल्टेज' विद्रोह का समय है, मूल रूप से दमनकारी क्रोध की अभिव्यक्ति। स्टरलाइट फैक्ट्री को बंद करने के बाद अब कई सैकड़ों श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं, इसलिए अब खतरा यह है कि वे हिंसा के नए दौर को बढ़ावा देंगे। और यह एक ऐसा पहलू है जिसे बारीकी से देखा जाना चाहिए।

थूथुकुडी में, विद्रोह स्टरलाइट के खिलाफ था जिससे पर्यावरण और स्थानीय लोग पीड़ित थे। कोलकाता से कुछ ही मील दूर, कई महीनों से ग्रामीणों ने एक पावर ग्रिड परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके लिए भूमि कई साल पहले हासिल की गई थी।

पुलिस प्रभावशीलता-

पुराने समय से पुलिस को यह सलाह दी जाती रही है कि भीड़ का प्रबंधन कैसे किया जाये, जिसमें धारा 144 के प्रतिबंध और लागू करने सहित, आज प्रचलित परिस्थितियों में थोड़ी प्रासंगिकता है।

कई अन्य कारणों से भी पुलिस की प्रभावशीलता में बाधा आती है, जिसमें अक्सर भीड़ द्वारा उन्हें उकसाया जाना शामिल हैं। पुलिस को अपने स्तर पर यह समझना होगा कि मौजूदा कानून और प्रक्रियाओं के होने के बावजूद, जबतक नागरिकों में विश्वास का निर्माण नहीं होता है, तब तक सफल होने की संभावना नहीं है।

वर्तमान में नई 'स्मार्ट रणनीति' विकसित की जाने की आवश्यकता है। क्योंकि हर जगह विरोध प्रदर्शन की बढ़ती घटना के लिए पुलिस को दोषी ठहराना कोई बेहतर विकल्प नहीं है।

* * *

GS World टीम...

पुलिस सुधार

पुलिस व्यवस्था क्या है?

- पुलिस बल राज्य द्वारा अधिकारित व्यक्तियों का एक गठित निकाय है, जो राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने, संपत्ति की रक्षा और नागरिक अव्यवस्था को सीमित रखने का कार्य करता है।
- पुलिस को प्रदान की गई शक्तियों में बल का वैध उपयोग भी शामिल है। पुलिस बल को राज्य की रक्षा में शामिल सैन्य या अन्य संगठनों से अलग बल के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- पुलिस राज्य सूची (सूची II, भारतीय संविधान की अनुसूची 7) के तहत एक विशेष विषय है।

पुलिस सुधारों की जरूरत क्यों?

- अवसंरचनात्मक कमियाँ
- कार्यबल में कमी
- फॉरेंसिक जाँच व प्रशिक्षण की निम्न गुणवत्ता
- अत्याधुनिक हथियारों की कमी
- वाहनों व संचार साधनों की कमी
- पारदर्शिता का अभाव
- राजनीतिक हस्तक्षेप
- पुलिस की संवेदनहीनता
- विभिन्न समितियों एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देश
- एक "स्टेट सिक्योरिटी कमीशन" का गठन हो, जिसका दायित्व, पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त रखना होगा।
- एक "पुलिस स्टेब्लिशमेंट बोर्ड" का भी गठन हो, जिससे कार्मिक मामलों में पुलिस को स्वायत्तता प्राप्त हो।
- एक "पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ" का गठन हो, जो पुलिस के विरुद्ध गंभीर शिकायतों की जाँच कर सके।
- डी.जी.पी. का कार्यकाल 2 साल सुनिश्चित करने के अलावा आई. जी. व अन्य पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल भी सुनिश्चित किया जाए।
- राज्यों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने तथा पुलिस में महिला-कर्मियों की संख्या में भी वृद्धि की जाए।
- पुलिस की कार्यशैली को अत्याधुनिक बनाने के लिये उसे आधुनिक हथियारों और उन्नत फॉरेंसिक जाँच तंत्र उपलब्ध करवाना होगा।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए सन् 1861 के पुलिस एक्ट को समाप्त करके सोली सोराबजी समिति द्वारा प्रारूपित 2006 के एक्ट को लागू किया जाए।

इतिहास और संबंधित समितियां

- पहला पुलिस आयोग 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद किया गया था। 1861 के पुलिस अधिनियम का अधिनियमन।
- 1902 में दूसरा पुलिस आयोग एएचएल फ्रेजर द्वारा भारत में पुलिस सुधार हेतु किया गया था।
- आजादी के बाद 1959 में केरेला ने पुलिस सुधार समिति की स्थापना की थी।
- पुलिस प्रशिक्षण पर गोरे कमेटी,
- राष्ट्रीय पुलिस आयोग,
- पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति,
- पुलिस सुधारों पर पद्मनाभाई कमेटी,
- प्रकाश सिंह बनाम संघ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधार हेतु निर्देश
- सोलि सोराबजी समिति
- अपेक्षित सुधार
- भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 में बदलाव
- पुलिस-जनसंख्या अनुपात में वृद्धि
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 132 और 197 में बदलाव की आवश्यकता

GS World Committed to Excellence

लोकपाल कानून की जरूरत

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय पुलिस को SMART अर्थात् संवेदनशील (SENSITIVE), आधुनिक (MODERN), सतर्क व जिम्मेदार (ALERT and ACCOUNTABLE), विश्वसनीय (RELIABLE) तथा तकनीकी क्षमता युक्त एवं प्रशिक्षित (TECHNO-SAVY and TRAINED) बनाने का आह्वान किया है।

चुनौतियाँ

- भारत में पुलिस के पास खुफिया आंकड़ों के एकत्रण एवं उनके विश्लेषण के लिये प्रभावी साधनों का अभाव है।
- राज्यों के अन्वेषण विभागों की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है। कई शीर्ष अन्वेषण एजेंसियों एवं पुलिस विभागों में पदों की रिक्तियाँ हैं।
- पुलिस को उपलब्ध हथियार और उपकरण पुराने, निम्न स्तरीय एवं अप्रचलित किस्म के हैं।
- पुलिस को न तो पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है और न ही तकनीकी ज्ञान की पर्याप्त जानकारी प्रदान की जा रही है अत: वे तकनीकों का प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर पाते।
- विभिन्न पुलिस विभागों एवं जाँच एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है।
- पुलिस राजनीतिक हस्तक्षेप से पीड़ित है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में ''थूथुकुडी'' जो समाचारों में रहा था, किस राज्य में स्थित है?

(a) केरल
(b) तमिलनाडु
(c) कर्नाटक
(d) आन्ध्रप्रदेश

2. थूथुकुडी की घटना निम्न में से किस प्रकार के विद्रोह का उदाहरण है?

(a) परम्परा बनाम आधुनिकता
(b) किसानों की समस्या
(c) महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दे
(d) पर्यावरण बनाम उद्योग

3. धारा-144 के तहत प्रतिबंध किस उद्देश्य से लगाया जाता है?

(a) शांति बनाए रखने के लिए
(b) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तीव्र करने के लिए
(c) संगठन बनाने के लिए
(d) इनमें से कोई नहीं

Q. Recently in news 'Thoothukudi' is situated in which state?

(a) Karala
(b) Tamil Nadu
(c) Karnataka
(d) Andhra Pradesh

Q. The incident of Thoothukudi is an example of which kind of revolt?

(a) Tradition versus Modernity
(b) Problem of Farmers
(c) Matter related to women and child
(d) Environment versus Industry

Q. For what objective ban is enforced under Section-144?

(a) To maintain Peace
(b) To intensity the freedom of speech
(c) To form a confederation
(d) None of these

नोट : 14 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(c), 3(b), 4(d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. वर्तमान समय में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती हिंसा की बदलती प्रकृति और मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं में तालमेल का अभाव है। थूथुकुडी की घटना के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। साथ ही इससे निपटने हेतु उचित उपाय बताएं। **(250 शब्द)**

The major challenges before internal security in present time is the changing nature of violence and the lack of coordination between existing rules and processes. Analyze in the cotext of Thoothukudi (Tuticorin). Explain appropriate measures to deal with this.

(250 Words)

पुलिस सुधार

Source - The Hindu editorial
(15 June, 2018)

IAS PCS

पुलिस सुधार

पुलिस व्यवस्था

- पुलिस बल राज्य द्वारा अधिकारित व्यक्तियों का एक गठित निकाय है, जो राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने, संपत्ति की रक्षा और नागरिक अव्यवस्था को सीमित रखने का कार्य करता है।
- पुलिस को प्रदान की गई शक्तियों में बल का वैध उपयोग भी शामिल है। पुलिस बल को राज्य की रक्षा में शामिल सैन्य या अन्य संगठनों से अलग बल के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- पुलिस राज्य सूची (सूची II, भारतीय संविधान की अनुसूची 7) के तहत एक विशेष विषय है।

इतिहास और संबंधित समितियाँ

- पहला पुलिस आयोग 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद किया गया था। 1861 के पुलिस अधिनियम का अधिनियमन।
- 1902 में दूसरा पुलिस आयोग एएचएल फ्रेजर द्वारा भारत में पुलिस सुधार हेतु किया गया था।
- आजादी के बाद 1959 में केरेला ने पुलिस सुधार समिति की स्थापना की थी।
- पुलिस प्रशिक्षण पर गोरे कमेटी,
- राष्ट्रीय पुलिस आयोग,
- पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति,
- पुलिस सुधारों पर पद्मनाभाई कमेटी,
- प्रकाश सिंह बनाम संघ- सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधार हेतु निर्देश
- सोलि सोराबजी समिति

आवश्यकता क्यों?

- अवसंरचनात्मक कमियाँ
- कार्यबल में कमी
- अत्याधुनिक हथियारों की कमी
- वाहनों व संचार साधनों की कमी
- पारदर्शिता का अभाव
- राजनीतिक हस्तक्षेप
- पुलिस की संवेदनहीनता
- फॉरेंसिक जाँच व प्रशिक्षण की निम्न गुणवत्ता

अपेक्षित सुधार

- भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 में बदलाव
- पुलिस-जनसंख्या अनुपात में वृद्धि
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 132 और 197 में बदलाव की आवश्यकता
- लोकपाल कानून की जरूरत
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय पुलिस को SMART अर्थात् संवेदनशील (SENSITIVE), आधुनिक (MODERN), सतर्क व जिम्मेदार (ALERT and ACCOUNTABLE), विश्वसनीय (RELIABLE) तथा तकनीकी क्षमता युक्त एवं प्रशिक्षित (TECHNO & SAVY and TRAINED) बनाने का आह्वान किया है।

विभिन्न समितियों एवं SC द्वारा दिये गए निर्देश

- एक "स्टेट सिक्योरिटी कमीशन" का गठन हो, जिसका दायित्व, पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त रखना होगा।
- एक "पुलिस स्टेब्लिशमेंट बोर्ड" का भी गठन हो, जिससे कार्मिक मामलों में पुलिस को स्वायत्तता प्राप्त हो।
- एक "पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ" का गठन हो, जो पुलिस के विरुद्ध गंभीर शिकायतों की जाँच कर सके।
- डी.जी.पी. का कार्यकाल 2 साल सुनिश्चित करने के अलावा आई. जी. व अन्य पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल भी सुनिश्चित किया जाए।
- राज्यों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने तथा पुलिस में महिला-कर्मियों की संख्या में भी वृद्धि की जाए।
- पुलिस की कार्यशैली को अत्याधुनिक बनाने के लिये उसे आधुनिक हथियारों और उन्नत फॉरेंसिक जाँच तंत्र उपलब्ध करवाना होगा।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए सन् 1861 के पुलिस एक्ट को समाप्त करके सोली सोराबजी समिति द्वारा प्रारूपित 2006 के एक्ट को लागू किया जाए।

चुनौतियाँ

- भारत में पुलिस के पास खुफिया आंकड़ों के एकत्रण एवं उनके विश्लेषण के लिये प्रभावी साधनों का अभाव है।
- राज्यों के अन्वेषण विभागों की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है। कई शीर्ष अन्वेषण एजेंसियों एवं पुलिस विभागों में पदों की रिक्तियाँ हैं।
- पुलिस को उपलब्ध हथियार और उपकरण पुराने, निम्न स्तरीय एवं अप्रचलित किस्म के हैं।
- पुलिस को न तो पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है और न ही तकनीकी ज्ञान की पर्याप्त जानकारी प्रदान की जा रही है। अत: वे तकनीकों का प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर पाते।
- विभिन्न पुलिस विभागों एवं जाँच एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है।
- पुलिस राजनीतिक हस्तक्षेप से पीड़ित है।

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक-

सौम्य डी. भादुरी
(मेडिकल चिकित्सक और संपादक)

''प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मेडिकल शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।''

वर्ष 2005 में, हर 10,000 लोगों के लिए, भारत में शहरी इलाकों में 10 डॉक्टर थे लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में केवल एक ही था। और समस्या यह है कि आज भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। लांसेट रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या पिछले दशक की तुलना में थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन इसके बावजूद गांवों में काम करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों की संख्या की पूर्ति कैसे हो, ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

देखा जाये तो इस समस्या का एकमात्र उत्तर गांवों में अधिक एमबीबीएस डॉक्टरों को आकर्षित करना है, जिसमें मुख्य रूप से पर्याप्त बुनियादी ढांचे और वेतन में वृद्धि के साथ बेहतर काम करने की परिस्थितियां उन्हें प्रदान करना होगा। हांलाकि, इससे भी समस्या पूरी तरह से हल नहीं हो सकती है, क्योंकि यह समस्या सरल समाधान के दायरे से परे है।

डी बनर्जी ने मेडिकल शिक्षा की मौजूदा प्रणाली में दो मौलिक कमियों का उल्लेख किया। पहला, इसे समाज के एक बहुत ही छोटे विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की सेवा के लिए विकसित किया गया था और दूसरा, प्राकृतिक विज्ञान के साथ, यह पश्चिम की सांस्कृतिक के साथ आया।

देश की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेडिकल शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इसके साथ-साथ हमारी स्नातक मेडिकल शिक्षा एक समर्पित और सक्षम प्राथमिक देखभाल चिकित्सक बनाने पर केंद्रित थी, जो देश की स्वास्थ्य आवश्यकताओं, विशेष रूप से ग्रामीण आबादी के लिए प्राथमिक देखभाल की वांछनीयता के प्रति संवेदनशील थी। हालांकि, इसने शायद ही कभी ये लाभकारी साबित हुआ।

जैसा कि हम जानते हैं, चिकित्सा विज्ञान सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि आज बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है, इसके गिरते स्तर के कारण हम भारी कीमत चुका रहे हैं। देश के अधिकतर क्षेत्रों में आज ढहते हुए चिकित्सा केन्द्रों में स्वास्थ्य सेवा देने के लिए अच्छे चिकित्सक और उनके सहकर्मी नहीं जाना चाहते हैं।

यदि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की बात की जाए तो शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में बहुत अंतर पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र बहुत दूर-दूर तक भी नहीं पाए जाते हैं।

पिछले कुछ दशकों में मेडिकल पाठ्यचर्या सुधार के कई पहलुओं को देखा हैं। श्रीवास्तव समिति (1975) ने राष्ट्रीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के साथ चिकित्सा शिक्षा के पुनरुत्थान की सलाह दी थी, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (1983) ने प्राथमिक आबादी वाले चिकित्सक को ग्रामीण आबादी को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने की वकालत की थी।

वर्ष 1997 में प्रख्यात स्नातक मेडिकल शिक्षा पर विनियमन ने क्षैतिज और लंबवत एकीकरण और समस्या-आधारित शिक्षा निर्धारित करने के अलावा स्वास्थ्य और समुदाय पर जोर दिया था।

लक्ष्य दो गुना किया गया है। जिसमें न केवल एक सक्षम प्राथमिक देखभाल चिकित्सक बनाना शामिल है, बल्कि 'बीमारी और अस्पताल' के बजाय 'स्वास्थ्य और समुदाय' के प्रति केन्द्रित होना है। समुदाय के प्रति मेडिकल शिक्षा उन्मुख करने के निर्देशित कुछ सकारात्मक पाठ्यचर्या परिवर्तनों के बावजूद, हम ष्सामाजिक परिप्रेक्ष्यष् को विकसित करने में शायद ही कभी सफल हुए हैं जो हमें समुदाय की स्वास्थ्य आवश्यकताओं से सहानुभूति व्यक्त करने और उससे संबंधित होने की अनुमति दे सकता है।

यहां कुछ प्रासंगिक और समय पर अवलोकन किए जाने की आवश्यकता है। हमने, हमारे चिकित्सा पाठ्यक्रम के माध्यम से, सामाजिक सांस्कृतिक सेटिंग के साथ मेडिकल छात्रों को परिचित नहीं कराया है, जिसमें भारत में दवाएं शामिल हैं।

सामुदायिक चिकित्सा, जैसे कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य और स्वच्छता के तहत विषयों को नैदानिक विषयों के साथ अपर्याप्त रूप से एकीकृत किया गया है। निश्चित रूप से, यह अपेक्षा करना गलत होगा कि ऐसी परिस्थितियों में प्रशिक्षित डॉक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आराम महसूस करे।

मेडिकल शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में प्राथमिक देखभाल को बढ़ाने और बनाए रखने की दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता था।

जब तक हमारे चिकित्सा कार्यबल की प्रेरणा हमारी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के साथ नहीं जुड़ती है, तब तक हमारी समस्या के समाधान को प्रभावित करने में कोई उपाय सफल नहीं होगा।

इस निराशाजनक परिदृश्य में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र विशेषकर आयुष शिक्षा में सुधारों की आवश्यकता है जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जन साधारण तक पहुंचाया जा सके। चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण, क्योंकि अंत में उसी को देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करना है।

यही अच्छी चिकित्सा शिक्षा का लक्ष्य है। इस समय यदि देखा जाए तो देश के कुछ चिकित्सा संस्थानों के अतिरिक्त अन्य सभी में स्वास्थ्य उन्मुख शिक्षा, दिशाहीन, अनियमित और गैर मानकीकृत है।

इस समय एक एजेंसी की आवश्यकता है जो पूरी स्वास्थ्य प्रणाली के कार्यों पर हर समय नजर रखे और निजी व सरकारी व्यवस्था का बेहतर उपयोग किया जा सके।

अगर मेडिकल कॉलेज सेवा परक शैक्षिक वातावरण न उत्पन्न कर सके तो कुछ समय बाद डॉक्टरों के लिए चिकित्सा मात्र एक व्यवसाय बनकर रह जाएगा जो इसका प्रयोग पैसा व प्रतिष्ठा कमाने के लिए करेंगे, सेवा करने के लिए नहीं।

हमें एक ऐसी मेडिकल पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जो प्राथमिक देखभाल और सामुदायिक स्वास्थ्य और एक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और नीति पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुख हो।

* * *

GS World टीम...

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017

- 15 दिसंबर, 2017 को मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017 को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- विधेयक के अंतर्गत एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन की बात कही गई है।
- इस कमीशन के तहत 25 सदस्य शामिल होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इनका कार्यकाल अधिकतम 4 वर्षों का होगा।

आवश्यकता

- दरअसल, देश में स्वास्थ्य क्षेत्र बदहाल है और इसकी बदहाली के कई कारण हैं। मसलन, चिकित्सा शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार और नैतिकता एवं कुशल प्रशासन के मानकों में लगातार गिरावट देखी जा रही है।
- उल्लेखनीय है कि लोढ़ा समिति, नीति आयोग और संसदीय स्थायी समिति ने बदहाली के इन कारणों का जिम्मेदार भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को माना है।
- यह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को मेडिकल प्रशासन में असमान शक्तियाँ प्रदान करता है।

इस विधेयक में शामिल अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधान हैं:

- भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन करना।
- चिकित्सा परिषद 1956, अधिनियम को परिवर्तित करना।
- चिकित्सा शिक्षा सुधार के क्षेत्र में दूरगामी कार्य करना।
- प्रक्रिया आधारित नियमन की बजाय परिणाम आधारित चिकित्सा शिक्षा नियमन का अनुपालन करना।
- स्वशासी बोर्डों की स्थापना करके नियामक के अंदर उचित कार्य विभाजन सुनिश्चित करना।
- चिकित्सा शिक्षा में मानक बनाए रखने के लिये उत्तरदायी और पारदर्शी प्रक्रिया बनाना।
- भारत में पर्याप्त स्वास्थ्य कार्यबल सुनिश्चित करने का दूरदर्शी दृष्टिकोण विकसित करना।

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया?

- मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1933 के तहत स्थापित इस परिषद का कार्य एक मेडिकल पंजीकरण और नैतिक निरीक्षण करना था।
- दरअसल, तब चिकित्सा शिक्षा में इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं थी, किन्तु वर्ष 1956 के संशोधन द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही स्तरों पर चिकित्सा शिक्षा की देख-रेख हेतु यह अधिकृत कर दिया गया।

वर्ष 1992 शिक्षा के निजीकरण का दौर था और इसी दौरान एक अन्य संशोधन के ज़रिये एमसीआई को एक सलाहकार निकाय की भूमिका दे दी गई। जिसके तीन महत्वपूर्ण कार्य थे-

- मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी देना
- छात्रों की संख्या तय करना
- छात्रों के दाखिला संबंधी किसी भी विस्तार को मंजूरी देना

सुधार आवश्यक क्यों?

लाइसेंस-राज नियंत्रक की तरह, एमसीआई द्वारा मेडिकल कॉलेजों के लाइसेंस पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करना चिंताजनक है।

- साथ ही एमसीआई ने कई अव्यावहारिक आदेश भी जारी किये हैं, इस पेशे में नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के अपने कार्य से वह दूर रहा है।
- यह मेडिकल कॉलेजों में सीटों की खरीद-फरोख्त को रोकने में विफल रहा है। साथ ही यह एक ऐसी सर्व-शक्तिशाली एजेंसी के रूप में उभरा है जो कॉर्पोरेट अस्पतालों से काफी प्रभावित है।

खामियाँ	लाभ
○ जैसा की हम जानते हैं कि इस विधेयक में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन की बात कही गई।	○ चिकित्सा शिक्षा संस्थानों पर कठोर नियामक नियंत्रण की समाप्ति और परिणाम आधारित निगरानी व्यवस्था कायम की जा सकेगी।
○ लेकिन निर्वाचित होने की बजाय आयोग के सदस्य सरकार द्वारा चुने जाएंगे और इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को चिकित्सा प्रशासन के क्षेत्र में असमान शक्ति प्रदान करती है।	○ यह पहला मौका होगा जब देश के किसी उच्च शिक्षा क्षेत्र में ऐसा प्रावधान लागू किया जाएगा जैसा कि इससे पहले नीट तथा साझा काउंसलिंग व्यवस्था के रूप में किया गया था।
○ साथ ही चिकित्सा सलाहकार परिषदों को भी इसी आयोग के अंतर्गत लाया जाएगा। इससे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अत्यंत शक्तिशाली निकाय बन सकता है।	○ चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को और अधिक उदार तथा मुक्त बनाने के उद्देश्य से यूजी और पीजी स्तरीय सीटों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।
○ आयुष चिकित्सकों को एलोपैथी चिकित्सा की जिम्मेदारी सौंपना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये जोखिम भरा हो सकता है।	○ इससे अवसंरचना क्षेत्र में भी निवेश के नए अवसरों का सृजन होगा और आयुष चिकित्सा प्राणाली के साथ बेहतर समन्वय स्थापित होगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. श्रीवास्तव समीति किससे संबंधित है?

(a) ऊर्जा
(b) आंतरिक सुरक्षा
(c) स्वास्थ्य
(d) इनमें से कोई नहीं

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मेडिकल काउसिंल ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी।
2. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1953 के तहत स्थापित इस परिषद का कार्य एक मेडिकल पंजीकरण और नैतिक निरिक्षण करना था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक (2017) के तहत एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना की बात कही जाती है।
2. इस विधेयक के तहत पर्याप्त स्वास्थ्य कार्यबल को सुनिश्चित करने का दूरदर्शी दृष्टिकोण विकसित करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

नोट : 15 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2(d), 3(a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. चिकित्सा एक विज्ञान है और केवल मजबूत चिकित्सा शिक्षा की नींव पर ही सफल चिकित्सा की जा सकती है।'' वर्तमान में चिकित्सा क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए इस कथन की उपयोगिता पर एक दृष्टि कोण प्रस्तुत कीजिए।

Medicine is a science and on the basis of strong medical education successful treatment can be done. Present a viewpoint on the utility of this statement by considering the problems in medicine sector at present.

(250 Words)

GS World Committed To Excellence

सूखा या प्रदूषित : भारत के जल संकट पर

18 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

''अधिकांश भारतीय राज्यों में गंभीर जल संकट की समस्या व्याप्त है, जिससे निपटने के लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता है।''

पूरी आबादी के स्वास्थ्य के प्रभाव के साथ भारत का जल संकट स्पष्ट और वास्तविक है। नीति आयोग द्वारा जारी किये गये समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार 70% जल संसाधन प्रदूषित है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से सूचकांक की गणना के लिए राज्यों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर आधारित है।

यदि लाखों लोगों तक पहुंचने वाला पानी दूषित हो चुका है, तो समस्या इसकी उपलब्धता की तुलना में बहुत गंभीर है।

राज्यों के लिए रेटिंग की व्यवस्था जल संसाधनों और वाटरशेड बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में निवेश, ग्रामीण और शहरी पेयजल प्रदान करने और कुशल कृषि उपयोग को प्रोत्साहित करने के उनके प्रदर्शन पर आधारित है। इसका तर्क यह है कि यह 'हॉल ऑफ फेम' दृष्टिकोण 'प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद' को बढ़ावा देगा।

इस प्रारंभिक मूल्यांकन से यह पता चलता है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों ने जल प्रबंधन के मानकों के आधार पर सुधार किए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जनसंख्या वाले राज्य इस चुनौती का सामना करने में नाकाम रहे हैं।

तमिलनाडु, जिसने ठीक ठाक स्कोर किया है, उसनें जल स्रोतों के संवर्द्धन पर तो प्रदर्शन अच्छा किया है, लेकिन खेती के लिए सतत उपयोग सुनिश्चित करने में बहुत पीछे आ गया है। 600 मिलियन लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले इस गंभीर समस्या के आंकड़ों को प्रतिबिंबित करने वाले रुझानों में तेजी से सुधार की मांग की गई है।

दो ऐसे क्षेत्र है जहाँ तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है, जिसमें पहला है वाटरशेड का विस्तार करना जो अधिक मात्रा में स्वच्छ पानी को स्टोर कर सकता हो, जो कृषि के उपयोग के लिए और निवासियों के लिए लाभदायक साबित होगा और दूसरा है सख्त प्रदूषण नियंत्रण प्रवर्तन।

इस संदर्भ में, मिहिर शाह की अध्यक्षता में केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड के पुनर्गठन समिति ने विशेष रूप से कृषि में जल प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण की मांग की है।

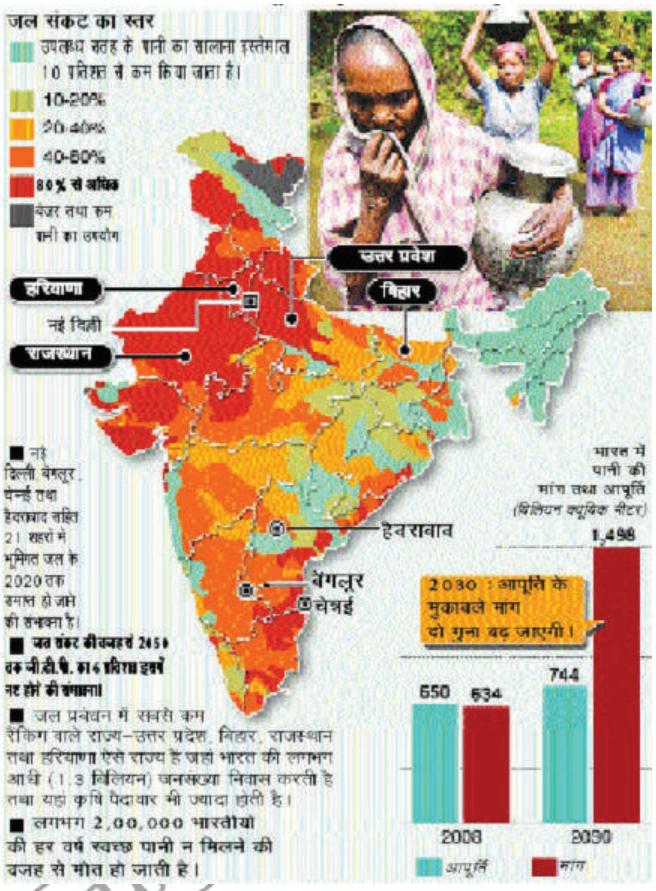

यह सिंचाई संबंधित आदेशों के विकेन्द्रीकरण की वकालत करता है, जो राष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन कोष के माध्यम से अच्छी तरह से प्रदर्शन करने वाले राज्यों को उच्च वित्तीय प्रवाह प्रदान करता है।

स्पष्ट रूप से, इंडेक्स रैंक देने से ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए, जिससे राज्यों में भी प्रतिस्पर्धी बनने की होड़ लगी रहेगी। फिर भी, इस तरह के दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि अंत:क्रियात्मक अंतर-राज्य नदी विवादों का समाधान नहीं हो सकता है।

जैसा कि हमने पूर्व में कावेरी मुद्दे पर देखा और राज्य सरकारें साझा, सहकारी ढांचे के तहत एक बहुमूल्य संसाधन के अधिकारों को दूर करने के मुद्दे को उठा कर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करेगी ही।

मजबूत डेटा संग्रह के माध्यम से भूजल निष्कर्षण पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है; 12 मिलियन कुओं में से 5% से कम अब अध्ययन के अधीन हैं। स्थिर शहरीकरण एक नए प्रबंधन प्रतिमान की मांग करता है, जो स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और उपचार तकनीकों के स्रोतों को बढ़ाने के लिए जो पुन: उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे।

सरकार उपयुक्त लागत लगाकर प्रदूषण पर रोक लगाया जा सकता है, अर्थात किसी भी उद्योग द्वारा अधिक हानिकारक रसायन छोड़ा जाता है तो उस पर अधिक जुर्माना लगा कर उद्योगों पर नियंत्रण लगाया जा सके।

इन बेहतर परिवर्तनों को राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों और अद्यतन कानूनों में सुधार की आवश्यकता होगी। एक कानूनी जनादेश सिर्फ प्रतिस्पर्धा और सहयोग से बेहतर काम करेगा और साथ ही यह सरकारों को जवाबदेह भी बना देगा।

* * *

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक

परिचय

- हाल ही में नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंध रिपोर्ट जारी की। जिसके अनुसार भारत अपने इतिहास में सबसे गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। जल के उचित प्रबंधन और उपयोग के अभाव में जलसंकट आने वाले वर्षों में और गहराएगा।
- इस समय देश में 60 करोड़ लोग जल समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण हर साल करीब दो लाख लोगों की मौत हो जाती है।
- रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक देश में जल की मांग आपूर्ति के मुकाबले दोगुनी होने और देश के जीडीपी में 6% की कमी होने का अनुमान है। इससे करोड़ों लोगों के सामने जल संकट की स्थिति उत्पन्न होगी।
- आयोग के मुताबिक, भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट की स्थिति का सामना कर रहा है और लाखों लोगों की आजीविका खतरे में है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे बड़ी समस्या जल प्रबंधन की है। इस रिपोर्ट ने प्रतिबिंबित किया है कि जिन राज्यों ने पानी को सही तरीके से प्रबंधित किया है, उन्होंने उच्च कृषि वृद्धि दर प्रदर्शित की है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे जल संसाधनों और उनके उपयोग के लिये हमारी समझ को बढ़ाने और ऐसी जगहों पर हस्तक्षेप करने की तत्काल आवश्यकता है जहाँ पानी को स्वच्छ और टिकाऊ बनाया जा सके।
- आयोग ने भविष्य में इन रैंकों को वार्षिक आधार पर प्रकाशित करने का प्रस्ताव दिया है।
- सूचकांक में 28 विभिन्न संकेतकों के साथ नौ व्यापक क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें भू-जल के विभिन्न पहलुओं, जल निकायों की बहाली, सिंचाई, कृषि प्रथाओं, पेयजल, नीति और शासन शामिल हैं।
- विश्लेषण के प्रयोजन के लिये विभिन्न जलविद्युत स्थितियों के कारण राज्यों को दो विशेष समूहों - 'उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों' तथा 'अन्य राज्यों' में बाँटा गया था।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सूचकांक राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के लिये उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा, जिससे उन्हें जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिये उपयुक्त रणनीति तैयार और कार्यान्वित करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

राज्यों की स्थिति

- जल प्रबंधन के मानकों पर राज्यवार प्रदर्शन रिपोर्ट, 2016-2017 के संदर्भ में गुजरात पहले स्थान पर है, इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं।
- सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और झारखंड हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जहाँ दूषित पानी के शोधन की क्षमता विकसित ही नहीं की गई है। भू-जल के इस्तेमाल का नियमन भी इन राज्यों में नहीं है। वहीं, ग्रामीण बसावट में साफ पेयजल की आपूर्ति लगभग नगण्य है।
- मध्य प्रदेश में 22-23 फीसदी की वृद्धि दर है, जबकि गुजरात में 18 फीसदी की वृद्धि दर है। इसका मतलब है कि ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्थाओं ने बेहतर विकास किया है, साथ ही प्रवास को कम किया है और शहरी आधारभूत संरचना पर दबाव कम किया है।
- सूचकांक (2015-16 स्तर से अधिक) में वृद्धिशील परिवर्तन के मामले में, राजस्थान अन्य सामान्य राज्यों में पहले स्थान पर है, जबकि उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है।

देश में प्रस्तावित जल की मांग

- जल संसाधन मंत्रालय के एकीकृत जल संसाधन विकास के लिये राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च उपयोग परिदृश्य में 2050 तक पानी की आवश्यकता 1,180 BCM होने की संभावना है, जबकि वर्तमान में उपलब्धता मात्र 695 BCM है।
- देश में प्रस्तावित जल की मांग 1137 BCM की तुलना में अभी भी काफी कम है।

क्यों पड़ी आवश्यकता?

- जल संसाधनों की सीमित उपलब्धता और जल की बढ़ती मांगों को देखते हुए जल संसाधनों का सतत प्रबंधन का महत्व काफी बढ़ गया है।
- इन सभी कारकों पर ध्यान देते हुए, नीति आयोग ने राज्यों से प्रतिक्रिया मांगने और प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ परामर्श सहित विस्तृत अभ्यास करने के बाद समग्र जल प्रबंधन सूचकांक लॉन्च करने के लिए अंतिम रूप दिया।

स्व-जल परियोजना

- स्व-जल परियोजना सतत् पेयजल आपूर्ति के लिये समुदाय के स्वामित्व वाला पेयजल कार्यक्रम है।
- इस योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत का 90 प्रतिशत खर्च सरकार उठाएगी और शेष 10 प्रतिशत समुदाय के योगदान से व्यय किया जाएगा।
- परियोजना के परिचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय ग्रामीणों की होगी।
- योजना के अनुसार गाँवों में चार जलाशयों का निर्माण किया जाएगा और लगभग 300 आवासों में नल के कनेक्शन उपलब्धं कराए जाएंगे।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता के स्तर में सुधार करते हुए स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के स्थायी लाभों द्वारा ग्रामीणों के जीवन स्तवर में सुधार करना है।
- परियोजना का दूसरा मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में दार्घकालीन स्थायित्व को मद्देनजर रखते हुए राज्यससरकार को उपयुक्त नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करना है।
- इसके तहत गाँव के हर घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने के साथ-साथ उसके रखरखाव व प्रबंधन के खर्च को ग्रामवासियों द्वारा वहन करने योग्य बनाना अर्थात् इस संबंध में उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

तकनीकी रूप से

- पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल हेतु पाइपलाइन, हैंडपम्प अथवा वर्षा के पानी को इकट्ठा कर पेयजल आपूर्ति के विकल्प तैयार किये जाते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में नलकूप, हैंडपम्प अथवा कूपों के माध्यम से स्वच्छ जल की आपूर्ति के विकल्प तैयार किये जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वरच्छेता योजनाओं के डिजाइनों का चयन समुदाय द्वारा सहयोगी संस्था ओं की सहायता से किया जाता है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **नीति आयोग समग्र जलप्रबंधन सूचकांक में कौन-सा राज्य प्रथम स्थान पर है?**
   (a) गुजरात
   (b) असम
   (c) केरल
   (d) सिक्किम
2. **मिहिर शाह समिति किससे संबंधित है?**
   (a) खनन उद्योग
   (b) जल प्रबंधन
   (c) सीमा प्रबंधन
   (d) अवसंरचना क्षेत्र
3. **जल प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
   1. वाटरशेड का विस्तार करना ताकि जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।
   2. सख्त प्रदूषण नियंत्रण प्रवर्तन ताकि जल को दूषित होने से बचाया जा सके।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

1. **Which state is at first position in the NITI Aayog's Composite Water Management Index?**
   (a) Gujarat
   (b) Assam
   (c) Kerala
   (d) Sikkim
2. **Mihir Shah Committee is related to which of the following?**
   (a) Mining Industry
   (b) Water Management
   (c) Border Management
   (d) Intrastructure Sector
3. **Consider the following statements regarding water management-**
   1. Development of Water Shed so that maximum utilisation of water can be possible.
   2. Strict pollution control enforcement so that water can be protected form getting polluted.

   Which of the above statements is/are correct?
   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

नोट : 16 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(d), 3(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. वर्तमान में भारत के अनेक भागों में जल संकट व्याप्त है। इसके परिणामों की ओर आप ध्यान आकृष्ट करें, साथ ही इस से निपटने के लिए नीति आयोग की पहल पर एक टिप्पणी कीजिए।

(250 शब्द)

Water crisis is prevalent in many parts of India at present. Pay attention to its results. Along with it comment on the initiative of NITI Aayog to deal with it.

(250 Words)

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक

Source - The Hindu Editorial
(18 June, 2018)

IAS PCS

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक

परिचय

हाल ही में नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंध रिपोर्ट जारी की। जिसके अनुसार भारत अपने इतिहास में सबसे गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। जल के उचित प्रबंधन और उपयोग के अभाव में जलसंकट आने वाले वर्षों में और गहराएगा।

इस समय देश में 60 करोड़ लोग जल समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण हर साल करीब दो लाख लोगों की मौत हो जाती है।

रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक देश में जल की मांग आपूर्ति के मुकाबले दोगुनी होने और देश के जीडीपी में 6% की कमी होने का अनुमान है। इससे करोड़ों लोगों के सामने जल संकट की स्थिति उत्पन्न होगी।

आयोग के मुताबिक, भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट की स्थिति का सामना कर रहा है और लाखों लोगों की आजीविका खतरे में है।

प्रमुख बिंदु

रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे बड़ी समस्या जल प्रबंधन की है। इस रिपोर्ट ने प्रतिबिंबित किया है कि जिन राज्यों ने पानी को सही तरीके से प्रबंधित किया है, उन्होंने उच्च कृषि वृद्धि दर प्रदर्शित की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे जल संसाधनों और उनके उपयोग के लिये हमारी समझ को बढ़ाने और ऐसी जगहों पर हस्तक्षेप करने की तत्काल आवश्यकता है जहाँ पानी को स्वच्छ और टिकाऊ बनाया जा सके।

आयोग ने भविष्य में इन रैंकों को वार्षिक आधार पर प्रकाशित करने का प्रस्ताव दिया है।

सूचकांक में 28 विभिन्न संकेतकों के साथ नौ व्यापक क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें भू-जल के विभिन्न पहलुओं, जल निकायों की बहाली, सिंचाई, कृषि प्रथाओं, पेयजल, नीति और शासन शामिल हैं।

विश्लेषण के प्रयोजन के लिये विभिन्न जलविद्युत स्थितियों के कारण राज्यों को दो विशेष समूहों 'उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों' तथा 'अन्य राज्यों' में बाँटा गया था।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सूचकांक राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिये उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा, जिससे उन्हें जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिये उपयुक्त रणनीति तैयार और कार्यान्वित करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

क्यों पड़ी आवश्यकता?

जल संसाधनों की सीमित उपलब्धता और जल की बढ़ती मांगों को देखते हुए जल संसाधनों का सतत प्रबंधन का महत्व काफी बढ़ गया है।

इन सभी कारकों पर ध्यान देते हुए, नीति आयोग ने राज्यों से प्रतिक्रिया मांगने और प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ परामर्श सहित विस्तृत अभ्यास करने के बाद समग्र जल प्रबंधन सूचकांक लॉन्च करने के लिए अंतिम रूप दिया।

देश में प्रस्तावित जल की मांग

देश में प्रस्तावित जल की मांग 1137 BCM की तुलना में अभी भी काफी कम है।

जल संसाधन मंत्रालय के एकीकृत जल संसाधन विकास के लिये राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च उपयोग परिदृश्य में 2050 तक पानी की आवश्यकता 1,180 BCM होने की संभावना है, जबकि वर्तमान में उपलब्धता मात्र 695 BCM है।

राज्यों की स्थिति

जल प्रबंधन के मानकों पर राज्यवार प्रदर्शन रिपोर्ट, 2016-2017 के संदर्भ में गुजरात पहले स्थान पर है, इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं।

मध्य प्रदेश में 22-23 फीसदी की वृद्धि दर है, जबकि गुजरात में 18 फीसदी की वृद्धि दर है। इसका मतलब है कि ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्थाओं ने बेहतर विकास किया है, साथ ही प्रवास को कम किया है और शहरी आधारभूत संरचना पर दबाव कम किया है।

सूचकांक (2015-16 स्तर से अधिक) में वृद्धिशील परिवर्तन के मामले में, राजस्थान अन्य सामान्य राज्यों में पहले स्थान पर है, जबकि उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है।

सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और झारखंड हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जहाँ दूषित पानी के शोधन की क्षमता विकसित ही नहीं की गई है। भू-जल के इस्तेमाल का नियमन भी इन राज्यों में नहीं है। वहीं, ग्रामीण बसावट में साफ पेयजल की आपूर्ति लगभग नगण्य है।

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322

डिजिटल सिल्क रोड के पीछे

19 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक-
सी. राजा मोहन
(निदेशक, दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान, सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय)

''भारत के पास पूरे एशिया भर में कनेक्टिविटी और सामरिक सहयोग को बढ़ावा देने का मौका है। लेकिन यहां भी चीन भारत से इस दौड़ में आगे प्रतीत हो रहा है।''

चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ भारत की सतत राजनीतिक चुनौतियां अपनी कनेक्टिविटी पहल को आगे बढ़ाने में दिल्ली की स्थायी कठिनाइयों से मेल खाता है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो हालिया उच्च स्तरीय यात्रा – इस महीने की शुरुआत में चीन के क्विंगदाओ में और मई के अंत में दक्षिणपूर्व एशियाई नेताओं के साथ उनकी भागीदारी।

जहाँ एक तरफ शंघाई सहयोग संगठन के क्विंगदाओ शिखर सम्मेलन में, जहां भारत पूर्ण सदस्य के रूप में पहली बार भाग ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेल्ट और रोड पहल (बीआरआई) के पक्ष में सर्वसम्मति से खुद को अलग भी रखा।

जकार्ता में, प्रधानमंत्री ने सुमात्रा द्वीप में बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विकास सहित इंडोनेशिया के साथ समुद्री कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं का अनावरण किया। लेकिन दिल्ली द्वारा किये गये वादे और कनेक्टिविटी पर प्रदर्शन के बीच व्याप्त अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इस बीच, इस हफ्ते चीन का बीआरआई पहल भारत के थोड़ा और करीब आ जायेगा जब नेपाल के प्रधानमंत्री खड्गा प्रसाद शर्मा ओली चीन यात्रा करेंगे। भारत के अधिकांश अन्य पड़ोसियों की तरह, नेपाल पहले ही राष्ट्रपति जी की पहल का समर्थन कर चुका है। पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव की तरह ही नेपाल प्रमुख बीआरआई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो रहा है। इनमें से कई परियोजनाओं को तथाकथित ट्रांस-हिमालयी कनेक्टिविटी पहल के तहत समूहीकृत किया जाएगा। इसमें तेल भंडारण टर्मिनलों, रेल और सड़क लिंक, जल विद्युत परियोजनाओं और बिजली संचरण लाइनों को शामिल करने की संभावना है।

यद्यपि चीन की परियोजनाओं से संबंधित लागतों का सवाल दुनिया के कई हिस्सों में उठाया गया है, जिसमें हाल ही में मलेशिया भी शामिल हुआ है, लेकिन इससे भारत के पड़ोसियों के बीच बीआरआई को लेकर व्याप्त उत्साह को कम करने की संभावना नहीं है। उनके लिए, इन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे उतना ही आर्थिक हैं, जितना कि वे राजनीतिक हैं।

पाकिस्तान के लिए, चीन के बीआरआई में भागीदारी इसकी गहन रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है जिसे भारत को संतुलित करने के लिए दशकों पहले कोशिश की गयी थी। अन्य पड़ोसियों के लिए, बीआरआई भारत से 'रणनीतिक स्वायत्तता' प्रदान करता है।

अगर दिल्ली ने अपने पड़ोसियों के साथ गहरी भौगोलिक परस्पर निर्भरता प्रदान की है और 21 वीं शताब्दी के लिए इसे आधुनिक बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, तो हमारे पड़ोसियों के पास बीआरआई को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

बहुत बड़े पड़ोसियों से सामरिक स्वायत्तता की मांग का विचार दक्षिण एशिया के लिए अद्वितीय नहीं है। पूर्वी एशिया में चीन के तत्काल पड़ोसियों में से कई बहुत समान हैं – वे भारत सहित कई देशों के साथ साझेदारी की विविधता के माध्यम से बीमा की तलाश करते हैं। लेकिन चीन के विपरीत, भारत अपने पूर्व एशियाई भागीदारों से किए गए वादे को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा है।

अगर भारत को अपनी सीमाओं के परे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने के लिए संस्थागत क्षमताओं को विकसित करना मुश्किल हो गया है, तो डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में इसके पास कुछ संभावनाएं मौजूद हैं।

उन्हें पीएम की सिंगापुर की यात्रा के दौरान प्रदर्शित किया गया जहां उन्होंने दोनों देशों के वित्तीय बाजारों को जोड़ने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें भारत के रुपे कार्ड, बीएचआईएम क्यूआर कोड और एसबीआई के सीमा पार प्रेषण ऐप का शुभारंभ शामिल था। पिछले साल, भारत ने पड़ोस की पहली नीति के हिस्से के रूप में दक्षिण एशिया सैटेलाइट लॉन्च किया था।

लेकिन यहां फिर से, चीन आगे निकलता दिख रहा है। बीजिंग ने कई महत्वाकांक्षी पहलों की शुरुआत की है, जिसे अब 'डिजिटल सिल्क रोड' के रूप से जोड़ा जा रहा है। चीन का डिजिटल सिल्क रोड एजेंडा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, अंतरिक्ष सहयोग को गहरा बनाने, ई-कॉमर्स बाधाओं को कम करने, सामान्य प्रौद्योगिकी मानकों को विकसित करने, साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने और बीआरआई देशों के बीच पुलिस व्यवस्था की दक्षता में सुधार के बारे में है। चीन इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धि, बड़े डेटा, क्लाउड स्टोरेज और क्वांटम कंप्यूटिंग के आधार पर अपने राष्ट्रीय विकसित प्लेटफार्मों को तैनात करना चाहता है।

उदाहरण के लिए, चीन और नेपाल ने इस साल की शुरुआत में दोनों देशों के बीच एक ऑप्टिक फाइबर लिंक को कार्यान्वित किया है। इस लिंक के परिणामस्वरुप यह इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत पर नेपाल की निर्भरता को अंततः कम करेगा।

पिछले साल, चीन के हुआवेई ने पाकिस्तान ईस्ट अफ्रीका केबल एक्सप्रेस (पीएसीईई) का निर्माण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो पाकिस्तान को जिबूती के माध्यम से केन्या से जोड़ेगा। हुआवेई इस केबल को उत्तर और दक्षिण अफ्रीका में मिस्र में बढ़ा सकता है। इसके पूरा होने पर, केबल की कुल लंबाई 13,000 किमी हो सकती है।

चीन की डिजिटल पहल में अंतरिक्ष सहयोग को गहरा बनाना भी शामिल है। पाकिस्तान के साथ अपने दीर्घकालिक अंतरिक्ष सहयोग के अलावा, चीन नेपाल के लिए राष्ट्रीय उपग्रह लॉन्च करने की योजना पर चर्चा कर रहा है। पिछले साल, श्रीलंका चीन के बेदौ नेविगेशन सिस्टम में शामिल हो गया।

चीन पर्यावरण की निगरानी से आपदा प्रबंधन तक के कई क्षेत्रों में सहयोग को गहरा बनाने के लिए अपनी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्षमताओं का लाभ उठाना चाहता है। ओली की बीजिंग की यात्रा से नेपाल में आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित करने पर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है जो चीन की राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग प्रणाली से जुड़ा होगा।

डिजिटल और अंतरिक्ष डोमेन में भारत में लंबे समय से महत्वपूर्ण और बढ़ती राष्ट्रीय क्षमताएं थीं। लेकिन बड़ी राष्ट्रीय आर्थिक और सुरक्षा रणनीतियों के साथ इन्हें एकीकृत करने में दिल्ली ने कम दिलचस्पी दिखाई है। दिल्ली के नौकरशाहों का अधिक विनियमन, घरेलू निजी क्षेत्र पर प्रतिबंध, नवाचार और बाहरी सहयोग पर पक्षपात ने डिजिटल विकास और कूटनीति पर भारत की संभावनाओं को सीमित कर दिया है।

शताब्दी के अंत में, भारत ने चीन की आंतरिक, सीमा पार और अंतरराष्ट्रीय आधारभूत संरचना परियोजनाओं पर थोड़ा ध्यान दिया जो अंततः बीआरआई के अधीन आ गया। नतीजतन, दिल्ली उपमहाद्वीप और हिंद महासागर के रणनीतिक परिणामों से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है। जब तक दिल्ली जल्दी ही अपनी डिजिटल रक्षा को बहाल नहीं करता है, तब तक यह पैटर्न सिल्क रोड के चीन के नवीनतम संस्करण के साथ खुद को दोहराता रहेगा।

* * *

GS World टीम...

वन बेल्ट वन रोड

परिचय

- रेशम सड़क आर्थिक पट्टी तथा 21वीं सदी की सामुद्रिक रेशम सड़क की दो परियोजनाओं को मिलाने के लिये सितंबर 2013 में 'वन बेल्ट, वन रोड' कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया था।
- प्रस्तावित 'वन बेल्ट, वन रोड' 1400 अरब डॉलर की परियोजना है। ओबीओआर को 35 वर्ष में पूरा किये जाने का लक्ष्य है, जब 2049 में चीनी गणराज्य की 100वीं वर्षगाँठ मनाई जाएगी।
- विश्व के 55 प्रतिशत सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी), 70 प्रतिशत जनसंख्या तथा 75 प्रतिशत ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने की क्षमता वाली यह योजना वास्तव में चीन द्वारा भूमि एवं समुद्री परिवहन मार्ग बनाने के लिये है, जो चीन के उत्पादन केंद्रों को दुनिया भर के बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेंगे।
- बेल्ट के गलियारे यूरेशिया में प्रमुख पुलों, चीन-मंगोलिया-रूस, चीन-मध्य एवं पश्चिम एशिया, चीन-भारत-चीन प्रायद्वीप, चीन-पाकिस्तान, बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार से गुजरेंगे।

यहाँ 'बेल्ट' से तात्पर्य सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट से है जो तीन स्थल मार्गों से मिलकर बनी है-

(i) चीन, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला मार्ग।
(ii) चीन को मध्य व पश्चिम एशिया के माध्यम से फारस की खाड़ी और भूमध्यसागर से जोड़ने वाला मार्ग।
(iii) चीन को दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और हिन्द महासागर से जोड़ने वाला मार्ग।

- 'रोड' से तात्पर्य 21वीं सदी की समुद्री सिल्क रोड से है जिसका निर्माण दक्षिण चीन सागर व हिन्द महासागर के माध्यम से चीन के तट से यूरोप में व्यापार करने तथा दक्षिण चीन सागर के माध्यम से चीन के तट से दक्षिण प्रशांत तक व्यापार करने के लिये किया गया है।

इन गलियारों से जाल बिछाएगा चीन

- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा
- न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज
- चीन-मध्य एशिया-पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा
- चीन-मंगोलिया-रूस आर्थिक गलियारा
- बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार आर्थिक गलियारा

चीन-इंडोचाइना-प्रायद्वीप आर्थिक गलियारा

चीन के लिये महत्त्वपूर्ण क्यों?

- विशेषज्ञों का मानना है कि 'वन बेल्ट वन रोड' पहल चीन की आर्थिक कूटनीति का खाका है।
- विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि चीन स्वयं को अकेला महसूस करता है क्योंकि वह जी-7 में शामिल नहीं है और केवल ब्रिक्स देशों तक ही सीमित है।
- उनका मानना है कि अपने आर्थिक विस्तार को जारी रखने के लिये चीन को एक नीति की आवश्यकता थी और 'वन बेल्ट वन रोड' पहल ने उसकी इस मंशा को बखूबी पूरा किया है।

भारत के लिए लाभ

- प्रतिस्पर्धी नेटवर्क स्थापित करने के लिये आज भारत में संसाधनों की कमी है। इसलिये वह OBOR के उन घटकों में भाग लेने के लिये उपयुक्त हो सकता है जो प्रमुख बाजारों और संसाधनों की आपूर्ति के लिए भारतीय कनेक्टिविटी में सुधार ला सकते हैं।
- इसमें 60 देशों के साथ-साथ एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी), ब्रिक्स के नव विकास बैंक, सिल्क रोड फंड, सीआईसी के समर्थन वाले कोष और संभवतः एससीओ विकास बैंक समेत कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जुड़ रहे हैं और साथ ही इसे ऑस्ट्रेलिया का भी इसे समर्थन हासिल है।

Committed To Excellence

- यदि भारत को 2050 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनना हैं तो एशियन मार्केट को बिना एकीकृत किये यह संभव नहीं हो सकता है। इसलिए इस परियोजना में शामिल होकर एशियाई बाजारों के एकीकरण में हिस्सेदार बनना चाहिये और उसका लाभ भी उठाना चाहिये।

भारत पर प्रभाव

- भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि चीन का वन बेल्ट वन रोड का सपना साकार हो गया तो चीन निर्विवाद रूप से एशिया की सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेगा, जिससे भारत की महत्त्वाकांक्षाओं को धक्का लग सकता है।
- पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाला चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) भी ओबीओआर का ही हिस्सा है।
- भारत, चीन-पाक इकनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ लगातार विरोध दर्ज करा रहा है। भारत की नजर में यह कॉरिडोर उसकी संप्रभुता को चुनौती देने वाला है।
- ओबीओआर के माध्यम से चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को नई दिशा देना चाहता है जो इसने दक्षिण एशिया में करना भी शुरू कर दिया है, भारत पर इसका सीधा तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा। चीन की इस पहल में भूराजनीतिक उद्देश्य निहित हैं।

सिल्क रूट क्या है ?

- सिल्क रूट को प्राचीन चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। 200 साल ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के बीच हन राजवंश के शासन काल में रेशम का व्यापार बढ़ा। 5वीं से 8वीं सदी तक चीनी, अरबी, तुर्की, भारतीय, पारसी, सोमालियाई, रोमन, सीरिया और अरमेनियाई आदि व्यापारियों ने इस सिल्क रूट का काफी इस्तेमाल किया।
- ज्ञातब्य है कि इस मार्ग पर केवल रेशम का व्यापार नहीं होता था बल्कि इससे जुड़े सभी लोग अपने-अपने उत्पादों जैसे घोड़ों इत्यादि का व्यापार भी करते थे।
- लद्दाख के एक बड़े इलाके पर चीन का कब्जा है। उसके पश्चिम में पाकिस्तान ने अपने कब्जे का एक बड़ा हिस्सा 1962 की भारत-चीन लड़ाई के बाद चीन के सुपुर्द कर दिया है। कराकोरम हाइवे कश्मीर में चीन का पहला Trans & Border Infrastructure Project है जो साठ के दशक का है।
- तब से ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन का दखल बढ़ता गया है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ जुड़ने से कश्मीर विवाद में चीन की भूमिका और बढ़ गई है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक चीन के किस शहर में हुआ था?

(a) ग्वांझगों (b) क्विंगदाओ
(c) बीजिंग (d) ह्वांगहो

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. चीन और नेपाल ने इस साल की शुरूआत में दोनों देशों के बीच एक ऑप्टिकल फाइबर लिंक को कार्यान्वित किया है।
2. इस लिंक के परिणामस्वरूप इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत पर नेपाल की निर्भरता को अंततः कम करेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पिछले साल श्रीलंका चीन के बेदौ नेगिवेशन सिस्टम में शामिल हो गया।
2. पाकिस्तान ईस्ट अफ्रीका केबल एक्सप्रेस का निर्माण भारत भी कर रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

1. Recently the summit Shanghai Cooperation Organization held in which city of China?

(a) Gwangju (b) Quingdao
(c) Beijing (d) Huang Ho

2. Consider the following statements-

1. In the starting of this year, an optic fibre link implemented between China and Nepal.
2. As a result of this link, Nepal's dependence on India for internet connectivity would finally decline.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

3. Consider the following statements-

1. Last year Sri Lanka was included in the China's BeiDou navigation system.
2. India is also constructing the Pakistan East Africa Cable Express.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

नोट : 18 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(b), 3(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''भारत के पास पूरे एशिया भर में कनेक्टिविटी और सामरिक सहयोग को बढ़ावा देने का मौका है, लेकिन यहाँ भी चीन भारत से इस दौड़ में आगे प्रतीत हो रहा है।'' कैसे? उदाहरणों के साथ स्पष्ट करे। साथ ही यह भी बताएं कि कनेक्टिविटी और सामरिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कौन-कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? (250 शब्द)

"India has the opportunity to increase connectivity and strategie cooperation in whole Asia. But here also China appears to be ahead of India." Explain with examples. What efforts are made by government to increase connectivity and strategic cooperation. (250 Words)

GS World Committed to Excellence

वन बेल्ट, वन रोड

Source - Indian Express Editorial
(19 June, 2018)

IAS PCS

वन बेल्ट, वन रोड

परिचय

रेशम सड़क आर्थिक पट्टी तथा 21वीं सदी की सामुद्रिक रेशम सड़क की दो परियोजनाओं को मिलाने के लिये सितंबर 2013 में 'वन बेल्ट, वन रोड' कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया था।

प्रस्तावित 'वन बेल्ट, वन रोड' 1400 अरब डॉलर की परियोजना है। ओबीओआर को 35 वर्ष में पूरा किये जाने का लक्ष्य है, जब 2049 में चीनी गणराज्य की 100वीं वर्षगाँठ मनाई जाएगी।

विश्व के 55 प्रतिशत सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी), 70 प्रतिशत जनसंख्या तथा 75 प्रतिशत ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने की क्षमता वाली यह योजना वास्तव में चीन द्वारा भूमि एवं समुद्री परिवहन मार्ग बनाने के लिये है, जो चीन के उत्पादन केंद्रों को दुनिया भर के बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेंगे।

बेल्ट के गलियारे यूरेशिया में प्रमुख पुलों, चीन-मंगोलिया-रूस, चीन-मध्य एवं पश्चिम एशिया, चीन-भारत-चीन प्रायद्वीप, चीन-पाकिस्तान, बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार से गुजरेंगे।

यहाँ 'बेल्ट' से तात्पर्य सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट से है जो तीन स्थल मार्गों से मिलकर बनी है- (i) चीन, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला मार्ग। (ii) चीन को मध्य व पश्चिम एशिया के माध्यम से फारस की खाड़ी और भूमध्यसागर से जोड़ने वाला मार्ग। (iii) चीन को दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और हिन्द महासागर से जोड़ने वाला मार्ग।

'रोड' से तात्पर्य 21वीं सदी की समुद्री सिल्क रोड से है जिसका निर्माण दक्षिण चीन सागर व हिन्द महासागर के माध्यम से चीन के तट से यूरोप में व्यापार करने तथा दक्षिण चीन सागर के माध्यम से चीन के तट से दक्षिण प्रशांत तक व्यापार करने के लिये किया गया है।

भारत के लिए लाभ

प्रतिस्पर्धी नेटवर्क स्थापित करने के लिये आज भारत में संसाधनों की कमी है। इसलिये वह OBOR के उन घटकों में भाग लेने के लिये उपयुक्त हो सकता है जो प्रमुख बाजारों और संसाधनों की आपूर्ति के लिए भारतीय कनेक्टिविटी में सुधार ला सकते हैं।

इसमें 60 देशों के साथ-साथ एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआई आईबी), ब्रिक्स के नव विकास बैंक, सिल्क रोड फंड, सीआईसी के समर्थन वाले कोष और संभवत: एससीओ विकास बैंक समेत कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जुड़ रहे हैं और साथ ही इसे ऑस्ट्रेलिया का भी इसे समर्थन हासिल है।

यदि भारत को 2050 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनना हैं तो एशियन मार्केट को बिना एकीकृत किये यह संभव नहीं हो सकता है। इसलिए इस परियोजना में शामिल होकर एशियाई बाजारों के एकीकरण में हिस्सेदार बनना चाहिये और उसका लाभ भी उठाना चाहिये।

भारत पर प्रभाव

भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि चीन का 'वन बेल्ट वन रोड' का सपना साकार हो गया तो चीन निर्विवाद रूप से एशिया की सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेगा, जिससे भारत की महत्त्वाकांक्षाओं को धक्का लग सकता है।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाला चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) भी ओबीओआर का ही हिस्सा है।

भारत, चीन-पाक इकनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ लगातार विरोध दर्ज करा रहा है। भारत की नजर में यह कॉरिडोर उसकी संप्रभुता को चुनौती देने वाला है।

ओबीओआर के माध्यम से चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को नई दिशा देना चाहता है जो इसने दक्षिण एशिया में करना भी शुरू कर दिया है, भारत पर इसका सीधा तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा। चीन की इस पहल में भूराजनीतिक उद्देश्य निहित हैं।

इन गलियारों से जाल बिछाएगा चीन

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, चीन-मध्य एशिया -पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा, चीन-मंगोलिया-रूस आर्थिक गलियारा, बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार आर्थिक गलियारा, चीन-इंडोचाइना -प्रायद्वीप आर्थिक गलियारा

चीन के लिये महत्त्वपूर्ण क्यों?

विशेषज्ञों का मानना है कि 'वन बेल्ट वन रोड' पहल चीन की आर्थिक कूटनीति का खाका है।

विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि चीन स्वयं को अकेला महसूस करता है, क्योंकि वह जी-7 में शामिल नहीं है और केवल ब्रिक्स देशों तक ही सीमित है।

उनका मानना है कि अपने आर्थिक विस्तार को जारी रखने के लिये चीन को एक नीति की आवश्यकता थी और 'वन बेल्ट वन रोड' पहल ने उसकी इस मंशा को बखूबी पूरा किया है।

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक-
पल्लवी सक्सेना और नयनतारा राजा
(शरणार्थी मामलों के वकील, नई दिल्ली)

''भारत को तत्काल राष्ट्रीय आश्रय नीति की आवश्यकता क्यों है?''

इस महीने, नर्गिस (पत्रकार, अफगानिस्तान) को दिल्ली पहुंचे पांच साल हो गये। उन्हें तालिबान द्वारा जान से मारने की धमकी दी गयी थी जिसके बाद उन्हें हेरात, अफगानिस्तान से भागना पड़ा था। लेकिन भारत में एक शरणार्थी के रूप में, उन्हें अपनी आजीविका के लिए कोई मौका नहीं मिला, जिसके कारण उन्हें अपने जीवनयापन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

आज, भारत में 200,000 से अधिक शरणार्थी मौजूद है, जिन्हें अपने देशों में बढ़ते संघर्ष और उत्पीड़न ने भागने के लिए मजबूर किया था। विश्व शरणार्थी दिवस (20 जून) को, शरणार्थी संरक्षण के लिए भारत को अपने दृष्टिकोण में नयापन लाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से क्षेत्रीय शरणार्थी संकट के प्रकाश में, जहाँ म्यांमार से रोहिंग्या के बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है।

देखा जाये तो, परंपरागत रूप से भारत में तिब्बतियों और श्रीलंकाई जैसे कई सताए गए समूहों ने शरण लेते आये हैं। हालांकि भारत ना तो 1951 के शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है और ना ही इसके पास कोई घरेलू शरण कानून है, लेकिन फिर भी भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शरणार्थियों की सुरक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराता आया है।

और इसी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए भारत ने शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए न्यूयॉर्क घोषणा पर हस्ताक्षर किया था, जिसे सितंबर 2016 में 193 देशों द्वारा अपनाया गया था। ऐसा करते हुए, भारत ने उन लोगों के साथ अपनी सुदृढ़ता व्यक्त की है जिन्हें भागने के लिए मजबूर किया जाता हैं और इस बात पर भी सहमत हुआ है कि शरणार्थियों की रक्षा करना और उन देशों का समर्थन करना जो उन्हें आश्रय देते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी हैं जिन्हें अधिक समानता के साथ निभाना होगा।

यह घोषणापत्र शरणार्थी संरक्षण के लिए एक नए ढांचे के लिए मंच स्थापित करता है - शरणार्थियों पर वैश्विक समझौता (जीसीआर)। यह समझौता दीर्घकालिक समाधानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए एक समन्वित प्रयास है और यह शुरूआत से दीर्घकालिक समाधान तक शरणार्थी संरक्षण के सभी चरणों को व्यापक रूप से संबोधित करता है। इसके दो मुख्य उद्देश्य मेजबान देशों पर दबाव को कम करना और शरणार्थी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने से संबंधित हैं।

जीसीआर मान्यता देता है कि शरणार्थियों के सन्दर्भ में कुछ परिस्थितियां दशकों तक चल सकती हैं और यह स्वीकार करती हैं कि इस बोझ को बड़े पैमाने पर विकासशील देशों द्वारा पैदा किया जाता है, जो अब दुनिया में शरणार्थी आबादी का 80% से अधिक होस्ट करते हैं।

इसके प्रकाश में, यह संसाधनों के रूप में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की मांग करता है। यह न केवल शरणार्थियों के लिए बल्कि मेजबान समुदाय के लिए आर्थिक अवसरों, बेहतर कार्य और नौकरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञता साझा करने के लिए मंच स्थापित करना चाहता है।

घोषणा के बाद से, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) अपने व्यवहारिक कार्यान्वयन के लिए योजना विकसित करने के लिए सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र निकायों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ जुड़ रहा है; इसे 2018 के अंत तक अंतिम रूप दिया जाएगा।

भारतीय संदर्भ

यद्यपि भारत ने दशकों से अलग-अलग राष्ट्रीयताओं के शरणार्थियों को अपने घर में शरण दी है, लेकिन इसने शरण प्रदान करने में थोड़ा कम कार्य किया है। देश में शरणार्थी कानून पेश करने के बहुत कम प्रयास किए गए हैं।

देखा जाये तो, नवीनतम शरणार्थी विधेयक, 2015 शशी थरूर द्वारा निजी सदस्य के बिल के रूप में पेश किया गया था। हालांकि, कोई भी कोशिश अधिक दूर तक नहीं चल पाया और इसके कारण सरकार इस समूह के संदर्भ में अनौपचारिक दृष्टिकोण को अपनाती रही।

यह देखते हुए कि अधिकांश शरणार्थी अपने देश में लौटने में असमर्थ रहे हैं, इसलिए बढ़ते शरणार्थियों की संख्या को देखते हुए सरकार को उनके प्रबंधन के लिए एक समान ढांचा विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है।

मिसाल के तौर पर, उनकी अस्पष्ट कानूनी स्थिति और समान दस्तावेज की कमी के कारण, शरणार्थियों के पास आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सीमित है और आजीविका के लिए उनके पास लगभग कोई विकल्प मौजूद नहीं है। जबकि कुछ शरणार्थी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करके आय उत्पन्न करने में सक्षम हैं, उनमें से कई, विशेष रूप से नर्गिस जैसी कमजोर महिलाएं अपने समुदाय के भीतर ही दूसरों की दया पर हैं।

इसका समाधान जीसीआर के भीतर हो सकता है, जो देशों को अपने आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए शरणार्थियों के लिए रोजगार और आय उत्पादन के लिए अंतराल और अवसरों की पहचान करने के लिए कहता है।

इसके अलावा, यह मेजबान समुदाय, शरणार्थी आबादी के बीच मैपिंग कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को सक्षम करने में मेजबान समुदाय को शामिल करने की आवश्यकता को निर्दिष्ट करता है, जिससे समुदायों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है और सामाजिक रूप से एकजुट दृष्टिकोण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

जीसीआर के तहत शरणार्थी संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता चल रही जीसीआर परामर्श में सक्रिय भागीदारी में स्पष्ट है, जहां उसने शरणार्थी प्रतिक्रिया व्यवस्था के लिए स्पष्ट तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है।

इसलिए यह भारत के लिए राष्ट्रीय आश्रय नीति की आवश्यकता को पुन: पेश करने का एक उपयुक्त समय है जो जीसीआर में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप है।

यह न केवल मानवतावादी सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध लोकतांत्रिक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की जगह को फिर से स्थापित करेगा बल्कि नर्गिस जैसे शरणार्थियों को उन्हें अपनाने वाले देश को सेवा प्रदान करने का मौका भी देगा।

GS World टीम...

विश्व शरणार्थी दिवस

परिचय

- विश्व भर के शरणार्थियों की शक्ति, हिम्मत और दृढ़ निश्चय को स्वीकृति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाता है।
- इस वर्ष का थीम – ***Now More Than Ever, We Need To Stand with Refugees.***
- अफ्रीकी देशों की एकता को अभिव्यक्त करने के लिए 4 दिसंबर, 2000 को संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था।
- इस प्रस्ताव में 2001 में शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 की संधि की 50वीं वर्षगाँठ के रूप में चिह्नित किया गया, और ऑर्गनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी (ओएयू) अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस को अफ्रीका शरणार्थी दिवस के साथ 20 जून को मनाने के लिए सहमत हो गया।

विश्व में सबसे ज्यादा शरणार्थी कहाँ से

- दुनिया में सबसे ज्यादा शरणार्थी म्यांमार और सीरिया के हैं।
- दुनियाभर के 70% शरणार्थी सिर्फ 10 देशों से आते हैं।
- कोलंबिया, सीरिया और कांगो में ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, जहां लोग देश के अंदर ही बार-बार जगह बदलते हैं।
- सीरियाई लोग दुनिया में शरणार्थियों की जनसंख्या का एक तिहाई हिस्सा हैं। तुर्की में 35 लाख शरणार्थी सीरियाई हैं।
- 2017 में सीरिया के बाद सबसे ज्यादा शरणार्थी पैदा करने वाला देश अफगानिस्तान है। यहां पनाह लेने वालों की आबादी 5% बढ़कर 26 लाख हो चुकी है। हालांकि, पिछले साल सबसे ज्यादा शरणार्थी दक्षिण सूडान में बढ़े हैं।
- यहां घर छोड़ने वालों की संख्या 14 लाख से बढ़कर 24 लाख हो गई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब देशों में सबसे ज्यादा शरणार्थी हैं।
- म्यांमार में सेना की सख्ती के चलते इनकी तादाद पिछले साल 12 लाख पहुंच गई। यहां के रोहिंग्या शरणार्थी बनकर बांग्लादेश चले आए।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

- दुनिया भर में युद्ध और हिंसा के चलते 6.85 करोड़ लोग शरणार्थी बनने पर मजबूर हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 100 में से एक व्यक्ति को अपना घर छोड़ना पड़ता है।
- 46 हजार शरणार्थियों की मौत हो चुकी है- 2000 से लेकर 2015 तक।
- 10 साल पहले तक दुनिया में फैले शरणार्थियों की संख्या 4.27 करोड़ थी। पिछले एक दशक में 2016 ऐसा साल था जब शरणार्थियों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- 2016 से 2017 के बीच शरणार्थियों की संख्या 29 लाख बढ़ी, जो किसी एक साल में शरणार्थी बनने की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।
- दुनिया में फिलहाल जितने शरणार्थी हैं, कनाडा जैसे बड़े देश की जनसंख्या (3.6 करोड़) भी उसकी आधी है। पिछले साल 1.62 लोगों को अपना पुराना ठिकाना छोड़ना पड़ा।
- हर दो सेकंड में एक व्यक्ति और हर दिन 44 हजार, 500 लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं। ज्यादातर अपने ही देश में स्थान बदलने को मजबूर होते हैं।
- 2017 के आखिर में ऐसे शरणार्थियों की संख्या 4 करोड़ थी। 2017 की शरणार्थियों की लिस्ट में 2.54 करोड़ लोगों के नाम हैं। इनमें से आधे से ज्यादा बच्चे हैं। दुनिया के शरणार्थियों में 48% महिलाएं हैं।
- सीरिया में सात साल से चल रही हिंसा के चलते पिछले साल वहां से 63 लाख लोगों को देश छोड़ना पड़ा। ये लोग जबकि 62 लाख लोग अपना घर छोड़कर सीरिया में ही रह रहे हैं।

भारत की स्थिति

- भारत में 30 देशों से आए 3 लाख शरणार्थी हैं।
- पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, तिब्बत और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के शरणार्थी हैं।
- जिनमें सबसे ज्यादा श्रीलंकाई हैं जो तमिल हिंसा के चलते यहां आ गए।

भारत में

देश	भारत में स्थिति
श्रीलंका	1 लाख 2 हजार 467
तिब्बत	60 हजार
बांग्लादेश	1 लाख 3 हजार 817
पाकिस्तान	8 हजार 799

राज्यों में शरणार्थियों की संख्या

राज्य	शरणार्थी
तमिलनाडु	1 लाख 2478
दिल्ली	10 हजार 161
उत्तराखण्ड	11 हजार 768
छत्तीसगढ़	62 हजार 890

कहाँ शरण लेते हैं शरणार्थी

महाद्वीप	शरणार्थी
अफ्रीका	30%
मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका	26%
यूरोप	17%
अमेरिका	16%
एशिया पेसेफिक	11%

शरण वाले देशों में तुर्की सबसे आगे

देश	शरणार्थी
तुर्की	29 लाख
पाकिस्तान	14 लाख
लेबनान	10 लाख
ईरान	9.7 लाख
यूगांडा	9.4 लाख
यूथोपिया	7.9 लाख

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
   1. भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है।
   2. इसके पास घरेलू शरण कानून भी है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2
2. **विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है?**
   (a) 18 जून
   (b) 20 जून
   (c) 17 जून
   (d) 19 जून
3. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
   1. भारत ने शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए न्यूयॉर्क घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किया है।
   2. नवीनतम शरणार्थी विधेयक, 2015 शशी थरूर द्वारा निजी सदस्य के रूप में पेश किया गया था।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

1. **Consider the following statements-**
   1. India is signatory to the Refugee Convention, 1951.
   2. It also have its domestic laws.

   Which of the above statements is/are correct?
   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2
2. **When does World Refugee Day is celebrated?**
   (a) 18 June
   (b) 20 June
   (c) 17 June
   (d) 19 June
3. **Consider the following statements-**
   1. India has signed New York Declaration for refugees and migrants.
   2. New Refugee Bill, 2015 was presented by Shashi Tharoor as private member's bill.

   Which of the above statements is/are correct?
   (a) Only 1 (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

नोट : 19 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2(c), 3(a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''भारत की ऐतिहासिक पहचान मानववादी और विश्व कल्याण की रही है।'' परन्तु राष्ट्रीय आश्रय नीति का न होना इस कथन के साम्यता से विलगाव दिखता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दिखाते हुए शरणार्थियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय आश्रय नीति अपना लेना चाहिए? आप अपने मत के औचित्य को स्पष्ट करें। (250 शब्द)

"India's historical identity has been that of humanist and global welfare." The absence of National Refugee Policy show distance from this statement. Do you think that India should adopt National Refugee Policy by showing its international commitment towards welfare of refugees? Justify your opinion. (250 Words)

GS World Committed to Excellence

विश्व शरणार्थी दिवस

स्रोत– द हिन्दू आर्टिकल
'20 जून, 2018'

IAS PCS

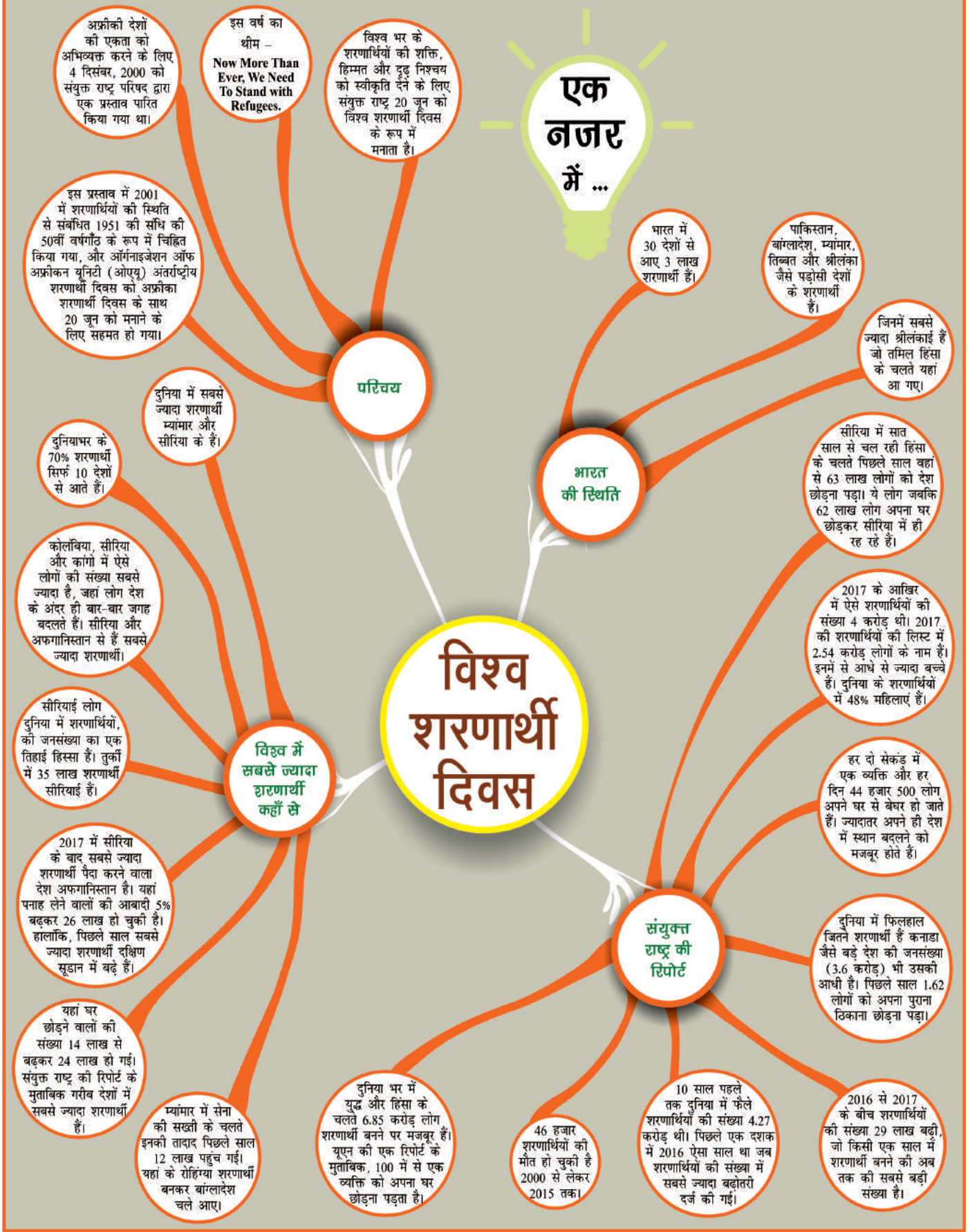

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322

चिरस्थायी पहल : कृषि क्षेत्र में

21 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक-
सुभाष बिरवाल (वैज्ञानिक)

''इस आलेख में जीरो बजट प्राकृतिक खेती भविष्य में किसानों के लिए कैसे मद्दगार साबित हो सकता है, पर चर्चा की गयी है।''

जून के आरंभ में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की कि राज्य पूरी तरह से जीरो बजट प्राकृतिक खेती (जेडबीएनएफ) को अपनाएगा, जो एक रासायनिक के उपयोग से मुक्त विधि है जिसका लक्ष्य 2024 तक सभी किसानों को कवर करना है। इससे पहले, उन्होंने इन योजनाओं का जिक्र दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में किया था।

हालांकि यह क्रांति पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण अवसर है और किसानों के कल्याण में सुधार, कृषि इनपुट की लागत को कम करने, भोजन में विषाक्त पदार्थों को कम करने और मिट्टी में सुधार करने के तरीके पर प्रकाश डाला गया है। सफल पायलट कार्यक्रमों के साथ 2015 में इसे शुरू किया गया था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश एक जेडबीएनएफ नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया।

एक संस्थान के अनुसार, जेडबीएनएफ लागू करने वाली एजेंसी, कार्यक्रम को कई चरणों में बढ़ाएगा। इस वर्ष, 5 लाख किसानों को कवर किये जाने का लक्ष्य है और प्रत्येक मंडल में कम से कम एक पंचायत को इस नई विधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे कार्यक्रम को एक चरम बिंदु तक ले जाया जा सके। 2021-22 तक, कार्यक्रम प्रत्येक पंचायत में 2024 तक पूर्ण कवरेज के साथ लागू किया जाना है।

इस ओर, लगभग 16,500 करोड़ रुपये के लिए पर्याप्त संसाधन प्रगति पर है। सीमांत किसानों और दैनिक मजदूरों को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि जेडबीएनएफ के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को आजीविका सुनिश्चित हो सके। कृषि विभाग की भूमिका किसानों को सुनना और उन्हें प्रोत्साहित करना और विभिन्न तरीकों से उनकी सहायता करना है।

वर्तमान में किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना की आवश्यकता है और कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और परम्पराग कृषि विकास योजना के माध्यम से वित्त पोषण प्रदान की जा सकेगी। विभिन्न परोपकारी संगठनों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।

प्राकृतिक खेती

रासायनिक खेती में अपने प्रयासों के बाद सुभाष पालेकर ने जेडबीएनएफ विकसित किया था। उन्होंने चार पहलुओं की पहचान की जो अब उनकी प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं और जिन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों की आवश्यकता होती है: अर्थात बीज उपचार और अन्य उपचार के लिए स्थानीय रूप से गाय के गोबर और गौ मूत्र का उपयोग किया जाता हैं।

मिट्टी की नमी बनाए रखने और आर्द्रता बनाने के लिए फसलों, भूसे और अन्य जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। आवश्यकता होने पर इन विधियों को प्राकृतिक कीट प्रबंधन विधियों के साथ भी जोड़ा जाता है।

जेडबीएनएफ में, रासायनिक खेती की तुलना में फसलों की पैदावार काफी अधिक पायी गयी है। उदाहरण के लिए, (खरीफ) 2017 पायलट चरण में जेडबीएनएफ भूखंडों से उपज गैर-जेडबीएनएफ भूखंडों की तुलना में कपास के लिए औसतन 11% अधिक थी। गुली रागी (जेडबीएनएफ) के लिए उपज गैर-जेडबीएनएफ की तुलना में 40% अधिक थी।

इस विधि में इनपुट लागत शून्य के करीब होती है, क्योंकि कोई उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। जेडबीएनएफ के तहत अधिकांश क्षेत्रों में लाभ उच्च और कम लागत वाले थे। देखा जाये तो, जेडबीएनएफ मॉडल खेत सूखे और बाढ़ का सामना करने में अन्य की तुलना में अधिक सक्षम थे, जो जलवायु परिवर्तन के संबंध में व्याप्त बड़ी चिंताओं को दूर करता हैं।

एक ही क्षेत्र में कई फसलों के रोपण ने विभिन्न आय और पोषक तत्वों को प्रदान किया है। हमें पानी और बिजली के कम उपयोग, किसानों के बेहतर स्वास्थ्य, स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का विकास और पर्यावरण में जहरीले रासायनिक अवशेष के अंत जैसे परिणाम इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए हैं।

2016 की शुरुआत में, सिक्किम को भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया था। लेकिन जैविक कृषि में अक्सर बड़ी मात्रा में खपत, कृमि खाद और अन्य सामग्रियों को शामिल किया जाता है जो थोक में आवश्यक होते हैं और उन्हें खरीदने की आवश्यकता होती है। जो कृषि के लिए सबसे कम भूमि वाले किसानों के लिए महंगे साबित हो जाते हैं।

अन्य राज्यों के लिए मॉडल

आंध्र प्रदेश में होने वाला बदलाव प्रमुख रासायनिक कृषि की तुलना में कृषि-पारिस्थितिक सिद्धांतों के आधार पर कृषि पद्धतियों का एक व्यवस्थित स्तर है। इस पैमाने पर परिवर्तनों को एक साथ आने के लिए कई अलग-अलग तत्वों की आवश्यकता होती है।

पिछले कुछ वर्षों में, आंध्र प्रदेश ने वाटरशेड सपोर्ट सर्विसेज एंड एक्टिविटीज नेटवर्क, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सेंटर और डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी जैसे कई प्रभावी नागरिक समाज संगठनों से समर्थन हासिल कर लिया है।

डेल्टा क्षेत्रों, शुष्क और पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों के संयोजन के साथ, आंध्र प्रदेश राज्य का जिला देश के अन्य हिस्सों के समान ही हैं और इसलिए प्रतिकृति के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं।

सुधारों की निगरानी के लिए एपीपीआई द्वारा उठाए गए दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर परिवर्तनों के परिणामों को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं; जेडबीएनएफ को अन्य राज्यों में विस्तारित करना महत्वपूर्ण है। भारत के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में जेडबीएनएफ लागू करने से किसानों को काफी मदद मिलेगी।

ग्लोबल वार्मिंग और भारत के बड़े हिस्सों में भूजल में कमी के चलते मॉनसून की विविधता के कारण लचीला खाद्य प्रणाली की आवश्यकता सबसे अहम है। सूखा प्रवण रायलसीमा क्षेत्र (आंध्र प्रदेश) जेडबीएनएफ के साथ खेतों में पहले से ही आशाजनक बदलाव देख रहा है।

अधिक उत्साहजनक यह है कि कार्यक्रम मिट्टी, जैव विविधता, आजीविका, पानी, रसायनों में कमी, जलवायु लचीलापन, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पोषण में सुधार के माध्यम से कई टिकाऊ विकास लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

किसान आत्महत्या के मामले में आंध्र प्रदेश शीर्ष पांच राज्यों में से एक है। देश भर में कृषि संकट के बारे में पूछे जाने पर, श्री कुमार के पास निर्णय निर्माताओं के लिए एक संदेश था। 'अपने वैज्ञानिकों की न सुनें, किसानों की सुनें।' तकनीक व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए ज्ञान का व्यवस्थित अनुप्रयोग है और जेडबीएनएफ एक पारंपरिक मुहावरे के साथ भविष्य की एक तकनीक है।

भारत में कृषि वैज्ञानिकों को अपनी पूरी रणनीति को फिर से बनाना है ताकि खेती प्रकृति के अनुरूप हो सके। रासायनिक आधारित कृषि का प्रमुख प्रतिमान विफल रहा है और कृषि में सुधार उभरता हुआ नया विज्ञान है।

* * *

GS World टीम...

जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (जेडबीएनएफ)

परिचय

- जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत सितंबर, 2015 में केंद्र की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किया गया था।
- जेडबीएनएफ प्राकृतिक खेती के तरीकों का एक सेट है जहां फसलों के बढ़ने और कटाई की लागत शून्य होती है।
- इस तरह की खेती में कीटनाशक, रासायनिक खाद और हाईब्रिड बीज किसी भी आधुनिक उपाय का इस्तेमाल नहीं होता है। यह खेती पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है।
- जीरो बजट शब्द सभी फसलों के उत्पादन की शून्य शुद्ध लागत को संदर्भित करता है।
- बीज उपचार और अन्य उपचार के लिए स्थानीय रूप से गाय के गोबर और गौ मूत्र का उपयोग किया जाता हैं।
- इसके लिए लगभग कोई मौद्रिक निवेश की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें जीव अमृत और बीज अमृत के उपयोग की परिकल्पना की गई है।
- जेडबीएनएफ का मुख्य उद्देश्य रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को खत्म करना है और जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना है।
- किसान फसलों की सुरक्षा के लिए केंचुआ, गाय के गोबर, गौ मूत्र, पौधे, मानव मलमूत्र और जैविक उर्वरकों का उपयोग करते हैं।

जेडबीएनएफ का महत्व

- यह किसानों की लागत को कम करते हुए आय बढ़ाने के लिए बेहतर क्षमता प्रदान करता है।
- यह मृदा के क्षरण को भी रोकता है, मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही यह जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है।
- पिछले प्रणाली के विपरीत इस विधि में सिंचाई पर लागत बहुत कम है, यह मिट्टी की नमी का उपयोग करता है।
- भोजन में विषाक्त पदार्थों को कम करने में सहायक सिद्ध होगा।

भारत में जीरो बजट प्राकृतिक खेती

- जेडबीएनएफ ने दक्षिणी भारत, विशेष रूप से कर्नाटक में व्यापक रूप से सफलता प्राप्त की है, जहां इसे पहले विकसित किया गया था।
- आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी इस विधि को अपनाया है।

इसकी आवश्यकता क्यों?

- भारतीय अर्थव्यवस्था के नव उदारीकरण ने एक गहरे कृषि संकट को जन्म दिया जो छोटे पैमाने पर कृषि को एक अस्थिर व्यवसाय बना रहा है।
- रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके पारंपरिक खेती और जैविक खेती दोनों किसानों के लिए असहनीय हो रही हैं। जैविक खेती परंपरागत खेती की तुलना में महंगी थी, क्योंकि इसमें कृषि लागत अधिक थी।
- निजीकृत बीज, इनपुट, और बाजार किसानों के पहुंच से दूर और महंगे हो गये हैं।
- पिछले दो दशकों में भारत में दस लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार किसानों की आत्महत्या बढ़ते कर्ज के कारण अधिक हो रही है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन जीरो बजट प्राकृतिक खेती की उपयुक्त व्याख्या करता है?
   (a) इसमें इनपुट लागत शून्य के करीब होती हैं।
   (b) इसमें रसायनों का कम उपयोग किया जाता हैं।
   (c) इससे किसानों के कल्याण में सुधार होती हैं।
   (d) इनमें से कोई नहीं
2. हाल ही में किस राज्य ने यह घोषणा किया है कि वह पूरी तरह से जीरो बजट प्राकृतिक खेती को अपनाएगा?
   (a) तेलंगाना
   (b) मणिपुर
   (c) आन्ध्र प्रदेश
   (d) बिहार
3. जीरो बजट प्राकृतिक खेती को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है?
   (a) एम.एन. स्वामीनाथन
   (b) एन.एन. पालखीवाला
   (c) देवेन्द्र सिंह
   (d) सुभाष पालेकर

1. **Which of the following best explains Zero Budget Natural Farming?**
   (a) Input cost is approximately Zero.
   (b) Very less chemicals are used.
   (c) Improves welfare of farmers.
   (d) None of these
2. **Recently which state has annouced that it will fully adopt Zero Budget Natural Farming?**
   (a) Telangana
   (b) Manipur
   (c) Andhra Pradesh
   (d) Bihar
3. **Who is credited for developing Zero Budget Natural Farming?**
   (a) M.N. Swaminathan
   (b) N.N. Palkhivala
   (c) Devendra Singh
   (d) Subhash Palekar

नोट : 20 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(b), 3(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (ZBNF) से आपका क्या अभिप्राय हैं? परम्परागत कृषि पद्धतियों पर प्रकाश डालते हुए आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों पर चर्चा करें।
   (250 शब्द)

   What do you mean by Zero Budget Natural Farming (ZBNF)? Discuss its economic and environmental benefits while highlighting traditional agricultural practices.
   (250 Words)
2. भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना है, साथ ही जब पूरे विश्व में किसान जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रहा है। इन अर्थों में जीरो बजट प्राकृतिक खेती किस तरह किसानों के लिए मद्दगार साबित हो सकती है? विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए।
   (250 शब्द)

   The objective of Indian Government is to double farmer's income by 2022. Together with it, farmers in the whole world are facing the problem of climate change. In this sense, how Zero Budget Natural Farming can be helpful to farmers? Discuss in detail.
   (250 Words)

जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (जेडबीएनएफ)

IAS PCS

स्रोत– द हिन्दू आर्टिकल
'21 जून, 2018'

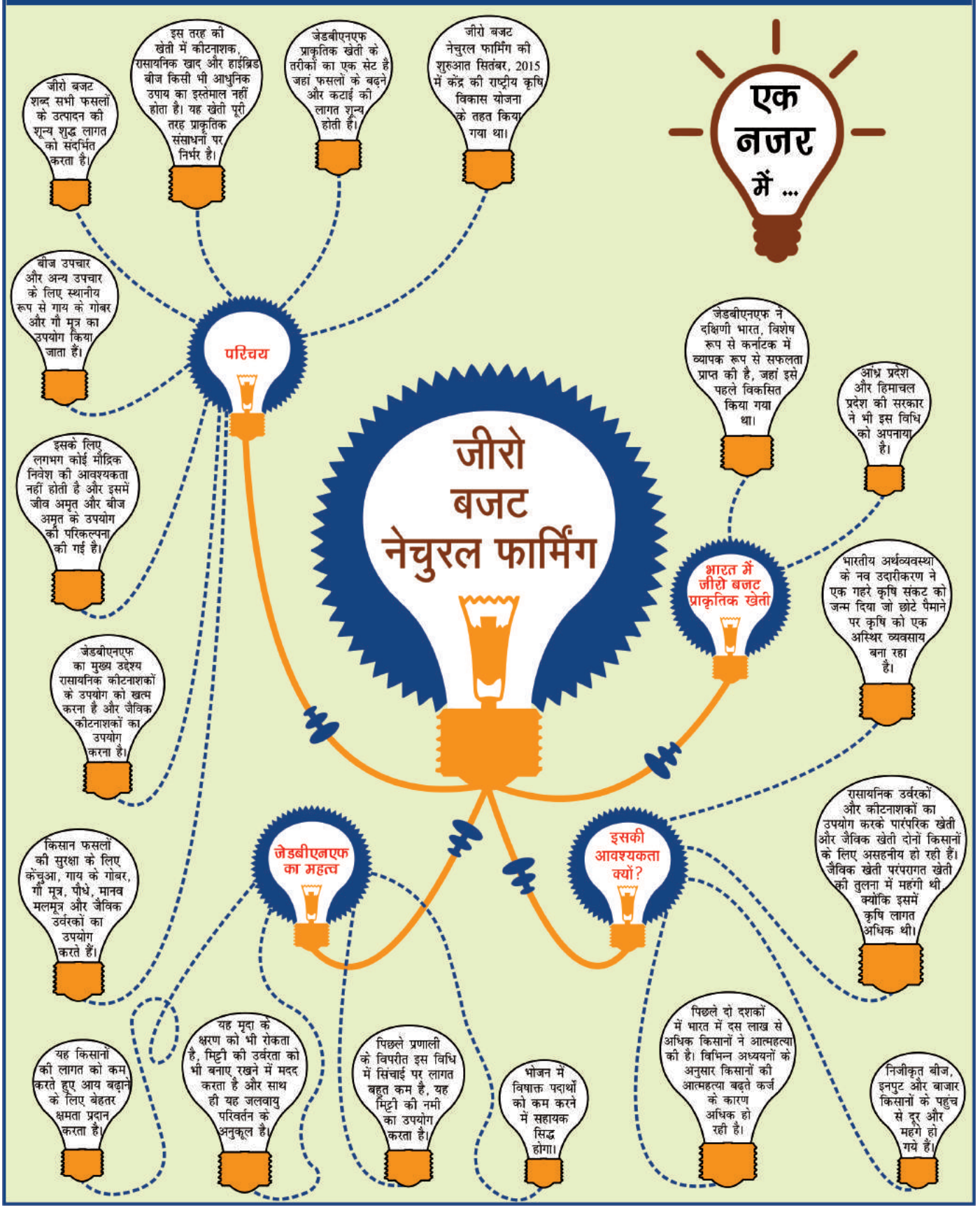

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322

खतरनाक चक्रव्यूह : वैश्विक व्यापार युद्ध पर

22 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

''वर्तमान में चल रहे वैश्विक व्यापार युद्ध में कोई विजेता नहीं होगा।''

वैश्विक व्यापार युद्ध की सरगर्मी बढ़ रही है, क्योंकि प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका से आयातित 30 सामानों की सूची में 50% के रूप में टैरिफ को बढ़ाते हुए टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा वाला रुख अपनाते हुए भारत इस ट्रेड वार में शामिल हुआ है।

इस सप्ताह के शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा किया था कि उन्होंने अपने प्रशासन को 200 अरब डॉलर के चीन के आयात पर नए टैरिफ बढ़ाने का आदेश दे दिया है। श्री ट्रम्प द्वारा चीन के सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाने के जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामानों में 50 बिलियन अमरीकी डॉलर के मूल्य पर टैरिफ बढ़ा दी।

इस व्यापार युद्ध में पहला पहल मार्च में अमेरिका द्वारा किया गया था, जब श्री ट्रम्प ने स्टील और एल्यूमीनियम के आयात को हतोत्साहित करने के लिए टैरिफ बढ़ाने का फैसला लिया था। कुल मिलाकर, अमेरिकी टैरिफ अब 450 बिलियन अमरीकी डॉलर के चीन के सामान को प्रभावित करेंगे और अगर हम इसे अलग परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पाएंगे कि, पिछले साल अमेरिका में कुल चीनी आयात लगभग 500 अरब डॉलर थे। दूसरी तरफ यूरोपीय संघ भी इस महीने व्यापार युद्ध में शामिल हो गया है, जिसने 3.3 बिलियन डॉलर अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाया है।

अब भारत भी इस युद्ध में शामिल हो चुका है। और भारत ने डब्ल्यूटीओ को अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि स्टील और एल्यूमीनियम पर अमेरिकी टैरिफ से भारत को 241 मिलियन डॉलर खर्च बढ़ेगा और इसलिए भारत ने यू.एस. पर टैरिफ लगाये हैं जिससे उसे होने वाले नुकसान की पूर्ति हो सके। लेकिन भारत ने संवाद के माध्यम से इस मुद्दे से निपटने के लिए अपनी प्राथमिकता का भी संकेत दिया है।

उल्लेखनीय है कि जी-7 के सदस्य देश कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस तथा यूनाइटेड किंगडम जहां पहले ही ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसी को लेकर नाखुश थे, वहीं जी-7 सम्मेलन के बाद ट्रम्प के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो तथा अन्य अमरीकी प्रतिनिधियों द्वारा समझौते को अमरीकी हितों के प्रतिकूल बताते हुए नामंजूर किए जाने से वैश्विक व्यापार की चिंताएं बढ़ गई हैं।

चिंताजनक बात यह भी रही कि ग्रुप 7 सम्मेलन के तुरंत बाद अमरीका ने ग्रुप 7 के विभिन्न देशों से अमेरिका में आने वाले कुछ आयातों पर नए व्यापारिक प्रतिबंध घोषित करके वैश्विक व्यापार युद्ध के दरवाजे पर दस्तक दी है।

गौरतलब है कि पिछले एक वर्ष में अमरीका जैसे-जैसे संरक्षणवाद की ओर बढ़ा है, वैसे-वैसे दुनिया के कई विकसित देशों ने उसका अनुसरण किया है और वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंकाएं लगातार बढ़ती गई हैं।

अमरीका द्वारा ग्रुप-7 देशों से आयात पर नए प्रतिबंधों से पहले इसी वर्ष 8 मार्च से लगातार अब तक उसने चीन, मैक्सिको, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, यूरोपीय संघ के देशों और भारत पर भी आयात प्रतिबंधों की शुरूआत की है।

अमरीका का कहना है कि विश्व व्यापार की समस्या का संबंध चीन से सबसे ज्यादा है। लंबे समय तक, वैश्विक वित्तीय बाजारों ने बड़े पैमाने पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक संपूर्ण व्यापार युद्ध के जोखिमों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन चीजें तेजी से बदल रही हैं।

डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज मंगलवार को 1.6% तक गिर गया, जबकि शेन्जेन कंपोजिट इंडेक्स दिन तक 5.8% नीचे था।

अस्थिरता के इस नए दौर से पता चलता है कि निवेशक एक व्यापार युद्ध के खतरे को और गंभीरता से लेना शुरू कर सकते हैं। तथ्य यह है कि एक व्यापार युद्ध में लगे सभी पक्ष अंततः हार जाते हैं।

जितना अधिक समय तक यह चलेगा करों के बढ़ते बोझ के तहत विकास उतना ही कम होता जाएगा। एक व्यापार युद्ध में एकमात्र लाभकर्ता विशेष रुचि समूह होंगे, जैसे कि यू.एस. स्टील उद्योग, जो श्री ट्रम्प के लिए एक प्रमुख वोट बैंक भी है। यहां तक कि अमेरिका से बदला लेने की भावना भी टैरिफ युद्ध को समाप्त करने के बजाय केवल दुष्परिणाम नकारात्मक गेम को कायम रखेंगे।

श्री ट्रम्प ने जी -7 कम्युनिकेशंस को अस्वीकार कर दिया जो दुनिया के लिए 'नियम-आधारित व्यापार प्रणाली' का समर्थन करता है। फिर भी, वैश्विक शक्तियों को इस समस्या को हाथ से बाहर होने देने से पहले चल रहे व्यापार युद्ध को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए।

* * *

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शुरू किए गए ट्रेड वॉर का असर भारत पर भी नजर आने लगा है। भारत ने ट्रेड वॉर पर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत ने अमेरिका से आयात किए जाने वाले 30 उत्पादों पर दी जाने वाली रियायत को समाप्त करने का फैसला लिया है। इसका प्रस्ताव विश्व व्यापार संगठन को दिया गया है।
- जवाबी कार्रवाई के तहत अमेरिका से मंगाई जाने वाली दाल-दलहन, लौह एवं इस्पात उत्पादों समेत 29 उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। इसमें मटर, बंगाली चना और मसूर दाल, बादाम, अखरोट, सेब, लोहा और इस्पात शामिल हैं। इन उत्पादों पर आयात शुल्क में 25 से 90 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है।

भारत ने क्यों उठाया यह कदम

- भारत ने स्टील-एल्युमिनियम पर शुल्क से राहत की मांग की थी, अमेरिका नहीं माना
- भारत ने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट की मांग की थी, अमेरिका ने खारिज की
- सुरेश प्रभु व्यापार वार्ता को जून में अमेरिका गए थे, लेकिन गतिरोध नहीं टूटा

व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि

- विश्व के लिए व्यापार युद्ध कभी भी अच्छी नहीं रही है। पिछली बार दुनिया ने व्यापार युद्ध को 1930 के दशक में देखा था, जब देशों ने अपने व्यापार अधिशेष को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। नतीजतन दुनिया भर में भारी मंदी, जिसके परिणामस्वरूप 1 9 30 के दशक में ग्रेट डिप्रेशन हुआ।
- हांलाकि, पिछले 80 वर्षों में, एक पूर्ण व्यापार युद्ध का कभी प्रयास नहीं किया गया है। भारत के लिए, कम से कम अपनी आजादी के बाद, व्यापार युद्ध की कोई घटना नहीं हुई है।

भारत पर प्रभाव

- रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत अमेरिकी संरक्षणवाद के खिलाफ प्रतिशोध करना चुनता है तो 2022 तक भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कमी 2.3 प्रतिशत तक हो सकती है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारतीय निर्यात को नुकसान पहुँचेगा और मुद्रास्फीति का कारण बनेगा, जिससे भारत की क्रय शक्ति और निवेश पर असर पड़ेगा।
- अमेरिकी मौद्रिक नीति के कड़े होने से भारत की वित्तीय आवश्यकताओं को प्रभावित करने के बदले भारत की पूंजीगत बहिर्वाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- भारतीय रुपये के मूल्य में कमी और राजनीतिक जोखिम से भारत की पूंजीगत प्रवाह पर असर पड़ सकता है।

लाभ

- अमेरिकी-चीन व्यापार युद्ध के कारण कम समय के लिए ही मगर व्यापार परिप्रेक्ष्य से ब्राजील और भारत जैसे देशों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
- उदाहरण के लिए सोयाबीन के मामले में भारत के लिए अन्य बाजारों में प्रवेश करने के लिए खोलने के मामले में एक प्रभावशाली प्रभाव हो सकता है
- यूएस-चीन व्यापार युद्ध संक्रमण में तेजी ला सकता है। अमेरिकी कंपनियां जो चीन से आयात पर निर्भर करती हैं, उन्हें टैरिफ के आसपास अपनी आपूर्ति श्रृंखला को फिर से डिजाइन करने के लिए मजबूर होना होगा।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उनके आपूर्तिकर्ता चीन के बाहर वैकल्पिक सुविधाओं की तलाश करेंगे। यह चीन के लिए बुरी खबर है लेकिन भारत को लाभ पहुंचा सकता है।
- नई आपूर्ति श्रृंखलाओं की तलाश में भारत को चीन से बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

चिंताएं

- इस ट्रेड वॉर से बेरोजगारी बढ़ेगी, आर्थिक रफ्तार कमजोर होगी और ट्रेडिंग सहयोगियों के आपस में रिश्ते बिगड़ेंगे। इस वॉर के कारण चीन, हॉन्ग- कॉन्ग और जापान के शेयर बाजारों में 3 फीसदी तक की गिरावट आई है, वहीं भारत में भी सेंसेक्स और निफ्टी कमजोर हुए हैं, जो निश्चित तौर पर नकारात्मक संदेश है।
- अमेरिका का यह कदम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ से भारत सहित कई देशों के लिए स्टील और ऐल्युमिनियम पर टैरिफ लगाए जाने के बाद उठाया गया है। जर्मनी, जापान या कोरिया सभी मुख्य ट्रेड सहयोगियों के साथ 2017 में अमेरिका ने व्यापार घाटा झेला है।
- वहीं इन दोनों देशों के बीच इस समय भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। आने वाले समय में हमें अमेरिकी प्रशासन के साथ सही दिशा में बने रहने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत की ओर से अमेरिकी फर्म को किए जा रहे निर्यात सेवा पर बुरा असर पड़ेगा।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जब दो या अधिक देश व्यापारिक कर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं या अन्य प्रकार के व्यापारिक प्रतिबंध लगा देते हैं, तो इसे व्यापार युद्ध कहते हैं।
2. इससे आयात होने वाली चीजों की कीमत घट जाती हैं, जिससे वे घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती। इससे उनकी बिक्री घट जाती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2. विश्व आर्थिक मंदी कब आयी थी?

(a) 1918
(b) 1929
(c) 1939
(d) 1942

3. आर्टेमिया क्या है?

(a) एक प्रकार का सॉफ्टवेयर
(b) एक प्रकार का झींगा
(c) एक प्रकार का पौधा
(d) इनमें से कोई नहीं

1. Consider the following statements-

1. When two or more countries raise trade tax to a very high level or impose other trade restrictions, it is called trade war.
2. It decreases the price of the imported goods due to which these are not able to compete in local market. In turns their sale decreases.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. When did World Economic Resession Occur?

(a) 1918
(b) 1929
(c) 1939
(d) 1942

3. What is Artemia?

(a) A type of Software
(b) A type of Shrimp
(c) A type of plant
(d) None of these

नोट : 21 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(c), 3(d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. आप ट्रेडवार से क्या समझते हैं? ट्रेडवार क्यों एक ज्वलंत समस्या बन गया है? भारत पर इसके पड़ने वाले प्रभावों के साथ इससे निपटने के लिए उपाय बताएं।

(250 शब्द)

What do you understand by trade war? Why trade war has become a burning issue? Describe the effects on India caused by it and also suggest some measures to deal with these.

(250 Words)

ट्रेड वॉर

स्रोत– द हिन्दू आर्टिकल
'22 जून, 2018'

IAS PCS

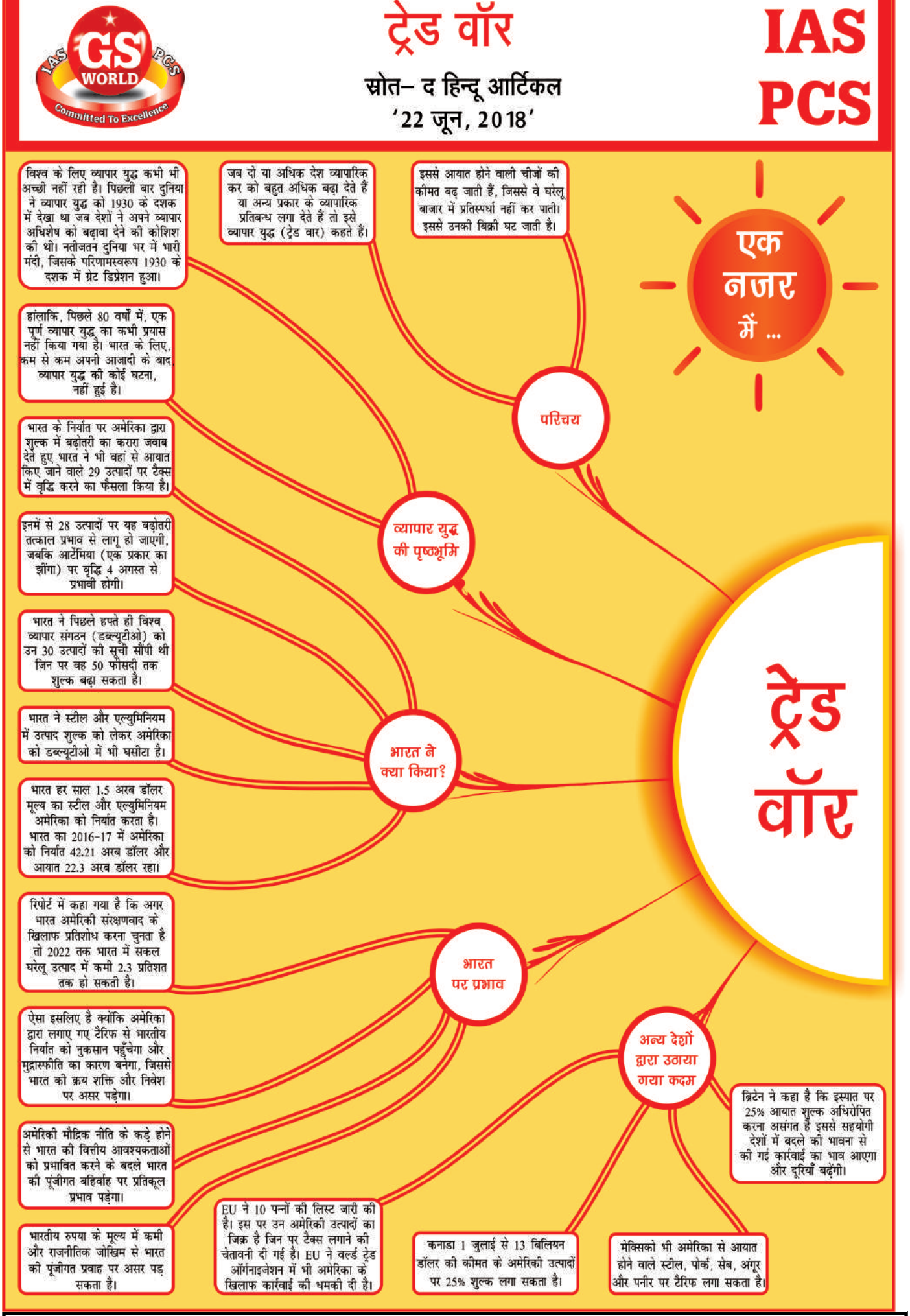

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक-
डीसी. शरद यादव (संपादक)

''अरविंद सुब्रमण्यम ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका में बेहतर कार्य किया, सवाल यह है कि उनकी सिफारिशें कितनी और कहाँ तक सुनी गयी?''

वित्त मंत्री के साथ अरविंद सुब्रमण्यम का मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) के रूप में कार्यकाल काफी विरोधाभासी रहा है। जबकि उन्होंने सरकार को अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे सुझाव दिए और आम तौर पर आर्थिक सर्वेक्षणों पर जोर दिया और आर्थिक समस्याओं के कई मुद्दों पर अपनी राय दी, लेकिन समस्या यह रही कि सरकार बार-बार इनकी सलाह पर ध्यान देने में विफल रही या किसी अन्य कारणों से इनके महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों पर परामर्श नहीं कर पाई। यह किसी भी सलाहकार के लिए निराशाजनक है।

कुछ समाधान

श्री सुब्रमण्यम द्वारा सामाजिक-आर्थिक ढांचे में पहला बड़ा योगदान आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 में दिया गया था, जिसमें उन्होंने जन धन-आधार-मोबाइल (जैम) ट्रिनिटी से उत्पन्न विभिन्न विकास संभावनाओं के बारे में अपनी राय पेश की थी।

यह योजना जन धन योजना, आधार के पहचान आंकड़ों के वित्तीय समावेशन नेटवर्क और मोबाइल क्रांति द्वारा प्रदान की जाने वाली पहुंच के माध्यम से प्राप्त डेटा का उपयोग उन लोगों को वित्तीय सहायता को लक्षित करने के लिए किया गया था, जिन्हें इसकी आवश्यकता थी। यह बहुत अच्छा विचार था।

यह नवाचार के मामले में ही सिर्फ बड़ा परिवर्तन नहीं था, बल्कि इसमें किसी व्यक्ति को आधिकारिक क्षमता भी प्रदान की गयी थी जिससे वो इसे गंभीरता से लेने से पहले इसके गुण और दोषों पर बहस कर सके। यही श्रीमान सुब्रमण्यम ने किया था।

देखा जाये तो इस विचार को मानते हुए सरकार ने पूरी तरह से आधार को अपना लिया है। अगले आर्थिक सर्वेक्षण में सीईए ने भारत में व्यवसाय करने के मुद्दे को उजागर किया था, जिस पर तब तक केवल कुछ ही लोग बात या सक्रिय रूप से सोचा करते थे।

हालांकि भारत में एक व्यापार उद्यम शुरू करने के लिए काफी आसान था, सीईए ने बताया कि उनके लिए दिवालिया होने की घोषणा करना बेहद मुश्किल था कि वे आसानी से अपनी संपत्ति का निपटान कर सकते थे और अपनी देनदारियों को सुलझा सकते थे।

उन्होंने इस समस्या को अपनी सामान्य विचित्र शैली में चक्रव्यूह समस्या कहा। इसके बाद से ही केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता लाने जैसे निर्णायक कदम उठाए हैं। लेकिन इसका क्रेडिट पूरी तरह से सुब्रमण्यम को जान चाहिए जिन्होंने व्यापारिक मुद्दे पर चर्चा करते हुए इसे प्रासंगिक बना दिया।

लेकिन यहाँ समस्या इनकी भूमिका पर प्रतिक्रिया ना देने से संबंधित है। जाम ट्रिनिटी के साथ, श्री सुब्रमण्यम ने (2014-15 सर्वेक्षण में) भारत में सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) के साथ समस्याओं पर भी चर्चा की थी और उन्हें सुधारने के तरीकों पर अपना सुझाव दिया था।

उनके कई सुझाव, जैसे डेवलपर्स और उधारदाताओं के बीच लोड साझा करने के लिए मौजूदा अनुबंधों को पुनर्गठन करना, वास्तव में काम कर सकता है। लेकिन पीपीपी को अभी तक किसी भी सार्थक तरीके से उतारा नहीं गया है।

विमुद्रीकरण पर

2016-17 सर्वेक्षण कई अपेक्षाओं के साथ आया था; सीईए ने पहली बार विमुद्रीकरण के बारे में बात की थी। हालांकि, 8 नवंबर, 2016 को घोषणा के बाद अपनी राजनयिक मौन को ध्यान में रखते हुए, अन्य विषयों पर सीईए द्वारा देखे गए पिछले विश्लेषणों की तुलना में विमुद्रीकरण का अध्याय इसकी आलोचना में कहीं अधिक गंभीर था। शायद किसी भी वास्तविक अर्थ में इस कदम के प्रभाव को मापना बहुत जल्दी थी।

श्री सुब्रमण्यम के तहत किये गये कई सर्वेक्षणों में परेशान निगमों और बैंकों के 'ट्विन बैलेंस शीट समस्या' के बारे में बात की है। दूसरे शब्दों में, बैंकों को उधार देने और कंपनियों को उधार लेने की क्षमताओं पर बैड लोन के उच्च स्तर का प्रभाव पड़ा है।

जिसके लिए उन्होंने एक सुझाव पेश किया था यानि 'बैड बैंक' का गठन करना, जो बैंकों के खराब बैलेंस शीट को खरीदने और उन्हें हल करने के लिए था। हालांकि यह कोई नया विचार नहीं था।

इस विचार को सर्वेक्षण के अलावा कहीं चर्चा का विषय नहीं बनाया गया और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा इसके बारे में सवाल उठाने के बाद ही इस पर चर्चा होने की उम्मीद खत्म हो गयी।

2016-17 सर्वेक्षण में उल्लिखित यूनिवर्सल बेसिक इनकम का विचार भी काफी सराहनीय है। लेकिन यह भी सरकार के भीतर चर्चा शुरू होने के तुरंत बाद ही समाप्त हो गई।

श्री सुब्रमण्यम का जाना अन्य उल्लेखनीय अर्थशास्त्री (पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन, और पूर्व नीति आयोग उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया) के संबंधित मालूम पड़ता है, जो यू.एस. जा रहे हैं।

शायद अब समय आ गया है कि सरकार आर्थिक सलाहकारों की संरचना में व्यापक सुधार करे। सीईए का पद सांख्यिकी मंत्रालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिसका नाम अर्थशास्त्र और सांख्यिकी मंत्रालय रख दिया जाना चाहिए। इस मंत्रालय को एक अर्थशास्त्री की जरूरत है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद 1 फरवरी से खाली पड़ा हुआ है।

इसके बाद, सरकार के सभी अर्थशास्त्रियों को सलाह दी जानी चाहिए कि विभिन्न मंत्रालयों को इस मंत्रालय के तहत समेकित किया जाये जो यह तय कर सके कि इसके संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जा सकता है।

हालांकि, श्री सुब्रमण्यम का इस तरह जाना हमारे लिए कई सवाल छोड़ जाते हैं; क्या सीईए का पद सरकार के लिए उपयोगी नहीं रही? इसका जवाब यह हो सकता है कि इस रिक्ति स्थान को कितनी जल्दी भरा जाता है और इसकी भूमिका के 'सलाहकार' भाग को कितना आवश्यक समझा जाता है।

* * *

GS World टीम...

सुझाव जो नहीं माने गये

बैड बैंक

- बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- ये बैड बैंक कर्ज में फँसी बैंकों की राशि को खरीद लेगा और उससे निपटने का काम भी इसी बैंक का होगा।
- जब किसी बैंक की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ सीमा से अधिक हो जाती हैं, तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैंक का निर्माण किया जाता है जो मुख्य बैंक की देयताओं को एक निश्चित समय के लिये धारण कर लेता है।

ट्विन बैलेंस शीट समस्या

- वर्ष 2016 -17 के आर्थिक सर्वेक्षण के एक पूरे खंड में ऋण के कारण तनावपूर्ण अवस्था में पहुँची कंपनियों तथा बैंकों की जुड़वाँ बैलेंस शीट की समस्या (Twin & Balance Sheet Problem) की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था।
- ट्विन बैलेंस शीट समस्या भारतीय कंपनियों और भारतीय बैंकों से संबंधित एक अनोखी समस्या है। कॉर्पोरेट क्षेत्र की उच्च शक्ति युक्त बैलेंस शीट की समस्या से गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है।
- अत: केंद्र सरकार द्वारा यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि एनपीए की इस समस्या के समाधान हेतु कॉर्पोरेट बैलेंस शीट के तनाव को कम किये जाने की प्रबल आवश्यकता है।
- हालाँकि, यह विवाद का विषय हो सकता है परन्तु यह स्पष्ट है कि ये समस्याएँ भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निहित अंतर्विरोधों का स्पष्ट वर्णन करती हैं।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम

- यूनिवर्सल बेसिक इनकम से तात्पर्य एक ऐसी 'न्यूनतम आधारभूत आय' से है जो किसी देश की सरकार या उस देश की कोई सार्वजनिक संस्था, देश के नागरिकों या निवासियों को बिना किसी शर्तों के नियमित तौर पर आजीविका हेतु प्रदान करती है।
- इसके अन्तर्गत दो महत्त्वपूर्ण पहलू होते हैं- एक तो यह कि इसमें लाभार्थी इकाई कोई 'परिवार' न होकर 'व्यक्ति' होता है तथा दूसरा यह है कि यदि किसी व्यक्ति के पास आय के अन्य स्रोत भी हैं, तब भी उसे यह आय प्राप्त होगी।

सुझाव जो माने गये

जैम (JAM)?

- जन-धन, आधार और मोबाइल नंबर को संयुक्त रूप से जैम कहा जाता है।
- इसका उद्देश्य सुरक्षित और बिना किसी बाधा के डिजिटल भुगतान तंत्र का विकास करना है।
- इसके अलावा इसमें सभी भारतीयों को और विशेष रूप से गरीबों को डिजिटल मुख्य- धारा का हिस्सा बनाना है।

जन-धन योजना

- इसका शुभारंभ 28 अगस्त, 2014 को किया गया था।
- यह योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना और हर परिवार का एक बैंक खाता खोलना है। योजना के तहत वित्तीय साक्षरता को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के प्रति जागरूकता के लिए देशी भाषाओं में मानक वित्तीय साक्षरता सामग्री भी तैयार की गई है।
- अभी तक 31.80 करोड़ लाभार्थियों ने बैंको में धनराशि जमा की है और लाभार्थियों के खाते में 80,578.30 करोड़ रुपये की धनराशि जमा है।

आधार है क्या?

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण सन 2001 में गठित भारत सरकार का एक प्राधिकरण है जिसका गठन भारत के प्रत्येक नागरिक को एक बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध करवाने की भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत किया गया था।
- केंद्र सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले आधार कार्ड की शुरुआत प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक विशेष पहचान संख्या देने के लिये की गई थी।

- आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा।
- आज जिस स्वरूप में हम इसे देखते हैं उसमें सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले अधिकांश लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये आधार संख्या का होना अनिवार्य कर दिया गया है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

- देश में निवेश की स्थिति में सुधार लाने हेतु इसे अपनाया गया था।
- किसी देश में कारोबारी सुगमता के स्तर को ही तकनीकी भाषा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग के नाम से जाना जाता है।
- दरअसल इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि कौन सा देश कारोबार आरंभ करने की दृष्टि से कितना बेहतर है?
- विश्व बैंक समूह द्वारा बनाया गया यह सूचकांक व्यावहारिक अनुसंधान (Empirical Research) पर आधारित है।
- उच्च रैंकिंग (कम संख्यात्मक मान) यह दिखाता है कि व्यवसाय करने के लिये सरल प्रक्रिया विद्यमान है और सम्पदा के अधिकारों की भी सुरक्षा की गई है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. यूनिवर्सल बेसिक इनकम का विचार किस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में आया था?

(a) 2015-16
(b) 2016-17
(c) 2017-18
(d) 2014-15

2. जैम ट्रिनीटी का विचार किस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में आया था?

(a) 2014-15
(b) 2015-16
(c) 2017-18
(d) 2016-17

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में सार्वजनिक कंपनियों या व्यवसाय करने के संदर्भ में चक्रव्यूह समस्या सिद्धांत का प्रतिपादन नीति आयोग के अरविंद पनगढ़िया ने किया था।
2. दोहरे तुलन पत्र की समस्या से निपटान के लिए बैड बैंक की स्थापना का सुझाव अरविंद पनगढ़िया ने दिया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

1. Economic Survey of which year proposed the idea of Universal Basic Income?

(a) 2015-16
(b) 2016-17
(c) 2017-18
(d) 2014-15

2. Economic Survey of which year proposed the idea of JAM trinity?

(a) 2014-15
(b) 2015-16
(c) 2017-18
(d) 2018-19

3. Consider the following statements-

1. Chakravyuh Challenge concept related to Public Companies or doing business in India was propounded by Arvind Panagaria of NITI Aayog.
2. Establisment of 'Bad Bank' to deal with twin balance sheet problem was proposed by Arvind Pangaria.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

नोट : 22 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(b), 3(b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. अरविंद सुब्रामण्यम के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ''एक ऐसा सलाहकार जो बिना किसी सलाहकार की भूमिका में था।'' इस कथन के संदर्भ में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए।

(250 शब्द)

It is being said about Arvind Subramanian, "an advisor without any role of advisor." In the context of this statement, evaluate the achievements of Chief Economic Advisor Arvind Subramanian.

(250 Words)

GS World
Committed To Excellence

अरविंद सुब्रमण्यम् द्वारा सरकार को दिए गए मुख्य सुझाव

IAS PCS

स्रोत– द हिन्दू आर्टिकल
'23 जून, 2018'

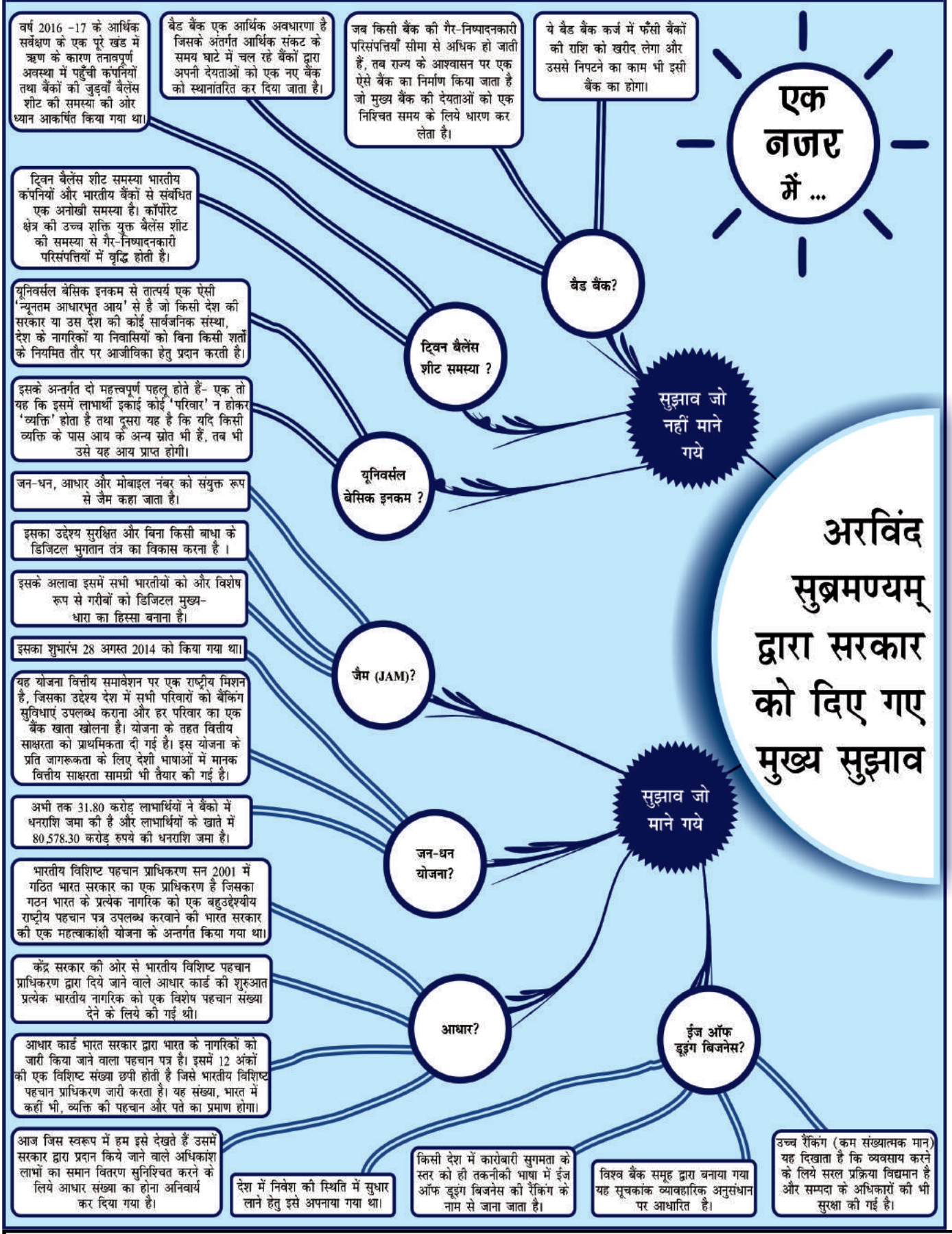

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322

पोषण सुरक्षा और कुपोषण की समस्या

25 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

कुपोषण से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता में कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किये गये खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति के लिए 2017 के विश्व रिपोर्ट में पोषण नीति सुधार प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण संकेत दिए गये हैं। वैश्विक स्तर पर, मूल्यांकन करने वाले पांच एजेंसियों ने पाया कि सदी के अंत के बाद खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण पर प्राप्त लाभ जोखिम में जा सकते हैं।

देखा जाये तो भूख और कुपोषण का सामना करने वाले लोगों की संख्या हमेशा बढ़ती रही है, लेकिन वर्ष 2000 के बाद से इसकी स्थिति में सुधार हुआ था। साथ ही यह वर्ष 2013 से बेहतर हो रहा था लेकिन वर्ष 2016 के बाद यह तेजी से वृद्धि कर रहा है, जो कि काफी चिंताजनक है।

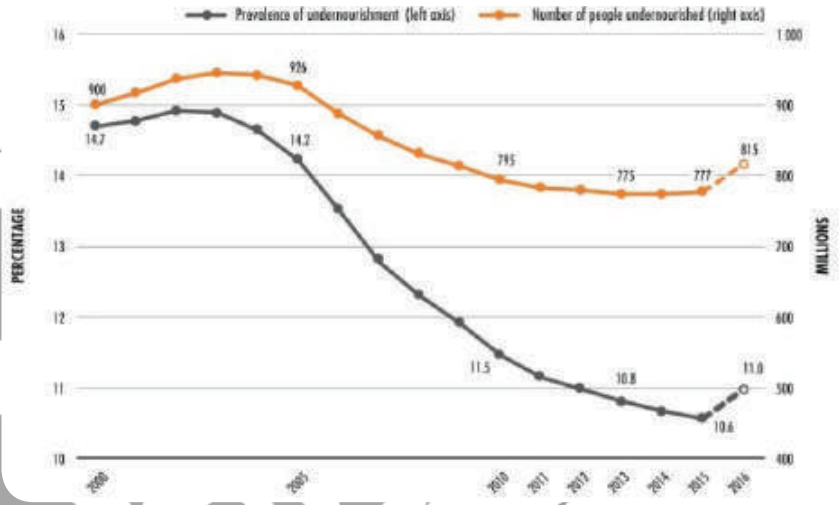

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014 में 775 मिलियन लोग भूख से पीड़ित थे, जिनकी संख्या वर्ष 2016 में बढ़कर 815 मिलियन हो गई थी। यह अपने आप में निराशाजनक है, लेकिन हमारे लिए यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में और जलवायु परिवर्तन के चरम प्रभावों में रहने वाले लोगों के बीच यह समस्या काफी अधिक है।

हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल पोषण दर कम हो रही है, लेकिन अभी भी चार बच्चों में से एक बच्चा स्टंटिंग (आयु के हिसाब से शारीरिक लम्बाई नहीं बढती) से प्रभावित है।

देखा जाये तो ये आंकड़े एक हद तक औसत हैं, लेकिन देशों के बीच और राज्यों के बीच कई असमानताएं है अर्थात कई देशों में ये आंकड़े काफी अधिक है तो कई अन्य देशों में ये आंकड़े सामान्य है।

फिर भी, आर्थिक मंदी का असर, कई हिंसक संघर्ष, कमोडिटी निर्यात राजस्व में गिरावट और सूखे तथा बाढ़ के कारण कृषि की विफलता सभी खाद्य पदार्थों के लिए दुर्लभ और महंगे हैं।

यह सभी देशों के लिए एक झटके के समान है जो भुखमरी को खत्म करने और खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण को प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे है।

खाद्य और अच्छी पोषण तक पहुंच में सुधार के लिए भारत के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मौजूद हैं। साथ ही राज्यों के माध्यम से संचालित महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पोषण योजनाएं भी हैं।

लेकिन चिंता का विषय यह है कि इसके बावजूद, 2014-16 के लिए संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार भारत में 14.5% आबादी कुपोषण के शिकार है और स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 53% महिलाओं में खून की कमी पायी गयी है।

फिर भी केंद्र ने हाल ही में कहा है कि उन्हें पांच साल की अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पर केवल 3,888 शिकायतें मिली हैं। जो यह दर्शाता है कि केंद्र और राज्य सरकारें कुपोषण पर अपनी प्रतिबद्धता के लिए गंभीर नहीं हैं।

राज्य खाद्य आयोग जैसे संस्थान भी इस संबंध में कोई बड़ा अंतर स्थापित करने में नाकाम रहे है। सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंडों को अपनाते हुए पौष्टिक भोजन वितरित करना अभी भी राजनीतिक रूप से अनिवार्य नहीं माना जाता है, साथ ही उद्देश्य रहित नीतियों ने इसे और अधिक गंभीर बना दिया हैं।

घरेलू और पोषण सुरक्षा को आकार देने में राशन द्वारा खेली गई भूमिका पर दो साल पहले जारी एक रिपोर्ट में, नीति आयोग ने पाया कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवार समृद्धों की तुलना में अधिक अनाज और कम दूध का उपभोग करते है। इसलिए चावल और गेहूं को अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों के साथ पूरक करना लक्ष्य होना चाहिए।

* * *

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट : पोषण सुरक्षा पर

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार दुनिया में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- वैश्विक स्तर पर, मूल्यांकन करने वाले पांच एजेंसियों ने पाया कि सदी के अंत तक खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण जोखिम में जा सकते हैं।
- वर्तमान में दुनिया में लगभग 38 मिलियन से अधिक लोग कुपोषित हैं, जिनकी संख्या में वृद्धि देखने को मिली है।
- विश्व बैंक ने कुपोषण की तुलना 'ब्लैक डेथ' नामक उस महामारी से की है जिसने 18 वीं सदी में यूरोप की जसंख्या के एक बड़े हिस्से को निगल लिया था।

वैश्विक स्तर पर

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014 में 775 मिलियन लोग भूख से पीड़ित थे, जिनकी संख्या वर्ष 2016 में बढ़कर 815 मिलियन हो गई थी।
- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में विश्व के 18 देशों में खाद्य असुरक्षा का मुख्य कारक 'संघर्ष' और जलवायु परिवर्तन है।
- हिंसक संघर्षों के चलते वर्ष 2017 में 68.5 मिलियन लोगों को मजबूरन विस्थापित होना पड़ा।
- रिपोर्ट के मुताबिक भुखमरी के शिकार अधिकांश लोग विकासशील देशों में रहते हैं और इनमें से भी सर्वाधिक एशिया और अफ्रीका में रहते हैं।

रिपोर्ट में अन्य तथ्य

- दक्षिण एशिया (जिसमें भारत भी शामिल है) में बाल विवाह की दरों में गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिली है, वर्ष 2000 की तुलना में 2017 में इस दर में 40% की कमी आई है।
- वहीं दूसरी तरफ, इस क्षेत्र के कई देशों में भूजल के स्तर में भी भारी कमी देखने को मिली है जो कि आने वाले समय में भारी जल संकट की स्थिति का संकेत है।
- दुनिया भर के शहरी इलाकों में रहने वाले 10 में से नौ लोग प्रदूषित हवा में साँस ले रहे हैं, दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में यह स्थिति और भी अधिक खराब है।
- इसी प्रकार, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति और स्वच्छता की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, हालाँकि इस अंतर को कम करने की दिशा में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

अर्थव्यवस्था पर असर

- इसके अनुसार केवल वर्ष 2017 में मौसमी आपदाओं के कारण विश्व अर्थव्यवस्था को 300 अरब डॉलर का नुक्सान हुआ।
- हाल के वर्षों में हुआ यह सबसे बड़ा नुकसान है, निरंतर आ रहे चक्रवातों के चलते सबसे अधिक क्षति संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अन्य दूसरे कैरीबियन देशों को हुई है।

भारत की स्थिति

- 2014-16 के लिए संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार भारत में 14.5% आबादी कुपोषण के शिकार है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 53% महिलाओं में खून की कमी पायी गयी है।
- भारत अन्न बर्बाद करने के मामले में यह दुनिया के संपन्न देशों से भी आगे है। आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल उतना अन्न बर्बाद (कुल पैदा किए जाने वाले भोज्य पदार्थ का 40 प्रतिशत) होता है जितना ब्रिटेन उपभोग करता है।

सतत्त विकास सूचकांक

- यह सूचकांक देशों को निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में आ रही मुश्किलों और खामियों को रेखांकित करता है।
- जिससे उन पर ध्यान देकर वे अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकें और लक्ष्यों को 2030 तक पूरा कर सकें।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन स्टंटिंग की उपयुक्त व्याख्या करता है?

(a) आयु के हिसाब में शारीरिक लम्बाई नहीं बढ़ना
(b) आयु के हिसाब से शारीरिक वजन नहीं बढ़ना
(c) कूपोषित बच्चे
(d) इनमें से कोई नहीं

2.. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. नीति आयोग ने पाया है कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवार समृद्धों की तुलना में अधिक अनाज और कम दूध का उपभोग करते है।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का एक उद्देश्य बाह्य और अच्छी पोषण तक पहुँच में सुधार करना भी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 2014-16 के लिए संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार भारत में 14.5% आबादी कुपोषण के शिकार है।
2. स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 13% महिलाओं में खून की कमी पायी गई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

1. Which of the following best explains stunting?

(a) Physical height does not increase with age.
(b) Physical weight does not increase with age.
(c) Malnourished Child
(d) None of these

2. Consider the following statements-

1. NITI Ayog found that below poverty level families use more grain and less milk than prosperous families.
2. A objective of National Food Security Act is to improve the reach of food and good nutrition.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

3. Consider the following statements-

1. According to the estimate of United Nation for 2014-16, 14.5% population is affected by malnutrition in India.
2. According to the data of Ministry of Health, 13% women have been found to be blood deficient at national level.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2(d) Neither 1 nor 2

नोट : 23 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2(a), 3(b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाये गए है। इसके बावजूद कुपोषण में कमी देखने को नहीं मिली हैं।'' इसके लिए आप कौन से कारकों को उत्तरदायी मानते है? इसे दूर करने के लिए नवाचारी उपाए बताएं। चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

"Despite Government has taken many steps to eliminate malnutrition, malnutrition has not reduced." Which factors do you consider responsible for this? Suggest some innovative measures to eliminate this. Dicuss.

(250 Words)

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट : पोषण सुरक्षा पर

IAS PCS

GS WORLD — Committed To Excellence

स्रोत– द हिन्दू आर्टिकल
'25 जून, 2018'

एक नजर में ...

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट : पोषण सुरक्षा पर

चर्चा में क्यों?

- वर्तमान में दुनिया में लगभग 38 मिलियन से अधिक लोग कुपोषित हैं, जिनकी संख्या में वृद्धि देखने को मिली है।
- वैश्विक स्तर पर, मूल्यांकन करने वाले पांच एजेंसियों ने पाया कि सदी के अंत तक खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण जोखिम में जा सकते हैं।
- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार दुनिया में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- विश्व बैंक ने कुपोषण की तुलना 'ब्लैक डेथ' नामक उस महामारी से की है जिसने 18 वीं सदी में यूरोप की जसंख्या के एक बड़े हिस्से को निगल लिया था।

वैश्विक स्तर पर

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014 में 775 मिलियन लोग भूख से पीड़ित थे, जिनकी संख्या वर्ष 2016 में बढ़कर 815 मिलियन हो गई थी।
- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में विश्व के 18 देशों में खाद्य असुरक्षा का मुख्य कारक 'संघर्ष' और जलवायु परिवर्तन है।
- हिंसक संघर्षों के चलते वर्ष 2017 में 68.5 मिलियन लोगों को मजबूरन विस्थापित होना पड़ा।
- रिपोर्ट के मुताबिक भुखमरी के शिकार अधिकांश लोग विकासशील देशों में रहते हैं और इनमें से भी सर्वाधिक एशिया और अफ्रीका में रहते हैं।

भारत की स्थिति

- भारत अन्न बर्बाद करने के मामले में यह दुनिया के संपन्न देशों से भी आगे है। आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल उतना अन्न बर्बाद (कुल पैदा किए जाने वाले भोज्य पदार्थ का 40 प्रतिशत) होता है जितना ब्रिटेन उपभोग करता है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 53% महिलाओं में खून की कमी पायी गयी है।
- 2014-16 के लिए संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार भारत में 14.5% आबादी कुपोषण के शिकार है।

रिपोर्ट में अन्य तथ्य

- दक्षिण एशिया (जिसमें भारत भी शामिल है) में बाल विवाह की दरों में गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिली है, वर्ष 2000 की तुलना में 2017 में इस दर में 40% की कमी आई है।
- वहीं दूसरी तरफ, इस क्षेत्र के कई देशों में भूजल के स्तर में भी भारी कमी देखने को मिली है जो कि आने वाले समय में भारी जल संकट की स्थिति का संकेत है।
- दुनिया भर के शहरी इलाकों में रहने वाले 10 में से नौ लोग प्रदूषित हवा में साँस ले रहे हैं, दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में यह स्थिति और भी अधिक खराब है।
- इसी प्रकार, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति और स्वच्छता की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, हालाँकि इस अंतर को कम करने की दिशा में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

अर्थव्यवस्था पर असर

- हाल के वर्षों में हुआ यह सबसे बड़ा नुकसान है, निरंतर आ रहे चक्रवातों के चलते सबसे अधिक क्षति संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अन्य दूसरे कैरीबियन देशों को हुई है।
- इसके अनुसार केवल वर्ष 2017 में मौसमी आपदाओं के कारण विश्व अर्थव्यवस्था को 300 अरब डॉलर का नुक्सान हुआ।

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक-
आशीष चुंडा (आईएएस अधिकारी, मिजोरम)

''वित्त आयोग को पूर्वोत्तर की चुनौतियों पर भी ध्यान देना चाहिए।''

15 वां वित्त आयोग (एफसी) संघ और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय के वितरण के लिए एक उचित सूत्र तैयार करने की प्रक्रिया में है।

14 वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों, आपदा राहत और राजस्व घाटे अनुदान के अनुदान सहायता के अलावा फॉर्मूला-आधारित कर हस्तांतरण दृष्टिकोण अपनाया था। राज्यों के लिए हस्तांतरण का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया, जिससे राज्यों को काफी सहूलियत प्राप्त हुआ।

हालांकि, यह प्राथमिक शिक्षा, वन क्षेत्र और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुदान के साथ विभाजित हो गया। इसमें किसी प्रकार कि राज्य-विशिष्ट अनुदान की सिफारिश नहीं की गई थी। धारणा यह थी कि हस्तांतरण का एक उच्च स्तर अन्य आवश्यकताओं को कम कर देगा।

इसलिए, हस्तांतरण सूत्र संसाधन हस्तांतरण के दृष्टिकोण के लिए केन्द्रित है। 14 वें वित्त आयोग ने आबादी को 27.5% महत्व दिया (जिसमें 17.5% 1971 की आबादी थी), क्षेत्र को 15%, वनों के लिए 7.5% और 50% आय को। बड़ी आबादी वाले बड़े राज्यों में संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है।

एक अलग इकाई

पूर्वोत्तर राज्य विकास योजना के लिए एक विशिष्ट इकाई का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी एक विशेष श्रेणी की स्थिति है। मानव विकास सूचकांक के निम्न स्तर, कम संसाधन आधार और खराब कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना एक अलग चुनौती उत्पन्न करती है जिसे हस्तांतरण सूत्र में ध्यान में रखा जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10% आवंटन निर्धारित करते हैं। उसी तर्क से, कर की आय का 10% क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जा सकता है। कई केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरू की गई हैं जहां राजस्व व्यय में राज्य हिस्सेदारी का दायित्व बड़ा है।

कभी-कभी असली बोझ (जैसा कि सर्व शिक्षा अभियान के मामले में) अनिवार्य 10% से कहीं अधिक है। कई बार केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बीच में ही बंद कर दिया जाता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन का बोझ राज्यों पर आ जाते है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों जैसे परिसंपत्तियों के रखरखाव में, विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों में भारी व्यय की आवश्यकता होती है। 13वें वित्त आयोग द्वारा सड़क रखरखाव के लिए अनुदान के रूप में 20% आवंटित किये गये थे।

13वें वित्त आयोग ने हस्तांतरण के सूत्र को निर्धारित करते समय पूर्वोत्तर की अलग-अलग स्थिति को स्वीकार किया था। इस आयोग का उद्देश्य या मार्गदर्शक सिद्धांत निष्पक्षता और योग्यता थे। इसने राजकोषीय क्षमता पर 47.5% दिया गया था।

प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) को राजकोषीय क्षमता के लिए प्रॉक्सी के रूप में अपनाया गया था, लेकिन राज्यों को दो समूहों, सामान्य और विशेष श्रेणी के राज्यों में विभाजित किया गया, क्योंकि जीएसडीपी अनुपात में औसत कर पूर्व के लिए अधिक था। इन दोनों समूहों में तीन साल प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की गणना अलग-अलग की गई थी।

2004-05 से केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आधार वर्ष 2011-12 में भी संशोधन में जटिलताओं का निर्माण हुआ। उदाहरण के लिए, अरुणाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में अचानक वृद्धि देखी गयी।

यह मुख्य रूप से इसलिए संभव हुआ था क्योंकि जीएसडीपी का 73% आवंटन पद्धति पर 34% की तुलना में गणना की गई थी। जिसके कारण नगण्य औद्योगिक आधार के साथ खनन, निर्माण, बिजली इत्यादि में सकल मूल्य में बढ़ोतरी देखी गई।

तुलना

पूर्वोत्तर राज्य भी वर्षा के कारण हर साल प्राकृतिक आपदाओं का असमान बोझ उठाता है। 14वें वित्त आयोग ने आपदा राहत अनुदान पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। ऊर्जा और संसाधन संस्थान ने सभी राज्यों की अतिसंवेदनशीलता की एक सूचकांक की गणना की है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आपदा भेद्यता सूचकांक उच्चतम है; अनुदान आवंटित करते समय इसे पहचाना जाना चाहिए।

इस क्षेत्र में वन भी अधिक है और राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े कार्बन सिंक का प्रतिनिधित्व करता है। वनों के लिए 10% आवंटित करने से राज्यों को जंगलों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

15वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों में जीएसटी संग्रह, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रोलआउट इत्यादि में सुधार के आधार पर प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों का भी उल्लेख है। यह निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रेरित करेगा। हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों के प्रदर्शन को अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ तुलना किया जाना चाहिए दूसरे शब्दों में कहें तो सेब की तुलना सेब से ही हो न कि संतरे से।

वित्त आयोग

गठन

- राष्ट्रपति द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे पर अपनी सिफारिशें देने के लिए।
- संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से वर्णित है कि, संविधान के लागू होने के दो वर्ष के अंदर और तत्पश्चात प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या इस समय से पूर्व यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे, तो वह अपने आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा।

कार्य

- भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन।
- अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान/सहायता देना।
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिये आवश्यक कदमों की सिफारिश करना।
- राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश, जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हों।

शक्तियाँ

- आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है।
- प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकारक ज्ञापन भी रखवाना होता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी हो सके।
- वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृति की होती हैं इसे मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है।

14वां वित्त आयोग

- भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी, 2013 को किया गया था।
- इस आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2015 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू हैं।
- इस आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 2019-20 तक के लिए वैध हैं।
- 14वें वित्त आयोग ने 15 दिसंबर, 2014 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी।

15वां वित्त आयोग

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर, 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की।
- 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020-25 तक होगा।
- 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह होंगे।
- श्री सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं पूर्व संसद सदस्य हैं।

विवाद

- 15वें वित्त आयोग के विचार के लिये संदर्भ की शर्तों (terms of reference) से केंद्र की सहकारी संघवाद पर संदेह जताया जा रहा है।
- 1971 की जनगणना की जगह 2011 की जनगणना के आधार पर संसाधनों का आवंटन।
- इससे दक्षिणी राज्यों को नुकसान होने की ज्यादा संभावना है, जो दशकों से अपनी आबादी को नियंत्रित करने के लिये बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
- यह स्थिति अंतर्राज्यीय तनाव पैदा कर रही है जो देश की अखंडता के लिये घातक है।

चुनौतियाँ

- निजी निवेश के असंतुलित वितरण के कारण राज्यों के बीच बढ़ रही असमानता।
- विद्युत-वितरण कंपनियों के आर्थिक पुनरुद्धार के लिये राज्यों की वित्तीय स्थिति पर बोझ।
- सूखा, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन और समुचित कोष उपलब्ध कराना।
- समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने और जलवायु-परिवर्तन से निपटने की सरकारी प्रतिबद्धताओं के लिए एक सुसंगत वित्तीय रणनीति बनाना।

* * *

Chart 3

Estimate of changes if 2011 population was used for allocating funds*

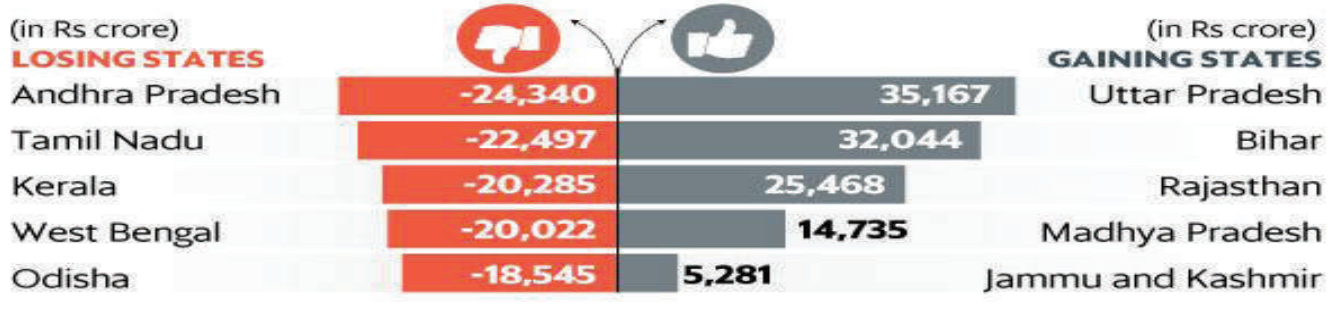

*gains-losses over 5 years, which is the term of a finance commission

Source: Census; finance ministry; and Bhaskar V (2018), *Economic and Political Weekly*

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 14वाँ वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय के वितरण के लिए एक उचित सूत्र तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित था।
2. 15वाँ वित्त आयोग स्थानीय निकायों, आपदा राहत और बाद में हस्तांतरण राजस्व घाटे अनुदान के अनुदान सहायता के अलावा फार्मूला-आधारित कर हस्तांरण दृष्टिकोण अपनाया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 14वें वित्त आयोग ने आबादी को 27.5% महत्व दिया। (जिसमें 17.5% 1971 की आबादी थी)
2. 14वें वित्त आयोग ने वन कवर को 15% महत्व दिया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 14वें वित्त आयोग ने आपदा राहत अनुदान पर विशेष ध्यान दिया था।
2. पूर्वोत्तर राज्य भी वर्षा के कारण हर साल प्राकृतिक आपदाओं का असमान बोझ उठाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements-

1. 14th Finance Commission was related to the process of preparing a suitable method for the distribution of income from net tax among the Union and States.
2. 15th Finance Commission had adopted formula-based tax devolution approach, apart from grants in-aid for local bodies, disaster relief, and post-devolution revenue deficit grants.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. Consider the following statements-

1. 14th Finance Commission accorded 27.5% weight to the population (of which 17.5% was of the 1971 population).
2. 14th Finance Commission accorded 15% weight to the forest cover.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

3. Consider the following statements-

1. 14th Finance Commission paid special attention to disaster relief grants.
2. The Northeast also bears a disproportionate burden of natural disasters every year on account of rainfall.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2(d) Neither 1 nor 2

नोट : 25 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(c), 3(a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा समान आय वितरण के लिए अनेक उपाय किए गए परंतु पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं को सही रूप से दृष्टिगत नहीं किए गए। अत: 15वें वित्त आयोग की भूमिका इस क्षेत्र में आवश्यक हो जाती है। टिप्पणी कीजिए।

(250 शब्द)

Various Finance Commission took many measures for the equal distribution of income but the problems of northest was not reviewed correctly. So, the role of 15th Finance Commission in this region becomes important. Comment.

(250 Words)

वित्त आयोग

स्रोत– द हिन्दू आर्टिकल
'26 जून, 2018'

IAS PCS

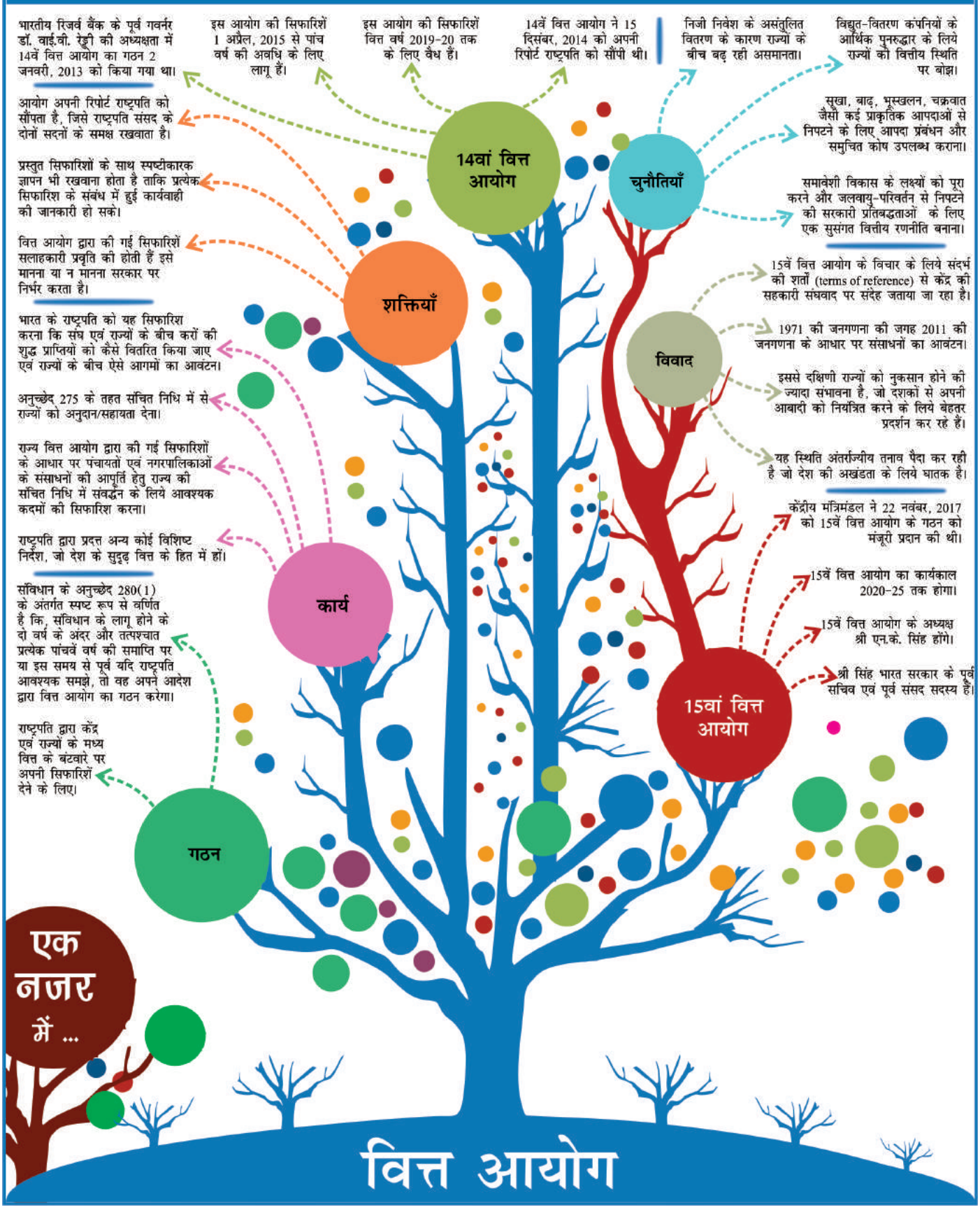

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी, 2013 को किया गया था।

आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है।

प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकारक ज्ञापन भी रखवाना होता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी हो सके।

वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृति की होती हैं इसे मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है।

भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन।

अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान/सहायता देना।

राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिये आवश्यक कदमों की सिफारिश करना।

राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश, जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हों।

संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से वर्णित है कि, संविधान के लागू होने के दो वर्ष के अंदर और तत्पश्चात प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या इस समय से पूर्व यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे, तो वह अपने आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा।

राष्ट्रपति द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे पर अपनी सिफारिशें देने के लिए।

इस आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2015 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू हैं।

इस आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 2019-20 तक के लिए वैध हैं।

14वें वित्त आयोग ने 15 दिसंबर, 2014 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी।

निजी निवेश के असंतुलित वितरण के कारण राज्यों के बीच बढ़ रही असमानता।

विद्युत-वितरण कंपनियों के आर्थिक पुनरुद्धार के लिये राज्यों की वित्तीय स्थिति पर बोझ।

सूखा, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन और समुचित कोष उपलब्ध कराना।

समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने और जलवायु-परिवर्तन से निपटने की सरकारी प्रतिबद्धताओं के लिए एक सुसंगत वित्तीय रणनीति बनाना।

15वें वित्त आयोग के विचार के लिये संदर्भ की शर्तों (terms of reference) से केंद्र की सहकारी संघवाद पर संदेह जताया जा रहा है।

1971 की जनगणना की जगह 2011 की जनगणना के आधार पर संसाधनों का आवंटन।

इससे दक्षिणी राज्यों को नुकसान होने की ज्यादा संभावना है, जो दशकों से अपनी आबादी को नियंत्रित करने के लिये बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

यह स्थिति अंतर्राज्यीय तनाव पैदा कर रही है जो देश की अखंडता के लिये घातक है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर, 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की थी।

15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020-25 तक होगा।

15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह होंगे।

श्री सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं पूर्व संसद सदस्य हैं।

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322

पानी संकट से निपटने के लिए कृषि का उपयोग

27 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

लाइव मिंट

''सिंचाई के वैकल्पिक तरीकों में निवेश के साथ जल-कुशल फसलों में अनुसंधान और विकास एक जरूरी पहल साबित हो सकता है।''

हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किये गये 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक' रिपोर्ट में भारत में जल संकट के खतरे को रेखांकित किया गया है। जिसमें बताया गया है कि इस समय देश में 60 करोड़ लोग जल समस्या से जूझ रहे हैं और स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण हर साल करीब दो लाख लोगों की मौत हो जाती है।

ध्यान देने पर हम पाएंगे कि यहाँ समस्या के कई आयाम हैं। जिसमें सबसे प्रमुख कृषि है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह भारत के ताजे पानी के संसाधनों का लगभग 83% उपभोग करता है। इस संदर्भ में, एक और हालिया रिपोर्ट- नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (Icrier's) वाटर प्रोडक्टिविटी मैचिंग ऑफ मेजर क्रॉप्स- महत्वपूर्ण सबक है।

देखा जाये तो इस समस्या की जड़ें, हरित क्रांति में निहित हैं। वर्ष 1961 तक, भारत की कृषि उपज समस्या अकाल को बुलावा देने के लिए प्रयाप्त थी। नॉर्मन बोरलाग, वीएस बांदा जैसे पर्यावरणविदों ने क्रांति के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने कि कोशिश की थी।

लेकिन इसमें किसानों के लिए उच्च सब्सिडी वाली बिजली, पानी और उर्वरक भी शामिल थे, जिसने देश में फसल पैटर्न के गलत संरेखण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अगर हम पंजाब-हरियाणा और महाराष्ट्र में धान और गन्ना जैसे अधिक पानी के खपत वाले फसलों के उत्पादन पर विचार करें, तो हम पाएंगे कि इन फसलों के फसल पैटर्न और इन फसलों से संबंधित राज्यों में जल संसाधन उपलब्धता के बीच एक गंभीर विसंगति व्याप्त है।

सरकारी प्रोत्साहन, जैसे कि चीनी मिल बिल्ड-अप, जिसे मराठवाड़ा में राजनेताओं द्वारा अन्य क्षेत्रों में मिलों द्वारा बनाई गई समृद्धि को दोहराने के लिए बढ़ावा दिया गया, जिसके कारण खरीद के माध्यम से इन फसलों के लिए आश्वासित बाजारों का निर्माण हुआ और इन क्षेत्रों में पानी की कमी होने के बावजूद किसानों को इन फसलों की खेती करने के लिए प्रेरित किया।

पर्यावरणविदों ने अक्सर यह तर्क दिया है कि मराठवाड़ा में गन्ना की खेती सूखे का पुराना कारण है। नाबार्ड-इस्किर रिपोर्ट भी ऐसी उच्च जल-निर्भर फसलों को अन्य, अपेक्षाकृत पानी-प्रचुर मात्रा में क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का तर्क देती है।

परिवहन और जल संसाधन मंत्री, नितिन गडकरी, पानी की कमी से छुटकारा पाने के लिए फसल पैटर्न बदलने की व्यवहार्यता से असहमत हैं। वह राजनीतिक रूप से समझ में आता है। ऐसा कोई भी व्यवधान राजनीतिक लागत पर आ जाएगा।

लेकिन यह आर्थिक रूप से है और उस मामले के लिए, अस्तित्व में महत्वपूर्ण है। यदि राज्य नीतियां आगे बढ़ते हुए इसके लिए पहल करती हैं, तो यह पानी संकट हेतु एक स्थायी समाधान के लिए सही प्रोत्साहन संरचना खोजने के लिए सरकार को मजबूर करेगा।

मिसाल के तौर पर, उच्च सिंचाई जल उत्पादकता वाले क्षेत्रों में झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे पानी की गहन उपयोग वाले फसलों के लिए अनुकूल है, खराब बिजली की आपूर्ति और कुछ अन्य समस्याओं के कारण जल-गहन फसलों की खेती को गैर-लाभकारी बना देती हैं। इस तरह के गलत संरेखण को सही करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे।

इस दिशा में एक निर्णायक कदम हरित क्रांति के प्राथमिक पाठ को दोबारा लागू करेगा: जिसमें विज्ञान मदद कर सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नेतृत्व में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के कृषि अनुसंधान संस्थानों ने 2016-17 के दौरान 313 नई फसल किस्मों को रिकॉर्ड किया था। इन फसलों में इनपुट के उपयोग को कम करने से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई।

इस तरह का विकास राज्यों को उनकी आय को बाधित किए बिना एक अधिक टिकाऊ फसल पैटर्न को अपनाने में मदद कर सकता है। और जब अनुसंधान और विकास की बात आती है तो यहां सुधार की गुंजाइश और बढ़ जाती है। भारत अभी भी अपने एशियाई पड़ोसियों से कृषि जीनोमिक्स में पीछे है।

हालांकि, क्रॉपिंग पैटर्न को समायोजित करना केवल एक आधा काम है। जहाँ 'अधिक फसल प्रति ड्रॉप' उद्देश्य को पूरा करने के लिए सिंचाई पैटर्न को समायोजित करने में निवेश करना भी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक जल प्रणालियों में हाइड्रोलॉजिकल कमी होने पर उनकी क्षमता कम हो जाती है, जिससे प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है।

नदियों और भूजल में ऐसी जल प्रबंधन चुनौतियों से निपटने के लिए, ड्रिप सिंचाई जैसी वैकल्पिक जल तकनीकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यहां कुछ प्रगति हुई है; उदाहरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गन्ना की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई अनिवार्य कर दी है। लेकिन इसे और बड़े स्तर किया जाना चाहिए।

यहां राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की भी भूमिका बड़ी साबित होगी। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्यों पर विचार करें तो हम पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कावेरी जल-साझाकरण के फैसले के चलते वे फिलीपींस और वियतनाम में व्यापक रूप से प्रचलित तकनीक जैसे वैकल्पिक गीले और सुखाने की विधि (एडब्ल्यूडी) जैसी सिंचाई तकनीकों का सुझाव दे रहे हैं।

यह तकनीक किसानों को पैदावार में गिरावट हुए बिना लगभग 30% की चावल के उत्पादन के लिए प्रत्येक किलोग्राम चावल के लिए 5,000 लीटर पानी बचाने में सक्षम बनाता है।

कृषि को लाभकारी के साथ-साथ पानी के अनुकूल बनाने का कार्य काफी महत्वपूर्ण हैं। 2022 तक दोगुना कृषि आय दूरगामी है। लेकिन यदि वर्तमान सरकार और उसके उत्तराधिकारी कम से कम उस वादे की भावना को ध्यान में रखते हैं, तो बहु-प्रतिरोधी, जल-कुशल और उच्च उपज वाली फसलों में अनुसंधान और विकास सिंचाई के वैकल्पिक तरीकों में निवेश के साथ आवश्यक है।

* * *

GS World टीम...

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक

परिचय

- हाल ही में नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंध रिपोर्ट जारी की। जिसके अनुसार भारत अपने इतिहास में सबसे गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। जल के उचित प्रबंधन और उपयोग के अभाव में जलसंकट आने वाले वर्षों में और गहराएगा।
- इस समय देश में 60 करोड़ लोग जल समस्या से जूझ रहे हैं वहीं स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण हर साल करीब दो लाख लोगों की मौत हो जाती है।
- रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक देश में जल की मांग आपूर्ति के मुकाबले दोगुनी होने और देश के जीडीपी में 6% की कमी होने का अनुमान हैद्य इससे करोड़ों लोगों के सामने जल संकट की स्थिति उत्पन्न होगी।
- आयोग के मुताबिक, भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट की स्थिति का सामना कर रहा है और लाखों लोगों की आजीविका खतरे में है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे बड़ी समस्या जल प्रबंधन की है। इस रिपोर्ट ने प्रतिबिंबित किया है कि जिन राज्यों ने पानी को सही तरीके से प्रबंधित किया है, उन्होंने उच्च कृषि वृद्धि दर प्रदर्शित की है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे जल संसाधनों और उनके उपयोग के लिये हमारी समझ को बढ़ाने और ऐसी जगहों पर हस्तक्षेप करने की तत्काल आवश्यकता है जहाँ पानी को स्वच्छ और टिकाऊ बनाया जा सके।
- आयोग ने भविष्य में इन रैंकों को वार्षिक आधार पर प्रकाशित करने का प्रस्ताव दिया है।
- सूचकांक में 28 विभिन्न संकेतकों के साथ नौ व्यापक क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें भू-जल के विभिन्न पहलुओं, जल निकायों की बहाली, सिंचाई, कृषि प्रथाओं, पेयजल, नीति और शासन शामिल हैं।
- विश्लेषण के प्रयोजन के लिये विभिन्न जलविद्युत स्थितियों के कारण राज्यों को दो विशेष समूहों - 'उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यो' तथा श्अन्य राज्योंश में बाँटा गया था।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सूचकांक राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के लिये उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा, जिससे उन्हें जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिये उपयुक्त रणनीति तैयार और कार्यान्वित करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

राज्यों की स्थिति?

- जल प्रबंधन के मानकों पर राज्यवार प्रदर्शन रिपोर्ट, 2016-2017 के संदर्भ में गुजरात पहले स्थान पर है, इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं।
- सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और झारखंड हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जहाँ दूषित पानी के शोधन की क्षमता विकसित ही नहीं की गई है। भू-जल के इस्तेमाल का नियमन भी इन राज्यों में नहीं है। वहीं, ग्रामीण बसावट में साफ पेयजल की आपूर्ति लगभग नगण्य है।
- मध्य प्रदेश में 22-23 फीसदी की वृद्धि दर है, जबकि गुजरात में 18 फीसदी की वृद्धि दर है। इसका मतलब है कि ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्थाओं ने बेहतर विकास किया है, साथ ही प्रवास को कम किया है और शहरी आधारभूत संरचना पर दबाव कम किया है।

- सूचकांक (2015-16 स्तर से अधिक) में वृद्धिशील परिवर्तन के मामले में, राजस्थान अन्य सामान्य राज्यों में पहले स्थान पर है, जबकि उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है।

देश में प्रस्तावित जल की मांग?

- जल संसाधन मंत्रालय के एकीकृत जल संसाधन विकास के लिये राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च उपयोग परिदृश्य में 2050 तक पानी की आवश्यकता 1,180 BCM होने की संभावना है, जबकि वर्तमान में उपलब्धता मात्र 695 BCM है।
- देश में प्रस्तावित जल की मांग 1137 BCM की तुलना में अभी भी काफी कम है।

क्यों पड़ी आवश्यकता?

- जल संसाधनों की सीमित उपलब्धता और जल की बढ़ती मांगों को देखते हुए जल संसाधनों का सतत प्रबंधन का महत्व काफी बढ़ गया है।
- इन सभी कारकों पर ध्यान देते हुए, नीति आयोग ने राज्यों से प्रतिक्रिया मांगने और प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ परामर्श सहित विस्तृत अभ्यास करने के बाद समग्र जल प्रबंधन सूचकांक लॉन्च करने के लिए अंतिम रूप दिया।

स्व जल परियोजना

- स्व जल परियोजना सतत् पेयजल आपूर्ति के लिये समुदाय के स्वाधमित्वन वाला पेयजल कार्यक्रम है।
- इस योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत का 90 प्रतिशत खर्च सरकार उठाएगी और शेष 10 प्रतिशत समुदाय के योगदान से व्ययय किया जाएगा।
- परियोजना के परिचालन और प्रबंधन की जिम्मोदारी स्थानीय ग्रामीणों की होगी।
- योजना के अनुसार गाँवों में चार जलाशयों का निर्माण किया जाएगा और लगभग 300 आवासों में नल के कनेक्शकन उपलब्धं कराए जाएंगे।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य ग्रामीण पेयजल एवं स्वजच्छ ता के स्तभर में सुधार करते हुए स्वास्थ्य तथा स्वच्छ के स्थायी लाभों द्वारा ग्रामीणों के जीवन स्तवर में सुधार करना है।
- परियोजना का दूसरा मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पेयजल एवं स्व्च्छता क्षेत्र में दार्घकालीन स्थानीय को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार को उपयुक्त नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करना है।
- इसके तहत गाँव के हर घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने के साथ-साथ उसके रखरखाव व प्रबंधन के खर्च को ग्रामवासियों द्वारा वहन करने योग्य बनाना अर्थात् इस संबंध में उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

तकनीकी रूप से

- पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल हेतु पाइपलाइन, हैंडपम्पस अथवा वर्षा के पानी को इकट्ठा कर पेयजल आपूर्ति के विकल्प तैयार किये जाते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में नलकूप, हैंडपम्प अथवा कूपों के माध्यमम से स्वच्छ जल की आपूर्ति के विकल्प तैयार किये जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता योजनाओं के डिजाइनों का चयन समुदाय द्वारा सहयोगी संस्थाओं की सहायता से किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट-2018

- संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट-2018 के अनुसार दुनियाभर में 3.6 अरब लोग अर्थात आधी वैश्विक आबादी को हर साल कम-से-कम एक महीने पानी की किल्लत झेलनी पड़ती है।
- यह संख्या 2050 तक 5.7 अरब तक पहुँच सकती है।
- पिछली एक शताब्दी में पानी की खपत छह गुना बढ़ी है और वर्तमान में पानी के इस्तेमाल में प्रतिवर्ष लगभग एक प्रतिशत का इजाफा हो जाता है।

सुझाव

- बांध बनाने की अपेक्षा पानी के बेहतर प्रबंधन के लिये प्रकृति आधारिक उपायों, जैसे-जल संग्रहण, भूमि की नमी बढ़ाने, झीलों और भूजल स्तर बढ़ाने संबंधी प्रयासों पर जोर देना चाहिये।
- चीन के स्पंज सिटी प्रोजेक्ट, भारत में पुनः वनीकरण और यूक्रेन की कृत्रिम झीलों का उदाहरण दिया गया है।
- अमेरिका द्वारा न्यूयॉर्क शहर पानी की समस्या से निपटने के लिए जलाशय की रक्षा, वन संरक्षण और वातावरण के अनुकूल खेती का उदहारण।

चिंता

- पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पानी के संकट के कारण प्रमुखतः मध्य एशिया और अफ्रीका के देशों से विस्थापन करने वालों की तादाद बढ़ी है।
- विस्थापित परिवारों ने यूरोप के जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, पुर्तगाल, इंग्लैण्ड फ्राँस, नीदरलैण्ड, डेनमार्क, इटली और स्विटजरलैंड के नगरों की ओर रुख किया है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. नीति आयोग द्वारा जारी किए गए समग्र जल प्रबंधन सूंचकांक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस समय देश में 60 करोड़ लोग जल समस्या से जूझ रहें हैं।
2. स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण हर साल करीब दो लाख लोगों की मौत हो जाती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कृषि, भारत के ताजे पानी के संसाधनों का लगभग 83% उपभोग करता है।
2. मराठवाड़ा क्षेत्र में गन्ना की खेती सूखे का पूराना कारण है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. प्राकृतिक जल प्रणालियों में हाइड्रोलॉजिकल कमी होने पर उनकी क्षमता कम हो जाती है, जिससे प्रदूषण की उच्च सांद्रता होती है।
2. गुजरात सरकार ने गन्ना की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई अनिवार्य कर दी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements regarding the 'Composite water management index' report relased by NITI Aayog-

1. 60 crore people of the country is suffering from water crisis at present.
2. Approx 2 Lakh people die every year due to inadequate access of safe water.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. Consider the following statements-

1. Agriculture uses approx 83% of fresh water resource of India.
2. Cultivation of sugarcane in marathwada is chronic reason.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

3. Consider the following statements-

1. Natural water systems lose their dilution capacity on becoming hydrologically deficient, leading to a higher concentration of pollutant.
2. Gujarat government has made drip irrigation mandatory for sugercane cultivation.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

नोट : 26 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(c), 3(a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''भारतीय कृषि अपनी सफलताओं से ही ग्रस्त है।'' इस कथन के संदर्भ में पानी संकट से निपटने के लिए आप कौन से उपाए सुझाएंगे?

(250 शब्द)

"Indian agriculture is suffering from its success." In the context of this statement, what measures would you suggest to deal with water crisis.

(250 Words)

GS World
Committed to Excellence

जल संकट

स्रोत– लाईव मिंट आर्टिकल

'27 जून, 2018'

IAS PCS

एक नजर में ...

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक

परिचय

- इस समय देश में 60 करोड़ लोग जल समस्या से जूझ रहे हैंं वहीं स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण हर साल करीब दो लाख लोगों की मौत हो जाती है।
- 2030 तक देश में जल की मांग आपूर्ति के मुकाबले दोगुनी होने और देश के जीडीपी में 6% की कमी होने का अनुमान है।

राज्यों की स्थिति?

- सूचकांक (2015-16 स्तर से अधिक) में वृद्धिशील परिवर्तन के मामले में, राजस्थान अन्य सामान्य राज्यों में पहले स्थान पर है, जबकि उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है।
- मध्य प्रदेश में 22-23 फीसदी की वृद्धि दर है, जबकि गुजरात में 18 फीसदी की वृद्धि दर है।
- सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और झारखंड हैं।
- जल प्रबंधन के मानकों पर राज्यवार प्रदर्शन रिपोर्ट, 2016-2017 के संदर्भ में गुजरात पहले स्थान पर है, इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं।

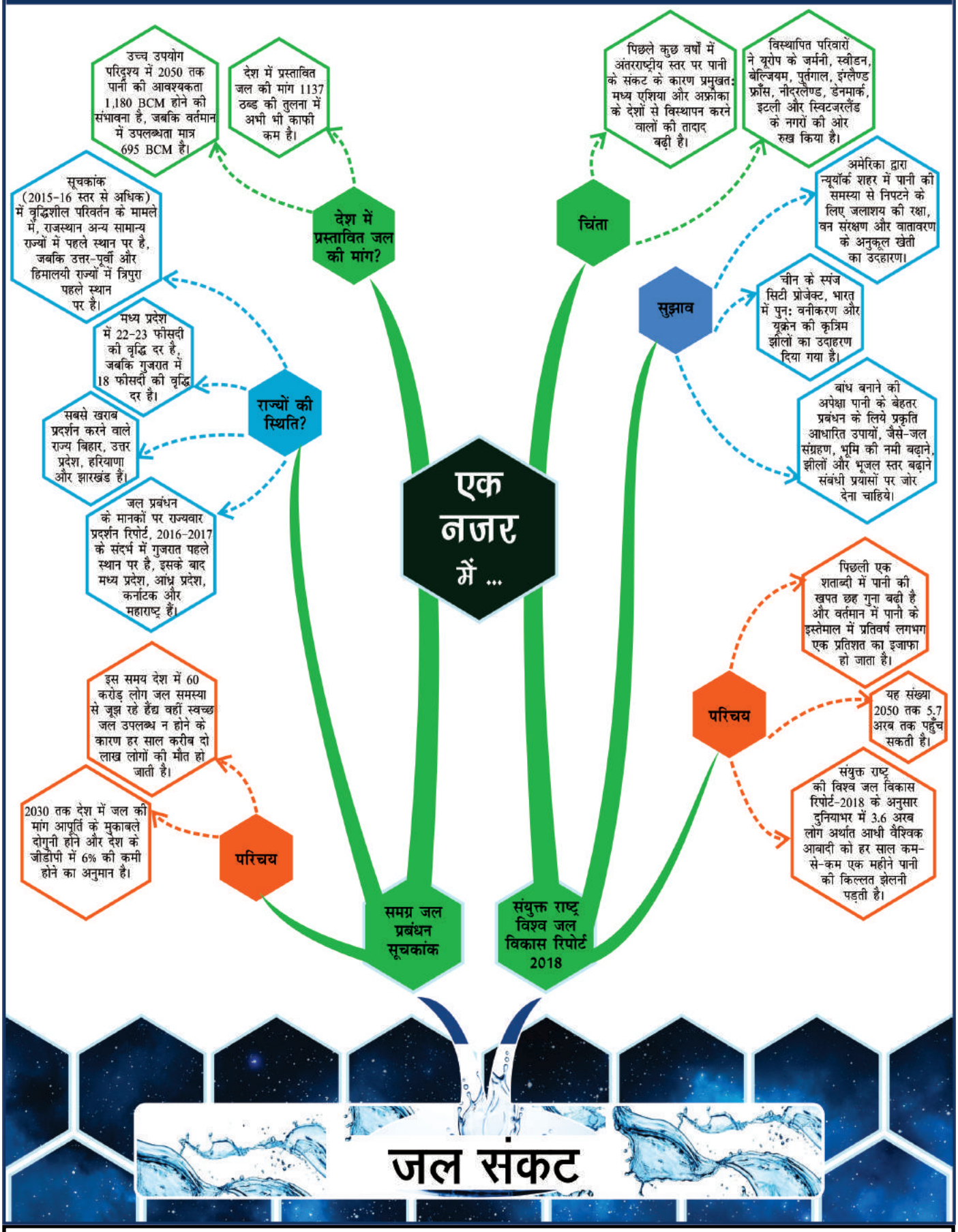

देश में प्रस्तावित जल की मांग?

- उच्च उपयोग परिदृश्य में 2050 तक पानी की आवश्यकता 1,180 BCM होने की संभावना है, जबकि वर्तमान में उपलब्धता मात्र 695 BCM है।
- देश में प्रस्तावित जल की मांग 1137 ठब्ड की तुलना में अभी भी काफी कम है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2018

चिंता

- पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पानी के संकट के कारण प्रमुखत: मध्य एशिया और अफ्रीका के देशों से विस्थापन करने वालों की तादाद बढ़ी है।
- विस्थापित परिवारों ने यूरोप के जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, पुर्तगाल, इंग्लैण्ड फ्राँस, नीदरलैण्ड, डेनमार्क, इटली और स्विटजरलैंड के नगरों की ओर रुख किया है।

सुझाव

- अमेरिका द्वारा न्यूयॉर्क शहर में पानी की समस्या से निपटने के लिए जलाशय की रक्षा, वन संरक्षण और वातावरण के अनुकूल खेती का उदहारण।
- चीन के स्पंज सिटी प्रोजेक्ट, भारत में पुन: वनीकरण और यूक्रेन की कृत्रिम झीलों का उदाहरण दिया गया है।
- बांध बनाने की अपेक्षा पानी के बेहतर प्रबंधन के लिये प्रकृति आधारित उपायों, जैसे-जल संग्रहण, भूमि की नमी बढ़ाने, झीलों और भूजल स्तर बढ़ाने संबंधी प्रयासों पर जोर देना चाहिये।

परिचय

- पिछली एक शताब्दी में पानी की खपत छह गुना बढ़ी है और वर्तमान में पानी के इस्तेमाल में प्रतिवर्ष लगभग एक प्रतिशत का इजाफा हो जाता है।
- यह संख्या 2050 तक 5.7 अरब तक पहुँच सकती है।
- संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट-2018 के अनुसार दुनियाभर में 3.6 अरब लोग अर्थात आधी वैश्विक आबादी को हर साल कम-से-कम एक महीने पानी की किल्लत झेलनी पड़ती है।

जल संकट

वास्तविकता की जाँच : एनपीए पर

28 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

''भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि एनपीए की समस्या और अधिक बढ़ने वाली है। इसलिए नए उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।''

भारतीय बैंकों के लिए बड़ी समस्या आने वाली है। मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में चेतावनी दी गयी है कि देश में वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (जीएनपीए) मार्च 2018 में 11.6% से बढ़कर मार्च 201 9 में 12.2% हो सकती है, जो लगभग दो दशकों में बैड लोन का उच्चतम स्तर होगा। इससे एनपीए संकट से बाहर निकलने की उम्मीद और कम हो गयी है जिससे बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से प्रभावित होगा और अर्थव्यवस्था में क्रेडिट वृद्धि में समस्या आएगी।

तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे के तहत बैंकों का जीएनपीए, मार्च 2019 में इस मार्च में 21% से 22.3% तक बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि इससे घाटे के आकार में और वृद्धि होगी, जिससे बैंकों की पूंजी स्थिति प्रभावित होगी।

वास्तव में, बैंकिंग प्रणाली के जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात की पूंजी मार्च 2018 में 13.5% से घटकर मार्च 2019 में 12.8% हो जाने की उम्मीद की गयी है।

बैंकों की बुरी स्थिति अर्थव्यवस्था के विपरीत है, ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली तिमाही के दौरान 7.7% की स्वस्थ वृद्धि दर देखी गयी थी, जो यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था रिकवरी के मार्ग पर आगे बढ़ रही है।

अमेरिका का विस्तारकारी राजकोषीय नीति के साथ-साथ विकसित बाजारों में चलनिधि स्थिति के कड़े होने तथा मजबूत अमेरिकी डॉलर ने उभरती बाजार मुद्राओं, बॉन्डों और पूंजी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। पण्य-वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना, उभरती भौगोलिक-राजनीतिक गतिविधियां और बढ़ती संरक्षणवादी भावनाएं संवृद्धित जोखिम हैं।

कमोडिटी कीमतों में वृद्धि के रूप में एक और समस्या सामने मौजूद है जो रुपये और देश के वित्तीय और चालू खाता घाटे के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकता है। ये सभी कारक आर्थिक मंदी के जोखिम को बढ़ाने और पूरे बैंकिंग सिस्टम पर दबाव डालने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त हैं।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का एक प्रमुख आकर्षण यह है कि केंद्रीय बैंक के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) अपने निजी क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में धोखाधड़ी से कहीं अधिक प्रभावित हैं। इस वर्ष की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में पाए गए सबसे बड़े घोटाले के प्रकाश में यह तथ्य महत्वपूर्ण दृष्टिगत होता है।

आरबीआई अनुसार, 85% से ज्यादा धोखाधड़ी पीएसबी से जुड़ी हो सकती है, भले ही कुल क्रेडिट का हिस्सा केवल 65% ही हो। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सामना किए जाने वाले गंभीर कॉर्पोरेट मुद्दों से संबंधित है, जिसने बड़ी संख्या में एनपीए संकट को बढ़ावा दिया है।

रिपोर्ट के अपने प्रस्ताव में, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने कहा है कि पीएसबी में शासन सुधार, उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करने और उनके परिचालन जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं।

वर्तमान में, आरबीआई, बैंकों की पूंजी स्थिति में सुधार के लिए सरकार की पुनर्पूंजीकरण योजना और दिवाला और दिवालियापन संहिता के कार्यान्वयन से अपेक्षा करता है। ये सुधार निश्चित रूप से मदद कर सकते हैं।

लेकिन जब तक कि सरकार परिचालन स्वायत्तता के पहलुओं और पीएसबी के स्वामित्व में कठोर परिवर्तन करने के लिए साहस इकट्ठा नहीं कर लेती, तब तक भविष्य में इस तरह के संकटों को रोकने में सरकार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

* * *

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में आरबीआई द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial stability report) जारी की गई है।
- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) एक अर्द्धवार्षिक प्रकाशन है जो भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- आरबीआई की ताजा रिपोर्ट को देखें तो ऐसा लगता है कि अगली 2-3 तिमाही यानी छह से नौ महीने का समय बैंकिंग सेक्टर के लिए और भी बुरा वक्त साबित हो सकता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, अगर अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूदा समय के अनुसार रहती है, तो मार्च 2019 तक एनपीए 12.2 फीसदी पर पहुंच सकता है। यह पिछले वित्त वर्ष के 11.6% से ज्यादा होगा।
- यदि आर्थिक स्थिति और खराब होती है तो यह आंकड़ा मार्च 2019 तक 13.3 फीसदी के पार भी जा सकता है। आरबीआई ने कहा है कि सरकारी बैंकों के लिए यह अनुपात 17.3% का आंकड़ा छू सकता है।
- यह भी कहा है कि इनके सकल गैर-निष्पादित संपत्तियां (जीएनपीए) अनुपात बुरे स्तर पर पहुंच कर मार्च 2018 के 21 प्रतिशत से मौजूदा वित्त वर्ष के अंततक 22.3 प्रतिशत पर पहुंच सकता है।
- बैंकिंग प्रणाली के जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात की पूंजी मार्च 2018 में 13.5% से घटकर मार्च 2019 में 12.8% हो जाने की उम्मीद है।
- आरबीआई के अनुसार 85% से अधिक धोखाधड़ी पीएसबी से जुड़ी हो सकती है, भले ही कुल क्रेडिट का हिस्सा केवल 65% है।

बैंकिंग स्थिरता सूचकांक

- बैंकिंग स्थिरता सूचकांक, बैंकों के लिये परिसंपत्ति गुणवत्ता का एक सूचक है।
- यह इंडेक्स उन परिस्थितियों में आगे संकटग्रस्त होने वाले बैंकों की संख्या प्रदर्शित करता है जब कोई एक बैंक संकटग्रस्त हो चुका होता है।
- यह सूचकांक जितना ही बढ़ता जाता है, बैंकों के संकटग्रस्त होने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए)

- वित्तीय संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण है जिसका सीधा सम्बन्ध कर्ज/ ऋण/ लोन न चुकाने से होता है।
- जब ऋण लेने वाला व्यक्ति 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसको दिया गया ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति माना जाता है।
- एनपीए की मार के चलते शेयर बाजार पर लिस्टेड सभी बैंकों का बैड लोन 10 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है।
- केवल दो पीएसबी - विजया और इंडियन बैंक - वित्त वर्ष 18 की चौथी तिमाही में लाभ की सूचना दी। शेष 19 को 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की हानि हुई है।
- जिसमें 13,417 करोड़ रुपये के साथ सबसे ज्यादा हानि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को हुई है, इसके बाद 7,718 करोड़ रुपये के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) का स्थान आता है।

सरकार द्वारा किये उपाय

- बैंकों का रीकैपिटलाइजेशन
- बैंकरप्सी कोड
- इंद्रधनुष योजना
- पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर)

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. RBI के अनुसार निम्न में से कौन-कौन सी योजनाएँ NPA की समस्या को हल कर सकता है/हैं? निम्न कथनों पर विचार कीजिए-

1. बैंकों की पूँजी स्थिति में सुधार के लिए सरकार की पुनपूँजीकरण योजना।
2. दिवाला और दिवालियापन संहिता

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है?

(a) भारतीय रिजर्व बैंक
(b) वित्त मंत्रालय
(c) वाणिज्यि एवं उद्योग मंत्रालय
(d) विश्व आर्थिक मंच

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जीएनपीए बढ़ने पर बैंकों के घाटे के आकार में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी।
2. जीएनपीए बढ़ने से आर्थिक मंदी का जोखिम बढ़ सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

नोट : 27 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(c), 3(a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल के दिनों में NPA की समस्या बढ़ने के परिणामों का उल्लेख करते हुए इस समस्या से निपटने हेतु क्या आपेक्षित कदम उठाए जाने चाहिए? (250 शब्द)

Explain the results of recently increasing problem of NPA. Along with it, suggest measures which should be taken to tackle this. (250 Words)

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

स्रोत– द हिन्दू आर्टिकल
'28 जून, 2018'

IAS PCS

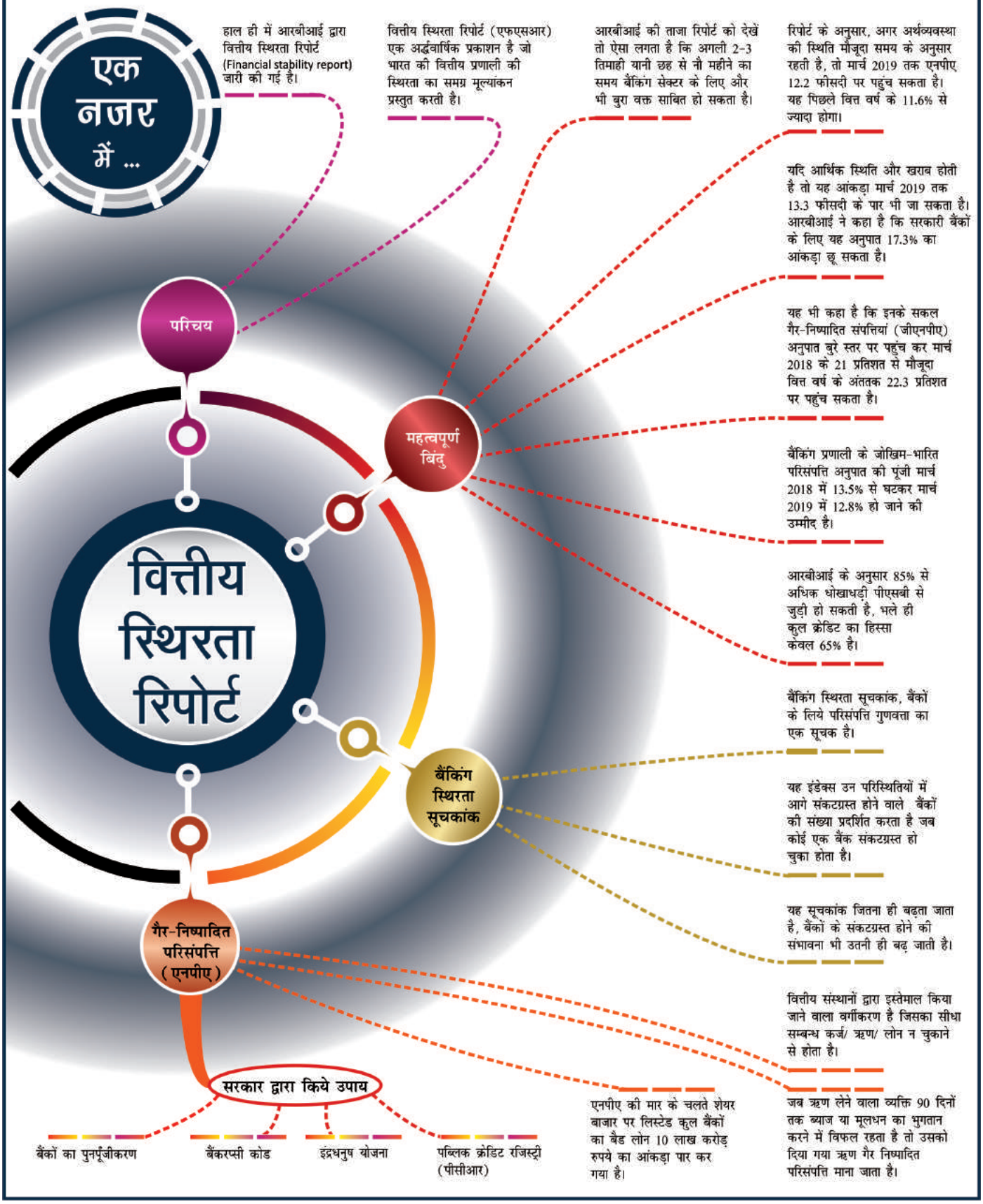

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322

भारत-अमेरिका संबंधों में अशांति का प्रबंधन

29 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

लाइव मिंट

''भारत को रूस के साथ एस-400 सौदे पर दृढ़ रहना चाहिए, लेकिन ईरान के साथ अपने संबंधों में भारत को अधिक विकल्पों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।''

यह भारत-यूएस रणनीतिक साझेदारी के लिए एक मुश्किल समय है। मंगलवार को, अमेरिका में एक वरिष्ठ राज्य विभाग के अधिकारी ने भारत सहित सभी देशों से ईरान से तेल आयात को 4 नवंबर तक शून्य करने के लिए कहा। अगर भारत ऐसा करने में विफल रहता है, तो इसके कंपनियों को अमेरिकी फरमान के किसी भी अन्य उल्लंघनकर्ता के समान ही प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा।

बुधवार को, संयुक्त राष्ट्र के अमेरिकी राजदूत, निकी हैली ने अनिवार्य रूप से नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों को यही संदेश दिया, जो दोनों देशों के बीच अधिक संभावित विवाद निर्माण की पृष्ठभूमि को दर्शाता है।

भारत रूस से S-400 सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल प्रणालियों को खरीदने की प्रक्रिया में है और इस मोर्चे पर अमेरिकी संसद से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।

समस्या इस बात से बढ़ गई है कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस ऐक्ट (CAATSA) के दायरे में एस-400 सिस्टम भी तकनीकी रूप से अत्यधिक सक्षम उपकरणों के तौर पर आ गया है। इसे तो खासतौर पर टारगेट किया जा सकता है।

इन मुद्दों के अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी सामानों पर भारत द्वारा लगाए गए टैरिफ से भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। 6 जुलाई को दोनों देशों के बाहरी मामलों और रक्षा मंत्रियों के बीच 2 + 2 वार्ता के दौरान इस तरह के कई मुद्दों का समाधान किया जाना था, लेकिन अमेरिका ने इस बैठक को स्थगित करने का फैसला लिया।

द्विपक्षीय संबंध निश्चित रूप से कुछ अशांति का सामना कर रहा है, लेकिन यह खतम होने के कगार पर नहीं है। अच्छे संरचनात्मक कारक हैं जो सुनिश्चित करेंगे कि भारत-अमेरिका संबंध एक स्वस्थ स्थिति में कयाम रहे। फिर भी, भारत को वर्तमान स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाने की जरूरत है।

शुरुआत के लिए, भारत को ईरान से तेल आयात करने के कारण सामना करने वाली प्रतिबंधों और रूस के साथ रक्षा भागीदारी के परिणाम के बीच स्पष्ट अंतर बनाने की जरूरत है। हालांकि रूस की तुलना में भारत की स्थिति ईरान पर ज्यादा कमजोर है।

मुख्य रूप से नौवहन, बीमा और रिफाइनरी क्षेत्रों में ईरान से तेल आयात करने की प्रक्रिया में कई निजी कंपनियां शामिल हैं। अमेरिका के दूर जाने की स्थिति में ये कंपनियां ईरान से बाहर निकल जाएंगी।

दूसरी तरफ, रूसी कंपनियों के S-400 मिसाइल सिस्टम के अधिग्रहण को निजी कंपनियों के लिए छोटी भूमिका के साथ सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के स्तर पर प्रबंधित किया जा सकता है।

दूसरा, रूस से भारत के रक्षा अधिग्रहण को नुकसान पहुंचाने से अमेरिका खुद को नुकसान पहुचायेगा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है और अमेरिका ने पिछले दशक में इस बाजार में तेजी से कदम उठाए हैं।

वाशिंगटन को भारत में भावी रक्षा सौदों को व्यापक बनाने के सन्दर्भ में गंभीरता से विचार करना चाहिए। यही कारण है कि ट्रम्प प्रशासन सीएएटीएसए पर अधिक लचीला है, लेकिन इसके हाथ अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बंधे हैं। ईरान पर, यह व्हाइट हाउस है जिसने कठोर रुख अपनाया हुआ है।

तीसरा, अमेरिकी उद्देश्य ईरान के मामले में बहुत स्पष्ट हैं। ट्रम्प परमाणु हथियार हासिल करने और क्षेत्र के अन्य देशों में हस्तक्षेप करने के लिए ईरानी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से अपनाना चाहता है। दूसरी तरफ, सीएएटीएसए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप के आरोपों से उत्पन्न हुआ था।

यह सभी मुद्दे यह दर्शाते है कि भारत को S-400 सौदे पर दृढ़ रहना चाहिए। ईरान पर, यदि निजी कंपनियां जाने का फैसला करती हैं तो नई दिल्ली के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचेगा। यूरोपीय राष्ट्रों को एक ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

वे ईरान के साथ खड़ा होना चाहते हैं लेकिन निजी कंपनियों को एक के बाद एक वापस बुला लिया जा रहा हैं। बोइंग कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, टोटल एसए और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे कई बड़े नाम पहले से ही ईरान से बाहर निकलने की योजना की घोषणा कर चुके हैं।

यहां अमेरिकी प्रतिबंधों के सन्दर्भ में एक तथ्य यह है कि अमेरिकी प्रतिबंध उन देशों पर हमेशा अधिक प्रभावी होते हैं जो अमेरिका के साथ आर्थिक रूप से जुड़े होते हैं। अमेरिका अपने गैर-प्रसार लक्ष्यों में लाभ के रूप में अपने आर्थिक और सैन्य संबंधों का उपयोग करता है।

जब यह समर्थन स्वेच्छा से नहीं आता है, तो अमेरिका दूसरे देशों से सहबद्ध समर्थन निकालने के लिए माध्यमिक प्रतिबंधों का उपयोग करता है। अमेरिकी बाजार और वित्तीय प्रणाली से हटना, ईरान जैसे देश के लिए काफी मुश्किलों भरा है।

दूसरे शब्दों में, अमेरिका अपने दुश्मनों के व्यवहार को बदलने के लिए अपने सहयोगियों और भागीदारों को चोट पहुंचाने के लिए तैयार है। यह सुनिश्चित करने के लिए, हैली ने कथित तौर पर कहा है कि भारत को चाबहार बंदरगाह (अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए भारत का लिंक) के विकास के लिए कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन यह कच्चे सामानों के आयात तक नहीं बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल, इस संदर्भ में ईरानी तेल आयात करने के लिए माध्यमिक प्रतिबंधों के अमेरिकी खतरे पर भारतीय प्रतिक्रिया देखने लायाक होगी।

* * *

GS World टीम...

भारत-अमेरिका विवाद

क्या है मामला?

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों से जुड़े 2+2 वार्ता स्थगित कर दी गई है।
- यह दूसरी बार है जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के साथ 2+2 वार्ता स्थगित कर दी है।

भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती दरार का कारण

- भारत ने ईरान से सभी तेल आपूर्ति पर कटौती करने से इंकार कर दिया है, जिससे अमेरिका नाराज है।
- भारत द्वारा रूसी एस-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद की योजना पर।
- भारत द्वारा यू.एस. से आयातित कई वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाना।
- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में कई मुद्दे/विवाद; व्यापार संरक्षणवाद; नए अमेरिकी स्टील और एल्यूमीनियम टैरिफ पर विवाद; चिकित्सा उपकरणों पर भारतीय मूल्य में कटौती पर विवाद।
- हाल ही में भारत द्वारा विभिन्न देशों से खरीदे गये रक्षा उत्पाद।
- एएच-64 अपाचे हमले हेलीकॉप्टर; चिनूक हैवी-लिफ्ट हेलीकॉप्टर; सी-130 जे हरक्यूलिस; होइटसर; हर्पून एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम -(अमेरिका से)।
- एस-400 ट्रायमफ; एमआई -25 और एमआई -35 हेलीकॉप्टर -(रूस से)।
- स्पाइडर-(इजराइल से)
- एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम (S-400)

कार्य

- अत्याधुनिक S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 400 किमी की दूरी से आ रहे दुश्मनों के विमान, मिसाइलों और ड्रोन को एक साथ ट्रैक कर सकता है।
- अपनी वायु सीमा को सुरक्षित और अभेद बनाने में जुटे करार भारत के लिए यह करार बेहद अहम है।
- रक्षा रूसी विशेषज्ञों का दावा है कि S-400 सिस्टम पांचवीं पीढ़ी के अमेरिका के अत्यधुनिक F-35 जैसे लड़ाकू विमानों को भी मारकर गिरा सकता है।
- S-400 सिस्टम में 8 लॉन्चर्स एक कंट्रोल सेंटर तथा एक शक्तिशाली रडार लगा होता है और इसमें 16 मिसाइलें रिलोड की जा सकती है।
- S-400 तीन प्रकार की मिसाइलों पर निशाना साधने में सक्षम हैं और यह दुनिया की सबसे आधुनकि वायु रक्षा प्रणाली में शुमार है।
- यह अपनी तरफ आ रहे दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और यहाँ तक कि ड्रोनों को 400 किमी तक के दायरे में मार गिराने की क्षमता रखता है।
- यह S-300 का उन्नत संस्करण है। अलमाज-आंते ने इसका उत्पादन किया है और रूस में 2007 से यह सेवा में है।

काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैक्शंस एक्ट (सीएएटीएसए)

- इसे जनवरी 2018 में लागू किया गया था। यह ट्रम्प प्रशासन को रूस के रक्षा या खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन में शामिल संस्थाओं को दंडित करने का अधिकार देता है।

दोनों देशों के बीच व्यापार

- भारत से अमेरिका को हर साल लगभग 1.5 अरब डॉलर के स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है।
- वर्ष 2016-17 में भारत से अमेरिका को किया जाने वाला कुल निर्यात 42.21 अरब डॉलर जबकि कुल आयात 22.3 अरब डॉलर का था।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम (S-400) रूस में 2011 से सेवा में है।
2. यह S-300 का उन्नत संस्करण है।
3. यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) इनमें से कोई नहीं

Q. Consider the following statements-

1. Anti missile defence system (S-400) has been in service in Russia since 2011.
2. It is an advanced version of S-300.
3. It is a land to air missile.

Which of the above statements is/are not correct?

(a) Only 1
(b) 2 and 3
(c) 1 and 3
(d) None of these

नोट : 28 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(a), 3(b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''ऐसा लगता है कि अमेरिकी प्रतिबंध उन देशों पर ही हमेशा अधिक प्रभावी होती है, जो अमेरिका के साथ आर्थिक रूप से स्वीकृत नहीं है।'' इस कथन के संदर्भ में बताएं कि भारत को अमेरिका के प्रतिबंध पर किस तरह प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ताकि एक बार फिर से वह अपनी कुशल विदेश नीति में सफल हो सके।

(250 शब्द)

"It is believed that American sanctions are more effective on those countries which are integrated with America economically." In this reference describe how India should react to America's sanctions, so that India can once again be successful in its foreign policy.

(250 Words)

भारत–अमेरिका विवाद

स्रोत– लाइव मिंट आर्टिकल

'29 जून, 2018'

IAS PCS

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322

यूजीसी की जगह एचईसीआई

30 जून, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

*''हाल ही में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने और फर्जी विश्वविद्यालयों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने यूजीसी एक्ट में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके तहत यूजीसी नाम की संस्था अब खत्म हो जाएगी। इसकी जगह एचईसीआई (हायर एजुकेशन कमीशन आफ इंडिया) लेगा।'' इस कथन के संदर्भ में अंग्रेजी समाचार पत्र **'द हिन्दू' और 'इंडियन एक्सप्रेस'** में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे **GS World** टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

द हिन्दू
(सुधार 101 : उच्च शिक्षा पर)

''उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित नियामक निकाय पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है।''

केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए नए उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) विधेयक के प्रावधान मानव संसाधन विकास के विस्तार और गुणवत्ता के लिए दूरगामी प्रभाव साबित हो सकते हैं, वो भी उस समय जब कौशल निर्माण और शैक्षिक अवसर तक पहुंच दूर और बहुत महत्वपूर्ण है।

वर्ष 2016-17 में देश में 864 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और 40,026 कॉलेज थे, जबकि छात्रों का सकल नामांकन अनुपात केवल 26% था। और अगर बात स्वतंत्रता के समय की करें तो हम पाएंगे कि उस समय केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज थे।

उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक नया निकाय बनाने के लिए विशेषज्ञ समितियों और यहां तक कि कानून बनाने के लिए इस प्रणाली में सुधार हेतु पिछले प्रयासों ने स्वायत्तता, पहुंच, समावेशन और सभी के लिए अवसर को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ परिवर्तनों की वकालत की थी।

यह चुनौतीपूर्ण लक्ष्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तावित उत्तराधिकारी निकाय एचईसीआई में परिवर्तित कर देगा। इसी कारण से, केंद्र को मसौदे के प्रस्तावों पर विचारों को प्रस्तुत करने के लिए अकादमिक, शिक्षण समुदाय और समाज को पर्याप्त समय देना चाहिए।

उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से जो संकल्प की आवश्यकता को दर्शाते है उनमें से कई प्रश्न इंजीनियरिंग, चिकित्सा और कानून के लिए वर्तमान में मौजूद कई नियामक निकायों की भविष्य की भूमिका से संबंधित है; जिन्हें यश पाल समिति ने सिफारिश की थी कि उन्हें एक आयोग के दायरे में लाया जाना चाहिए।

आर्किटेक्चर और नर्सिंग समेत अन्य पेशेवर शिक्षा पाठ्यक्रमों को भी शामिल करने की बात कही गयी है। पाठ्यक्रमों को नवाचार करने और विषयों में अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता के साथ लक्ष्य को प्रत्येक पाठ्यक्रमों के लिए अकादमिक मानक निर्धारित करना चाहिए।

मसौदे विधेयक से उत्पन्न होने वाले अधिक विवादित मुद्दों में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय या एक अलग निकाय को अनुदान देने वाली शक्तियों को स्थानांतरित करने का केंद्र सरकार का निर्णय है।

इंडियन एक्सप्रेस
(ऐन ओवर-रेगुलेटर)

''उच्च शिक्षा प्रशासन को सुधारने पर मसौदा कानून सूक्ष्म प्रबंधन पर भय और स्वायत्तता पर अधिक प्रतिबंध बढ़ाता है।''

यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार बेहद जरूरी है। विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों के लगातार खराब प्रदर्शन सहित कई संकेतक इस तथ्य की गवाही देते हैं कि देश के उच्च शिक्षा नियामक और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों को बनाए रखने के अपने जनादेश में सफल नहीं हो पाए है।

एक नया मसौदा कानून, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, जो भारत में उच्च शिक्षा के शासन को सुधारने का प्रस्ताव रखता है, देश के विश्वविद्यालयों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन बुधवार को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए तैयार किया गया मसौदा यूजीसी की असफलताओं को बढ़ा सकता है, खासतौर पर इसकी विनियमन को अधिक विनियमित करने के लिए।

विधेयक यूजीसी अधिनियम, 1 9 56 को बदलने और यूजीसी को भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के रूप में पुनर्निर्मित करने का प्रस्ताव करता है। नियामक, अपने नए अवतार में, विश्वविद्यालयों में अकादमिक मानकों को स्थापित करने, बनाए रखने और सुधारने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अनुदान देने वाले कार्यों को पूरा करेगा।

नियामक और निधि के बीच अलगाव विनियामक शासन के पहले सिद्धांतों के अनुरूप है। मसौदा कानून, 'विश्वविद्यालयों के लिए स्वायत्तता' का अनुमानित लक्ष्य भी स्वागतयोग्य है। लेकिन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को फंड प्रदान करने की शक्ति प्रदान करना इस उद्देश्य के खिलाफ ज्यादति प्रतीत होती है।

यह सच है कि देश में अकादमिक संस्थान सरकारी हस्तक्षेप से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं। लेकिन एचआरडी मंत्रालय द्वारा सीधे विश्वविद्यालय वित्त पोषण को नियंत्रित करना, इन संस्थानों के संचालन में राजनीतिक हस्तक्षेप के खतरे कई गुना बढ़ा देती हैं।

यूजीसी द्वारा अब तक ऐसा किया जा रहा था, जिसमें कई प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है और अब इसे राजनीतिक विचारधाराओं से वित्त पोषण के फैसले को अलग रखा है। निधियों के आवंटन पर संतुलन बनाए रखना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना अब एचईसीआई के प्रस्तावित सलाहकार परिषद पर निर्भर करेगा।

यह स्वागतयोग्य है कि राज्यों को सलाहकार परिषद के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया है और इसे संघीय चरित्र प्रदान करने की कोशिश की गयी है, हालांकि अभी भी केंद्र द्वारा ही सभी मामलों में अंतिम निर्णय लिया जायेगा, ना की सर्वोच्च एचईसीआई द्वारा। व्यापक स्तर पर हमे आवश्यक कौशल वाले कार्यबल बनाने की आवश्यकता है।

उच्च शिक्षण संस्थानों की मनमानी को रोकने के लिये पहली बार एचईसीआई एक्ट 2018 में जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर सीपीसी के तहत तीन साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, जो कि एक स्वागतयोग्य पहल है।

साथ ही यह आवश्यक अकादमिक मानकों को बनाए रखने में विफल पाए गए संस्थानों के परामर्श के लिये एक रोडमैप प्रदान करेगा। आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों को इस बात के लिये भी प्रोत्साहित करेगा कि वे शिक्षा, शिक्षण एवं शोध के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियों का विकास करें।

* * *

तथ्य यह है कि प्रस्तावित कानून केंद्र को एचईसीआई के चेयरमैन और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए अधिकार देता है जिसमें 'नैतिक अशांति' शामिल है – यूजीसी अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं था, इससे विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने पर सरकार की ईमानदारी के बारे में प्रश्न उठेगा। मसौदा 7 जुलाई तक सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा गया है। इस समय सीमा को लागू करने से सरकार अपने मानसून सत्र में संसद के समक्ष विधेयक पेश कर सकती है।

मौजूदा समय में मंत्रालय के पास विवि और कॉलेजों को ज्यादा ग्रांट देने और निरीक्षण के नाम पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले भी सामने आते रहे है।

यही वजह है कि नए बदलाव के बाद गठित होने वाले एचईसीआई के पास वित्तीय अधिकार नहीं होगा। उसका फोकस सिर्फ विश्वविद्यालयों के पठन-पाठन और शोध क्षेत्र में किए जा रहे उसके काम-काज को लेकर रहेगा।

* * *

GS World टीम...

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI)

चर्चा में क्यों?

- देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) को समाप्त करने और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निरसन अधिनियम), विधेयक 2018 को लाने का प्रस्ताव दिया है।

परिचय

- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग एकल नियामक संस्था होगी जो केंद्रीय, निजी तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिये सभी प्रकार के नियम तय करेगी।
- मंत्रालय केवल वित्तीय कामकाज संभालेगा, जिसके तहत विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान देना, स्कॉलरशिप राशि आदि का भुगतान करना भी शामिल रहेगा।
- आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा शुल्क के निर्धारण हेतु मानदंडों और प्रक्रियाओं को भी निर्दिष्ट करेगा और सभी के लिये शिक्षा को सुलभ बनाने के लिये उठाए जाने वाले कदमों के बारे में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को सलाह दे सकता है।
- अन्य नियामक संस्थाओं, मुख्य रूप से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के प्रमुखों को सम्मिलित करने से आयोग और मजबूत होगा।
- उच्च शिक्षण संस्थानों की मनमानी को रोकने के लिये पहली बार एचईसीआई एक्ट 2018 में जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर सीपीसी के तहत तीन साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है।

संरचना

- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 12 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें कार्यकारी सदस्य, प्रतिष्ठित शिक्षाविद और उद्योग जगत का एक वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित सदस्य शामिल होगा।
- अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त ऐसे व्यक्ति होंगे जिनमें नेतृत्व क्षमता, संस्थानों का विकास करने की प्रमाणित योग्यता और उच्च शिक्षा से संबंधित नीतियों एवं कार्यों की गहरी समझ होगी।
- आयोग का एक सचिव भी होगा, जो सदस्य सचिव के रुप में काम करेगा। सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- देश में मानकों के निर्धारण और उनमें समन्वय के लिये आयोग को सलाह देने के लिये एक सलाह समिति होगी।
- इसमें राज्यों की उच्च शिक्षा परिषदों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा की जाएगी।
- आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों को इस बात के लिये भी प्रोत्साहित करेगा कि वे शिक्षा, शिक्षण एवं शोध के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियों का विकास करें।

प्रमुख कार्य

- शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में असफल संस्थानों की निगरानी करना
- शिक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान के लिये मानक तय करना
- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना

शैक्षिक मानकों को बनाए रखना

शक्तियाँ

- यह आयोग फर्जी एवं मानकों पर खरा न उतरने वाले संस्थानों को बंद करने का आदेश दे सकता है।
- आदेश नहीं मानने वाले के खिलाफ जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।
- नए नियामक संस्थान को शैक्षणिक गुणवत्ता तय करने का अधिकार होगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. यशपाल समिति संबंधित है-
   (a) स्वास्थ्य से
   (b) शिक्षा से
   (c) पर्यावरण से
   (d) पुलिस सुधार से
2. हाल ही में सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (एचईसीआई) के गठन का फैसला लिया है। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
   1. नये कानून के तहत एचईसीआई के पास फर्जी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फर्जी डिग्री बांटने वाले संस्थानों के खिलाफ सीधी कार्रवाई और मान्यता रद्द करने का अधिकार होगा।
   2. नये कानून के तहत एचईसीआई के पास सभी वित्तीय अधिकार भी होंगे।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

1. **Yash Pal Committee is related to-**
   (a) Health
   (b) Education
   (c) Environment
   (d) Police Reform
2. **Government has recently taken a decision to form Higher Education Commission of India (HECI) replacing University Grant Commission (UGC) for reforming higher education. In this reference consider the following statements-**
   1. According to new act HECI will have the rights to take direct action against and to revoke authorization of the fake universities and higher education institutes which issue fake degrees.
   2. According to new act, HECI will also have all financial rights.

   Which of the above statements is/are correct?
   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

नोट : 29 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।

GS World
Dedicated To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. भारत की उच्च शिक्षा की ज्यादातर समस्याएं वांछित वित्तीय साधनों की कमी और उच्च शिक्षण संस्थानों को समुचित स्वायत्तता न मिलने से पैदा हुई हैं। इस कथन के सन्दर्भ में बताये कि क्या प्रस्तावित एचईसीआई इस समस्या का निदान कर पाएगा? चर्चा कीजिये।

(250 शब्द)

Most of India's higher education problems have arisen due to the lack of desired financial resources and not getting proper autonomy for higher education institutions. In relation to this statement, Will the proposed HECI be able to diagnose this problem? Discuss.

(250 Words)

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI)

IAS PCS

स्रोत– द हिन्दू और इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल
'30 जून, 2018'

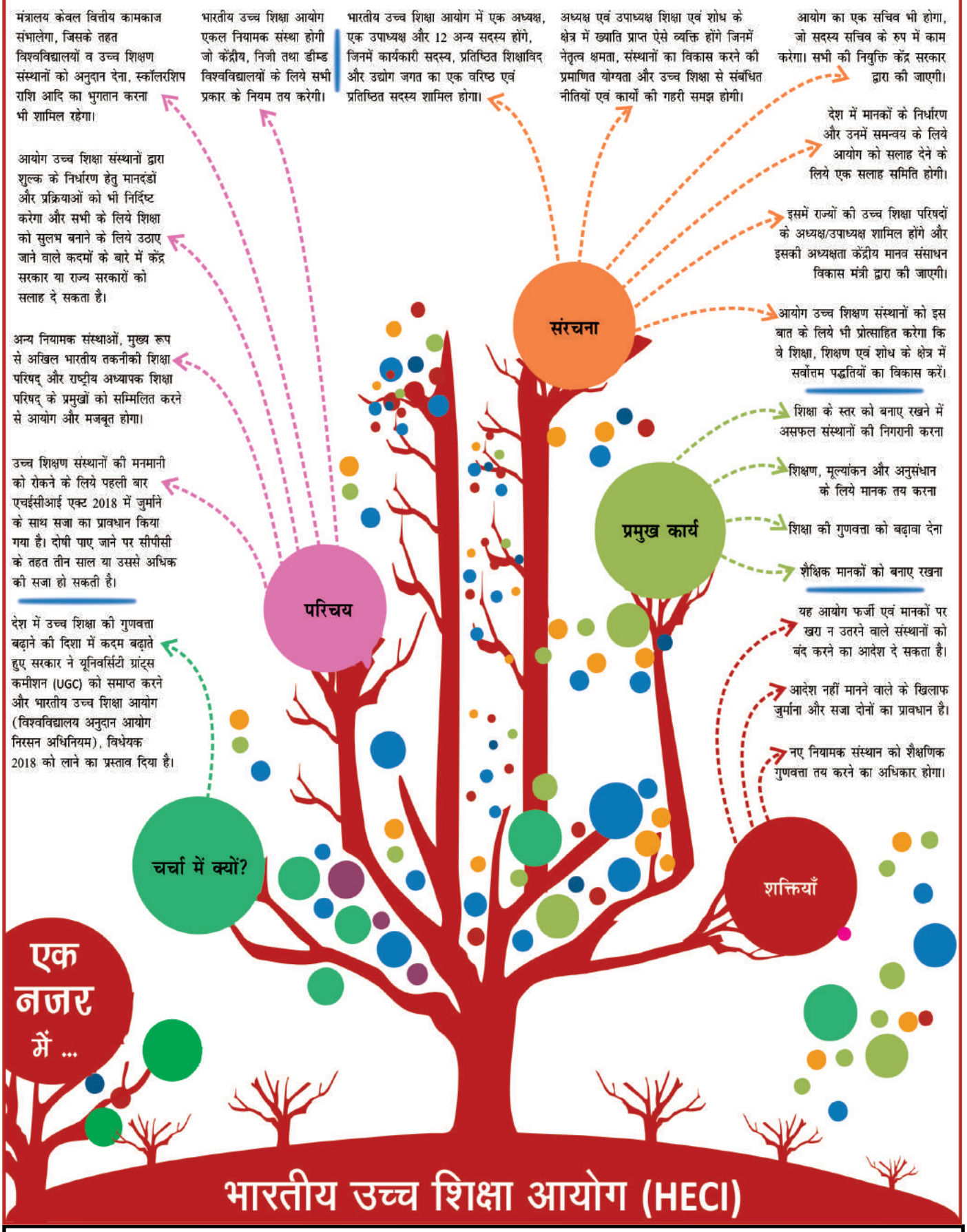

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322